हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम विहार शिमला-2 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2015

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम, 2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0-4(डी)1-1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, हि0प्र0 आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को अधिकृत किया गया है। तदानुसार हि0प्र0 आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम विहार के अवधि 4/2014 से 3/2015 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न अधिकारियों द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव तथा मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर कार्य निष्पादित किया गया:-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	अवधि
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवम सचिव		
1	Dr. Sunil Kumar Chaudhary,IAS	01.04. 14 to 11.07.14
2	Sh.Dinesh Kashyap	14.07.14 to 31.03.15
मुख्य लेखा अधिकारी		
1	Sh.Bhgat Ram Vyas	01.04. 14 to 31.03.15

(ग) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम विहार शिमला-2 के अवधि 4/2014 से 3/2015 के लेखाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण:-

क्र0 सं0	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	राशि (लाखों में)
1	4(ख)	वित्तीय कुप्रबंधन के कारण ब्याज से आय से वंचित रहना	4.37
2	4(घ)	हिमुडा द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को कर्मचारियों के पेंशन के एवज में पेंशन निधि से दावों की राशि को बिना सत्यापना किये स्वीकार करना	855.22
3	5(ग)	वित्तीय कुप्रबंधन के कारण ब्याज से आय से वंचित रहना	7.70
4	5(ड़)	हिमुडा के अनुबन्ध कर्मचारियों के अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता हिस्से के रूप में हिमुडा निधि से प्रावधानों के विपरीत राशि को जमा करना	14.76

5	7(ग)	निधि के लेखो व वित्तीय विवरणियों में Leave Encashment के रूप भुगतान की गई राशि का लेखांकन न करना	126.85
6	8(क)	विभिन्न बैंको के अन्त शेष में पाए गए अन्तर का समाधान न करना	642.45
7	9(ग)	वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतिम लेखों में सावधिक जमा पर प्राप्त योग्य ब्याज (interest receivables on FDRs) की अधिक गणना करना	43.65
8	10	विभिन्न अग्रिमों की वसूली/समायोजन न करना	122.42
9	12	आयकर की असमायोजित राशि का निर्धारण/समायोजन न करवाना	1341.91
10	13	आबंटियों से ग्राऊंड रैन्ट की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	52.52
11	14	विभिन्न आवासीय बस्तीयों में आबंटित फ्लेटों की पिछले कई वर्षों से बकाया राशि की वसूली न करना	448.20
12	15	धरोहर राशि को जब्त न करना	47.60
13	16	लीज रेन्ट की कम वसूली करना	29.96
14	17	विभिन्न आबंटियों से ब्याज की वसूली न करना	3.94
15	19	विभिन्न निर्माण मंडलों के अधीन हाउसिंग कलौनियों/ स्कीमों से Maintenance Charges की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	421.01
16	20	विभिन्न निर्माण मंडलों की हाउसिंग कलौनियों/ स्कीमों/कमर्शियल प्लाटों से Water Charges की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	10.71
17	22	विभिन्न विभागों से निक्षेप कार्यों (Deposit Works) हेतु प्राप्त राशि से अधिक व्यय करना	2522.06
18	23	विभिन्न विभागों से उनके कार्यों/स्कीमों हेतु व्यय की गई राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	237.29
19	24	निक्षेप कार्यो (Deposit Works) लेखा शीर्षक के अंतर्गत राशि व्यय हेतु शेष होने के कारण विभागीय प्रभार (Departmental Charges) की परोक्ष हानि बारे	4611.50
20	26	तुलन पत्र तथा लाभ व् हानि खाते में Capital Reserve/ Net profit के अंतर्गत वास्तविकता से राशि को अधिक दर्शाना	144.60
21	28	विभिन्न लेखा शीर्षों में राशि का संबन्धित खातों मे समायोजन/समाधान न करना	132.58
22	29	वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतिम लेखों में आय/शुद्ध लाभ/प्राप्तियों की अधिक गणना करना	221.00
23	30	विभिन्न निर्माण मंडलों से सम्बन्धित लेन-देन की राशियाँ को हिमुडा के अंतिम लेखो में समायोजित न करना या अनुचित रूप से समायोजित करना	597.50
24	34	"Cash In Transit" लेखा शीर्षक के अंतर्गत राशि को दर्शाना एवम वर्ष के दौरान समायोजित न करना	254.43

25	35	Imprest & CSS A/C - Cash Settlement Suspense A/C लेखा शीर्षक के अंतर्गत असमायोजित राशियों को दर्शाने बारे	विवरण पैरे मे दिया गया है
26	36	Interest Redemption लेखा शीर्षक के अंतर्गत राशि को संबन्धित हाउसिंग स्कीम की लागत में वर्षों उपरांत भी समायोजित न करना	366.16
27	37	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखों में Intial Deposit/Earnest Money लेखा शीर्षक के अंतर्गत राशि का Debit शेष दर्शाना	2558.54
28	38	वित्तीय वर्ष 2014-15 के तुलन-पत्र / लेखों में मांग सर्वेक्षण (Demand survey) से संबन्धित पूर्वानुमानित ब्याज के दायित्व की राशि को परिलक्षित न करना	179.19
28	39	हिमुड़ा के स्वामित्व को स्पष्ट किए बिना निर्माण कार्यों से संबन्धित राशि को "Work Completed in hand" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाना	448.09
29	40	वित्तीय वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखों में भुगतान को चालू संपति की अपेक्षा अनियमित रूप से व्यय के रूप में वर्गीकृत करना	126.85
30	42	वित्तीय वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखों में भुगतान को व्यय की अपेक्षा अनियमित रूप से चालू दायित्व में वर्गीकृत करना	50.78
31	45	भुगतान की गई राशि की रोकड़ बही में अनुचित रूप से दो बार गणना करके समायोजन करना	13.35
32	46	वेतन व भत्तों तथा पेंशन लाभों से संबन्धित विभिन्न अनियमितताओं के फलस्वरूप राशि का अनियमित भुगतान करना	8.10
33	48	विज्ञापनो पर किए गए भुगतानों से 15% कमीशन की कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व को हुई हानि बारे	4.43

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट-'क"** में दर्शाई गई है। वर्ष 1985-86 से 2013-14 तक के मुख्यालय से सम्बन्धित लगभग 228 पैरे शेष हैं, जिनका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	वर्ष	शेष पैरों की संख्या
1	1985-86	1
2	1990-91	1
3	1992-93	1
4	1996-97	1
5	1997-98	3

6	1998-99	1
7	1999-2000	5
8	2000-2001	11
9	2001-2002	12
10	2002-2003	5
11	2003-2004	1
12	2004-2005	10
13	2005-2006	10
14	2006-2007	8
15	2007-2008	15
16	2008-2009	7
17	2009-2010	27
18	2010-2011	28
19	2011-2012	15
20	2012-2013	12
21	2013-2014	16
योग		**190**
पूर्व शिमला विकास प्राधिकरण के मुख्यालय से संबन्धित पैरेसंबन्धित पैरे		
1	1989-90	1
2	1990-91	1
3	1991-92	2
4	1992-93	2
5	1993-94	2
6	1994-95	3
7	1995-96	5
8	1996-97	6
9	1997-98	6
10	1998-99	6
11	1999 से	4
योग		**38**
कुल योग		**228**

अत: हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम विहार शिमला-2 के उपरोक्त शेष आडिट पैरों के संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करवाने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित किया जाए।

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

अवधि 4/2014 से 3/2015 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य श्री पदम सिंह कंवर, उप निदेशक के पर्यवेक्षण में सर्व श्री हेम राज भारद्वाज, सहायक नियन्त्रक, श्री मनजीत भाटिया व श्री चेत राम ठाकुर, अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनांक 21.4.2016 से 21.07.16 के दौरान मुख्यालय निगम विहार शिमला-2 में किया गया। आय तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास 3/2015 के लेखों का चयन किया गया, जिसके परिणाम आगामी पैराग्राफ में समाविष्ट किये गये है।

"वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कारवाई गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के समस्त मण्डलों एवं मुख्यालय के लेखों के अवधि 4/2014 से 3/2015 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹476100/- आंका गया है। इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को भिजवाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव , आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 से अनुरोध किया गया।

4 पेंशन निधि

पेंशन निधि के वित्तीय वर्ष 2014-15 से तुलन पत्र व वित्तीय विवरणियों **(परिशिष्ट-ख)** तथा इससे सम्बन्धित अभिलेखों के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई । इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या : हिमुडा/25 दिनांक 01.07.16 द्वारा वर्णित अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस संदर्भ में कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितताओं का संज्ञान लेते हुए इनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

(क) बैंक द्वारा सावधिक जमा राशि की परिपक्वता पर ₹0.40 लाख का ब्याज कम देना

निम्नलिखित प्रकरणों में बैंक द्वारा सावधिक जमा की परिपक्वता पर नियमानुसार चक्र वृद्धि ब्याज की अपेक्षा साधारण ब्याज प्रदान करना तथा वह भी देय राशि की अपेक्षा कम ब्याज प्रदान किया गया है जिसके के कारण निम्न विवरण अनुसार ₹40461 का कम ब्याज प्रदान किया गया प्रतीत होता है, जिस सम्बन्ध में मामला सम्बन्धित बैंक से उठाकर तथा इस संदर्भ में अपेक्षित छानबीन करके

वस्तु स्थिति पता की जाये तथा कम दिए गये ब्याज की राशि को वापिस प्राप्त करके पेंशन निधि की भरपाई की जाये।

सावधिक जमा रजिस्टर पृष्ठ संख्या	बैंक का नाम /सावधिक जमा खाता या रसीद संख्या	निवेशित राशी	निवेश/ वास्तविक परिपक्वता व बैंक जमा तिथि/ अवधि	ब्याज की दर	ब्याज की राशी जो प्राप्त हुई	ब्याज की राशी जो प्राप्त होनी चाहिए थी	अंतर ब्याज का जो कम प्राप्त हुआ
3	UCO bank-Nigam Vihar / 26533dt.19.07.13	5500000	19.07.13/ 23.04.14=8M13D or 256Days	8.50%	350594	365189	14595
4	UCO bank-Nigam Vihar / 28193dt.03.10.13	3100000	03.10.13/ 23.04.14=6M3D or 184Days	8.75%	147115	156510	9395
4	UCO bank-Nigam Vihar / 29992dt.14.01.14	6100000	14.01.14/ 23.04.14=2M27D or 86Days	7.50%	122166	138637	16471
						कुल जोड़	**40461**

(ख) वित्तीय कुप्रबंधन के कारण ₹4.37 लाख के ब्याज से आय से वंचित रहना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.2015 को पेंशन निधि के यूको बैंक बचत खाते में ₹82.15 लाख की बड़ी रकम शेष जमा थी तथा इस बचत खाते में अंकेक्षण अवधि के दौरान 4% की दर से निम्न विवरण अनुसार ₹420763 ब्याज के रूप में अर्जित/प्राप्त हुई थी । यदि ।कुशल वित्तीय प्रबंधन से बचत खाते में जमा राशि 8% की अपेक्षित दर से सावधिक जमा में निवेशित होती तो निम्न विवरण अनुसार ₹437427 की व्याज से अतिरिक्त आय होती, परन्तु वित्तीय कुप्रबंधन के कारण लगभग **₹437427** की ब्याज से आय से वंचित रहना पड़ा जोकि सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन के चलते अर्जित किया जा सकता था।

बैंक का नाम	4% की दर से अर्जित/ प्राप्त ब्याज की राशि राशि अवधि	ब्याज की राशि	8% की दर से सावधिक जमा में निवेश पर ब्याज की जो राशि अर्जित होती	ब्याज से आय की हानी की सम्भावित राशि
UCO bank-Nigam Vihar / 09810110001219	01.04.14to 31.03.15	**07.07.14=218774** 12.01.15=201989 Total **20763**	858190	**437427**

अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में सम्बन्धित निधि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक जमा अतिरिक्त राशि का सावधिक जमाओं में निवेश करना सुनिश्चित किया जाये ताकि ब्याज से आय की हानि भी न हो व् पेंशन निधि की वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ हो।

(ग) सावधिक जमा की परिपक्वता राशि से स्त्रोत पर काटी गई ₹35059 का आयकर के लेखो तथा वित्तीय विवरणियों में लेखांकन न करना तथा सावधिक जमा की परिपक्वता राशि से स्त्रोत पर काटी गई ₹35059 को आयकर विभाग से वापिस प्राप्त न करना

यूको बैंक–निगम विहार, शिमला ने रसीद संख्या: 26533 दिनांक 19.07.13 द्वारा सर्वाधिक जमा की निवेशित ₹5500000 की परिपक्वता पर देय ब्याज ₹350594 में से ₹35059 का स्त्रोत पर आयकर की कटौती करने के उपरांत ₹315536 के शुद्ध ब्याज का भुगतान किया गया था, किन्तु लेखो में प्राप्त शुद्ध ब्याज की राशि का ही लेखांकन किया गया था तथा ₹35059 का स्त्रोत पर आयकर की कटौती राशि का तो लेखांकन ही नहीं किया गया था , जोकि लेखा पद्धति के स्थापित नियमों के प्रतिकूल है , जिस अनियमितता के कारण निधि की वित्तीय विवरण सही स्थिति परिलक्षित नहीं करती है। अतः वर्णित अनियमितताओं का संज्ञान लेते हुए इनका आवश्यक समाधान किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त विवर्णानुसार स्त्रोत पर काटी गई राशि को वापिस प्राप्त किया जाना अपेक्षित था क्योंकि आयकर अधिनियम की धारा 10 (23AAA) के अंतर्गत करमुक्त है। अतः इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) हिमुडा द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को कर्मचारियों के पेंशन के एवज में पेंशन निधि से ₹855.22 लाख के दावों को बिना सत्यापना किये स्वीकार करना

पेंशन निधि के तुलन पत्र व् प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कर्मचारियों को पेंशन के रूप में पेंशन निधि से ₹8,55,21,468 के दावों का भुगतान किया गया था , परन्तु उसके समर्थन में हिमुडा द्वारा किसी भी अभिलेख का न ही रख-रखाव किया गया था जिससे यह सत्यापित किया जा सके कि वर्णित दावों की राशि सही थी और न ही अंकेक्षण को यह स्पष्ट किया गया कि दावों की इन राशियों की औचित्यता किस आधार पर प्रमाणित की गई है। इस प्रकार बिना उचित अभिलेख के रख-रखाव व् दावों की भुगतान राशि की सत्यापना के बिना इतनी बड़ी राशि के दावों को स्वीकार करना अनियमित है तथा ऐसे में निधि से अधिक भुगतान व् दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित पेंशन भुगतान के दावों से सम्बन्धित विस्तृत अभिलेख भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त करके उनका उचित रख -रखाव करते हुए अपेक्षित दावों के भुगतान की राशी की भी सत्यापना की जानी सुनिश्चित की जाये ताकि अधिक भुगतान व् दुर्विनियोजन की सम्भावनाओं से बचा जा सके। ।

5 अंशदायी भविष्य निधि

हिमुड़ा द्वारा अंशदायी भविष्य निधि के वर्ष 2014-15 से संबन्धित प्रस्तुत तुलन पत्र (**Balance Sheet**) व वित्तीय विवरणियों (**परिशिष्ट-ग**) का संबन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई **,** जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(क) नियमित कर्मचारियों के सावधि जमा लेखा शीर्षक में ₹ 270 का अन्तर पाया जाना

अंशदायी भविष्य निधि के वर्ष 2014-15 के तुलन पत्र में चालू संपति के अंतर्गत नियमित कर्मचारियों के सावधि जमा लेखा शीर्षक में ₹34,65,33,915 निवेशित की गई दर्शाई गयी थी जबकि सावधि जमा विवरणी के अनुसार वास्तव में दिनांक 31.03.15 को ₹34,65,33,645 ही निवेशित थी। इस प्रकार उक्त लेखा शीर्षक में ₹270 का अन्तर पाया गया, जिसका तुरन्त यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) सावधिक जमा की परिपक्वता राशि से स्त्रोत पर काटे गए आयकर को वापिस प्राप्त न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.15 तक बैंक द्वारा सावधि जमा निवेश की परिपक्वता पर प्रदत ब्याज राशि में से स्त्रोत पर आयकर की ₹ 627711.59 की कटौती की गयी थी, जिसमे वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान स्त्रोत पर काटी गई ₹311516 भी शामिल थी तथा जिसे अंशदायी भविष्य निधि के वर्ष 2014-15 के तुलन पत्र में चालू संपति के अंतर्गत **"TDS on FDR Receivables from IT Deptt"** लेखा शीर्षक में दर्शाया गया था। चूँकि निधि की आय आयकर अधिनियम की धारा 10 (23AAA) के अंतर्गत कर मुक्त है इसलिए स्त्रोत पर काटी गयी राशि को वापिस प्राप्त किया जाना अपेक्षित था, जिस हेतु हिमुड़ा द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी जोकि गंभीर चिंता का विषय है। अतः इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) वित्तीय कुप्रबंधन के कारण ₹7.70 लाख की ब्याज से आय से वंचित रहना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.2015 को अंशदायी भविष्य निधि में (निम्न विवर्णानुसार) यूको बैंक के विभिन्न बचत खातों में ₹170.42 लाख की बड़ी रकम शेष जमा थी तथा इन बचत खातों में अंकेक्षण अवधि के दौरान 4% की दर से निम्न विवरण अनुसार ₹740529 ब्याज के रूप में अर्जित/प्राप्त हुई थी। यदि कुशल वित्तीय प्रबंधन से बचत खातों में जमा राशि 8% की अपेक्षित दर से सावधिक जमा में निवेशित की गई होती तो निम्न विवरण अनुसार ₹769856 के व्याज की अतिरिक्त आय हो सकती थी, परन्तु वित्तीय कुप्रबंधन के कारण लगभग ₹769856 के ब्याज से आय से वंचित रहना पड़ा जोकि सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन के चलते आसानी से अर्जित किया जा सकता था।

बैंक का नाम	**4% की दर से अर्जित/ प्राप्त ब्याज की राशि**		**8% की दर से सावधिक जमा में निवेश पर ब्याज की जो राशि अर्जित होती**	**ब्याज से आय की हानी की सम्भावित राशि**
	अवधि	**ब्याज की राशि**		
UCO bank-Nigam Vihar / 09810110004517	01.04.14to 31.03.15	07.07.14=117267 12.01.15=163119 Total =**280386**	571876	**291490**
UCO bank-Nigam Vihar / 09810110000441	01.04.14to 31.03.15	07.07.14=161725 12.01.15=135121 Total =**296846**	605448	**308602**
UCO bank-Nigam Vihar / 09810110004524	01.04.14to 31.03.15	07.07.14=68720 12.01.15=94577 Total =**163297**	333061	**169764**

अतः उक्त वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में सम्बन्धित निधि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राशियों को सावधिक जमा योजना में निवेशित करना सुनिश्चित किया जाये ताकि ब्याज से आय की हानि भी न हो व् पेंशन निधि की वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ हो।

(घ) सी० पी० एफ० नियोक्ता अंशदान (नगर विकास प्राधिकरण) की ₹ 283.02 लाख को EPF/CPF बोर्ड share में हस्तांतरित करने बारे

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं अवधि 4/13 से 3/14 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 30 (**iii)** की अनुपालना में हिमुडा द्वारा पूर्व में नगर विकास प्राधिकरण से हिमुडा में विलीन (**Merge**) किए गए कर्मचारियों के नियोक्ता अंशदान की राशि को तुलन पत्र में शामिल/परिलक्षित किया गया था जिससे संबन्धित अभिलेख के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सावधि जमा योजना में निवेशित राशि को Journal वाउचर संख्या :1 दिनांक 01.4.14 द्वारा ₹32**,32,159.00** तथा Journal वाउचर संख्या: 7 दिनांक 31.3.2015 द्वारा ₹2,50,69,000 द्वारा EPF/CPF बोर्ड share में हस्तांतरित किया गया था। इस संदर्भ में विस्तृत अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त समाप्त राशि EPF/CPF बोर्ड share से संबन्धित नहीं थी। उदाहरणतय उक्त निधि से संबन्धित बैंक खाता संख्या 09810110004524 की वर्ष 2013-14 की पास बुक के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 05.7.13 को ₹3,37,500 तथा दिनांक 31.12.13 को ₹36,223 संबन्धित बैंक द्वारा ब्याज के रूप में दिए गए थे तथा इस ब्याज की राशि को "Interest Receipt Account" में हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित था, परंतु हिमुड़ा द्वारा उक्त राशि को भी EPF/CPF बोर्ड share में हस्तांतरित किया गया, जोकि उचित नहीं है। इस प्रकार इस निधि से संबन्धित तुलन पत्र तथा संबन्धित विवरणियाँ भी सही परिस्थिति परिलक्षित नहीं करती है। अत: सुझाव दिया जाता कि पूर्व के वर्षो में भी खाता संख्या 09810110004524 में दिये गए ब्याज की गणना करके पूर्ण ब्याज की राशि को "Interest Receipt Account" में हस्तांतरित किया किया जाए व संबन्धित कर्मचारियो के व्यक्तिगत खातों का शीघ्र निर्माण सुनिश्चित किया जाये जिससे यह ज्ञात हो सके कि एक निश्चित तिथि को किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते में नियोक्ता अंशदान की कितनी राशि शेष है। इस संदर्भ में अनुपालना से अकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ड़) हिमुडा के अनुबन्ध कर्मचारियों के अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता हिस्से के रूप में हिमुडा निधि से प्रावधानों के विपरीत ₹ 14.76 लाख को जमा करना

हिमुड़ा के अनुबन्ध कर्मचारियों से संबन्धित प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.15 तक की नियोक्ता हिस्से की ₹14,75,899 अनुबन्ध कर्मचारियों के अंशदायी भविष्य निधि में जमा करवाई गयी थी। अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध कर्मचारियों के लिये अंशदायी भविष्य निधि की कोई योजना लागू नहीं है , जबकि हिमुडा द्वारा इन कर्मचारियों के पक्ष में भी उक्त योजना को लागू किया गया तथा कर्मचारियों के अंशदान के समतुल्य नियोक्ता हिस्से की राशि को भी निधि में जमा किया गया। परिणामस्वरूप दिनांक 31.03.15 तक नियोक्ता हिस्से की कुल ₹1475899 अनुबंध कर्मचारियों के खातों में अनुबंध के प्रावधानों के विपरीत जमा की गई , जिसका विवरण निम्न

प्रकार से दिया गया है। अतः या तो इस अनियमितता का अनुबंध के प्रावधानों के दृष्टिगत पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस अनियमितता पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जाने के साथ-2 ही ऐसी समस्त जमा की गई राशि को हिमुडा निधि के खातों में ब्याज सहित वापिस जमा किया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

क्रमांक	**अनुबंध कर्मचारी का नाम व पदनाम**	**सी॰ पी॰ एफ॰ खाता संख्या**	**दिनांक 31.03.15 तक नियोक्ता शेयर की जमा राशि**
1	श्री ओमेश सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता	977	132319
2	श्री जितेन्दर पुरी, कनिष्ठ अभियन्ता	980	126193
3	श्री हिमाचली देवी, लिपिक	972	77634
4	श्री अंकुश वर्मा, लिपिक	970	70721
5	श्री विनोद कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	971	145836
6	श्री ओम चौहान, विधि सहायक	962	150520
7	श्री राकेश पाल राणा, कनिष्ठ	984	125053
8	श्री अजय सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता	979	132381
9	श्री दुगला, कनिष्ठ अभियन्ता	973	144609
10	श्री विरेन्दर कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	978	132381
11	श्री भगवान चन्द, कनिष्ठ अभियन्ता	981	109549
12	श्री राजेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	983	128703
		कुल जोड़	**1475899**

6 उपदान निधि

हिमुड़ा द्वारा उपदान निधि के वर्ष 2014-15 से संबन्धित प्रस्तुत तुलन पत्र (**Balance Sheet)** व वित्तीय विवरणियों **(परिशिष्ट-घ)** का उपलब्ध करवाये गए अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई **,** जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(क) बैंक समाधान विवरणी

(**i**) बैंक पास बुक अनुसार दिनांक 31.3.201**5** को यूको बैंक बचत खाता संख्या**: 09810100008419** में अन्त शेष जमा राशि **135490.77**

(**ii**) रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31.3.201**5** को अन्त शेष राशि **135491.00**

अंतर **0.23**

अंतर के कारण

बैंक पास बुक व रोकड़ बही के शेष में ₹**0.23** का अंतर दिनांक **01.04.14** से पूर्व से चला आ रहा है तथा जिसका समाधान करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। ।

(ख) रोकड़ बही में दिनांक 31.3.2015 **को रोकड़ के ऋणात्मक अन्त शेष से सम्बन्धी अनियमितता**

रोकड़ बही में दिनांक 31.3.2015 को रोकड़ का ऋणात्मक अन्त शेष (-) ₹8 दर्शाया गया था, जोकि अनियमित है क्योंकि रोकड़ का कभी भी शेष ऋणात्मक नही हो सकता। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए उचित समाधान किया जाये तथा भविष्य में ऐसी अनियमितता की पुनरावृति न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) विभिन्न लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाई गयी राशि यों के सम्बन्ध में स्वतः स्पष्ट अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे:-

लेखा शीर्षक	राशि	विवरण
Audit Fees	5,618	आय एवं व्यय खाता की व्यय साइड दर्शाया गया हैं।
Legal Fees	2,500	आय एवं व्यय खाता की व्यय साइड दर्शाया गया हैं।
Policy Premium	241077	आय एवं व्यय खाता की व्यय साइड दर्शाया गया हैं। इन व्ययों के संबंध में कोई स्वत: स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया था तथा न ही इस व्यय से संबन्धित कोई वाउचर अंकेक्षण में जाँच के लिए उपलब्ध करवाया गया। अत: इस संबंध में आवश्यक अभिलेख आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) लेखों में ₹21630 के लेन-देन की गलत classification करने सम्बन्धी अनियमितता (वाउचर संख्या:68 दिनांक 23-12-14 ₹85790)

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि भारतीय जीवन बीमा निगम की Policy के अंतर्गत मृत्यु उपदान की ₹64160 के अतिरिक्त जीवन बीमा के देय लाभों के रूप में ₹21630 भी प्राप्त हुई थी, जोकि स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी, बेलदार को देय थी।। उक्त वर्णित देय राशि को रोकड़ बही में तो सही लेखा शीर्ष GGCA(Trust)A/c के अंतर्गत वर्गीकृत करके Cr. किया गया था किन्तु वित्तीय विवरणियों में इस राशि को तुलन पत्र की दायित्व तरफ Payable A/c में दर्शाने की अपेक्षा आय व व्यय विवरण में Income A/c में दर्शाया गया, जोकि अनियमित है जिसके कारण व्यय की तुलना में आय की अधिकता, तथा उपदान निधि की जमा व दायित्वों की राशि को निधि की वित्तीय विवरणियों में वास्तविकता से अधिक दर्शाया गया है तथा इस कारण से वर्णित तुलन पत्र एवं आय व व्यय लेखा निधि की सही स्थिति परिलक्षित नहीं करती है।। अतः लेखों में त्रुटियों का आवश्यक सुधार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ड़) वित्तीय कुप्रबंधन के कारण ₹0.54 लाख के ब्याज की आय से वंचित रहना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.201 5 को उपदान निधि के यूको बैंक बचत खाते में ₹12.08 लाख की बड़ी रकम शेष जमा थी तथा इस बचत खाते में अंकेक्षण अवधि के दौरान 4% की दर से निम्न विवरण अनुसार ₹51666 ब्याज के रूप में अर्जित/प्राप्त हुई थी । यदि ।कुशल वित्तीय प्रबंधन से बचत खाते में जमा राशि यदि 8% की अपेक्षित दर से सावधिक जमा में निवेशित

होती तो निम्न विवरण अनुसार ₹53712 के व्याज से अतिरिक्त आय हो सकती थी, परन्तु वित्तीय कुप्रबंधन के कारण लगभग ₹53712 के ब्याज से आय से वंचित रहना पड़ा, जोकि सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन के चलते आसानी से रोकी जा सकती थी।

बैंक का नाम	4% की दर से अर्जित/ प्राप्त ब्याज की राशि		8% की दर से सावधिक जमा में निवेश पर ब्याज की जो राशि अर्जित होती	ब्याज से आय की हानि की सम्भावित राशि
	अवधि	**ब्याज की राशि**		
UCO bank-Nigam Vihar / 09810100008419	01.04.14 to 31.03.15	07.07.14=28615 12.01.15=23051 Total = **51666**	105378	**53712**

अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में सम्बन्धित निधि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिक्य राशि को सावधिक जमा योजना में निवश करना सुनिश्चित किया जाये ताकि ब्याज से आय की हानि भी न हो व् पेंशन निधि की वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ हो।

(च) उपदान निधि की खाता बही का निर्माण न करना

उपदान निधि के लिए अलग से रोकड़ बही का रख-रखाव तो किया गया था, किन्तु खाता बही का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था, जिसके अभाव में निधि की वित्तीय विवरणियों में प्रत्येक लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गये शेषों की सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी।। अतः परामर्श दिया जाता है कि उक्त वर्णित महत्वपूर्ण अभिलेख को तुरन्त तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि उपदान निधि से संबन्धित समस्त लेखों की अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव हो तथा साथ में किसी भी प्रकार की अनियमितता से भी बचा जा सके इस संदर्भ में कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।।

7 Leave Encashment निधि

हिमुड़ा द्वारा कर्मचारियों की **Leave Encashment** निधि के वर्ष 2014-15 से संबन्धित प्रस्तुत तुलन पत्र (**Balance Sheet**) व वित्तीय विवरणियों **(परिशिष्ट-ड़)** का संबन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई **,** जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(क) कर्मचारियों की Leave Encashment निधि की रोकड़/खाता बही का निर्माण न करना

Leave Encashment निधि के लिए अलग से रोकड़ व खाता बही का निर्माण नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.13 से 31.03.14 तक के पैरा संख्या 32(i) द्वारा भी अवगत करवाया गया था, किन्तु इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही न करना एक गंभीर चिंता का विषय है।। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि उक्त वर्णित महत्वपूर्ण अभिलेख को तुरन्त तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि Leave Encashment निधि से संबन्धित समस्त वित्तीय लेन-देन की अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव हो सके तथा साथ में किसी भी प्रकार की अनियमितता से भी बचा जा सके। इस संदर्भ में कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।।

(ख) तुलन पत्र को तुलनात्मक रूप में तैयार न करने बारे

Leave Encashment Fund के वर्ष 2014-15 के तुलन पत्र के अवलोकन करने पर पाया गया कि इसे तुलनात्मक रूप (Comparative Form) में तैयार नहीं किया गया था अर्थात वित्तीय वर्ष 2014-15 के तुलन पत्र में वित्तीय वर्ष 2013-14 के तुलन पत्र की मदें नहीं दर्शाई गईं थीं, जबकि व्यवसायिक लेखा पद्धति के नियमानुसार ऐसा करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.13 से 31.03.14 तक के पैरा संख्या 32(ii) द्वारा भी अवगत करवाया गया था किन्तु उसके बावजूद भी इस संदर्भ में कोई कार्यवाही न करना अनियमित है।। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार तुलन पत्र की संपत्ति एवं दायित्व की मदों को तुलनात्मक रूप में दर्शाकर तुलन पत्र तुलनात्मक रूप (Comparative Form) में तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) निधि के लेखो व वित्तीय विवरणियों में Leave Encashment के रूप भुगतान की गई ₹126.85 लाख का लेखांकन न करना

अंकेक्षण के दौरान हिमुडा के वर्ष 2014-15 के तुलन पत्र एवं आय व व्यय लेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में कर्मचारियों को अर्जित अवकाश भुनाने की एवज में ₹1,26,85,124 का भुगतान किया गया था, किन्तु Leave Encashment Fund के वर्ष 2014-15 के लेखो व वित्तीय विवरणियों में वर्णित भुगतान की राशि का लेखांकन ही नहीं किया गया था , जैसा कि निधि एवं तुलन पत्र एवम आय व व्यय लेखा से भी स्पष्ट विदित होता है, क्योंकि इनमें Leave Encashment के भुगतान की राशि को "शून्य"' दर्शाया गया है जोकि अनियमित है, जिसके कारण व्यय की तुलना में आय को अधिक निधि का जमा व दायित्वों की राशि को निधि की वित्तीय विवरणियों में वास्तविकता से अधिक दर्शाया गया है तथा इस कारण से वर्णित एवं पत्र एवं आय व व्यय लेखा निधि की सही स्थिति परिलक्षित नहीं करते है। । अतः लेखों में त्रुटियों का आवश्यक सुधार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 हिमुड़ा मुख्यालय के बैंको की बैंक समाधान विवरणी

(क) विभिन्न बैंकों के अन्त शेष में पाई गई ₹642.45 लाख के अन्तर का समाधान न करना

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान हिमुड़ा मुख्यालय द्वारा 23 विभिन्न बैंकों में चालू/वचत खातों का परिचालन किया गया था। दिनांक 31-03-15 को रोकड बही व बैंक शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में केवल 16 बैंकों की ही बैंक समाधान विवरणियां अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई जो कि

परिशिष्ट-'ड़-1" पर संलग्न हैं तथा जिनके सम्बन्ध में टिप्पणियों/आपप्तियों सहित विवरण निम्न प्रकार दिया गया है। शेष 7 बैंकों की समाधान विवरणि यों बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या हिमुडा /01/2016, दिनांक 2 2.4.16, 2/2016, दिनांक 02.05.16, 6/2016, दिनांक 19.05.16, 16/2016, दिनांक 31.05.16 व 20/2016, दिनांक 09.06.16 द्वारा तथा बार-बार मौखिक रूप से मांगने पर भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गयी , जिसके अभाव में रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष में अन्तर की ₹**6,42,44,843.93** की अपेक्षित सत्यापना अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। ।इस प्रकार अपेक्षित अभिलेख

अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना तथा इतनी अधिक राशि का लेखों में समाधान न करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर चिन्ता का विषय भी है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की गम्भीर अनियमितता/ दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त पायी गयी गम्भीर त्रुटि व अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा रोकड़ बही तथा बैंक खातों में पाई गई अन्तर की ₹**6,42,44,843.93** का शीघ्र समाधान करना सुनिश्चित किया जाये।

क्रम संख्या	बैंक का नाम तथा खाता संख्या	रोकड़ बही अनुसार शेष	बैंक के अनुसार शेष	अंतर	अभियुक्ति
1	Axis Bank (D/S) 913020033903971	950876.00	1359589.48	**408713.48**	
2	Axis Bank (Current /c) 050010200000912	3481735.09	4583662.29		
	Axis Bank (Saving A/c) 050010100045225		1914551.22	**3016478.42**	
	जोड़	**3481735.09**	**6498213.51**		
3	UBI Bank 309504010018077	5741075.09	7579724.23Cr.	**53126446.66**	रोकड़ बही में दोनों बैंक खातों का एक ही कॉलम बनाया गया था अतः सुझाव दिया जाता है कि दोनों बैंक खातों का रोकड़ बही में अलग-2 कॉलम बनाया जाये
	UBI Bank 309504010032037		54965095.80Dr.		
	जोड़	5741075.09	**47385371.57Dr.**		
4	Uco Bank 09810200000049	8045271.18	15716904.71	**7671633.53**	
5	पंजाब नेशनल बैंक, कुसुम्पटी, शिमला	21571.84	बैंक अनुसार शेष का बैंक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।	**21571.84**	
		कुल जोड़ (1) से (5)		**6,42,44,843.93**	

(ख) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दी माल शिमला (मुख्य शाखा खाता संख्या: 10835924576)

दिनांक 31-03-2015 को रोकड बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:-

रोकड वही अनुसार शेष	बैंक अनुसार शेष	अन्तर
846669.71	1918534.71	1071865.00

उक्त अन्तर के सम्बन्ध में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर निम्न आपत्तियाँ पाई गई:-

(i) अनुचित रूप से ₹ 494882.00 डेबिट किया जाना

बैंक द्वारा निम्नलिखित राशियाँ डेबिट की गई थीं, जबकि रोकड़ बही में इस प्रकार की कोई भी प्रविष्टि भुगतान काल्म में नहीं पाई गई तथा न ही इस राशि का कोई समाधान किया गया था। अत: सुझाव दिया जाता है कि उक्त राशियों के समाधान हेतु मामला बैंक से उठाया जाए व आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	चैक संख्या /दिनांक	बैंक द्वारा डेबिट/ नाम डाली गई राशि
1	27.9.2009 का शेष	50000
2	चैक संख्या 381790, दिनांक 16.01.04/ 23.12.03	2000
3	चैक संख्या 144605, दिनांक 13.4.2004	257804
4	चैक संख्या शून्य दिनांक 17-05-2003	4055
5	बैंक समाधान विवरण 2004-05 अनुसार अंतर	181023
	कुल जोड़	**494882**

(ii) बैंक द्वारा क्रेडिट की गई ₹ 6,63,174 का समाधान न करना

निम्नलिखित राशियाँ बैंक समाधान विवरणी में जमा की गई थी अर्थात यह राशियाँ बैंक द्वारा तो जमा/क्रेडिट थी, परन्तु रोकड बही में ये राशियाँ जमा नहीं पाई गई न ही इन राशियों का विस्तृत विवरण बैंक समाधान विवरणी में दिया गया था जो कि अपने-आप में ही एक अनियमित है। अत: बैंक द्वारा उपरोक्त क्रेडिट के सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रमांक	विवरण	राशि
1	वर्ष 2003-2004 (पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है)	63,174
2	29.09.14	6,00,000
	कुल जोड़	**6,63,174**

(iii) बैंक द्वारा ₹ 3777.00 का क्रेडिट न दिया जाना

बैंक समाधान विवरणीनुसार निम्नलिखित चैक बैंक में जमा करवाए गए , परन्तु बैंक द्वारा इनके एवज में क्रेडिट नहीं दिया गया है।

क्रमांक	चैक संख्या/ दिनांक व बैंक का नाम	चैक को बैंक में जमा करने कि तिथि	राशि
1	448840 दिनांक 01-12-2004, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	04-12-2004	1494
2	349286 दिनांक 04-12-2004 आई.सी.आई.सी. आई. बैंक	04-12-2004	2283
	कुल जोड़	**कुल**	**3777**

अत: बैंक द्वारा क्रेडिट न दिये जाने के सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iv) बैंक द्वारा ₹ 435501 को घटाना/कम करना

निम्नलिखित राशियाँ बैंक समाधान विवरणी में घटाई गई है , परंतु बैंक समाधान विवरणी में इस संदर्भ में पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है न ही इन राशियों का कोई समाधान किया गया है। अत: बैंक द्वारा कम की गई राशियों के सम्बन्ध में मामला संबन्धित बैंक से उठाया जाए व वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए जिसका पूर्ण विवरण निम्नलिखित है:-

क्रमांक	**विवरण जैसा कि बैंक समाधान विवरणी में दिया गया था**	**राशि**
1	कोई विवरण नहीं दिया गया है	298382
2	बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया है	113940
3	कोई विवरण नहीं दिया गया है	23179
	कुल योग	**435501**

(v) रोकड़ बही में दर्ज की गई गलत ₹1335179 का समाधान न किया जाना

बैंक समाधान विवरणी में ₹ **1335179** जमा की गई दर्शाई गई थी, अर्थात यह राशियाँ रोकड़ बही में वाऊचर संख्या 1931 के अंतर्गत दिनांक 21.02.15 को जमा की दर्शाई गई थी , परन्तु वास्तविक रूप से बैंक खाते में यह राशि नहीं थी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण से चर्चा के दौरान सम्बन्धित कर्मचारी ने सूचित किया कि वास्तविकता में यह लेन-देन हुआ ही नहीं है अपितु वाऊचर संख्या 699 दिनांक 17.07.14 द्वारा पूर्व में किये गये लेन-देन की गलती से दोबारा रोकड़ बही में भुगतान की प्रविष्टि की गई है।। इस अनियमितता के कारण चूँकि Acquisition of land Bhatoli Khurd-Baddi(**Current Assets**) को ₹1312000 तथा Interest on saving A/c(**Profit&Loss A/c**) को ₹23179 से गलत Debit किया गया था, जिससे हिमुडा की आय, शुद्ध लाभ, देनदारी को लाभ-हानी खाता/तुलन पत्र में कम करके दर्शाया गया है तथा इसलिए वित्तीय विवरणियां हिमुड़ा की सही स्थिति परिलक्षित नहीं करती हैं । अतः उक्त पाई गयी त्रुटि का समाधान रोकड़ बही/लेखों में तुरन्त किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(vi) Bank charges की ₹ 618 का समाधान न करना

बैंक समाधान विवरणी अनुसार के bank charges की ₹618 बैंक द्वारा दिनांक 12.03.15 को डेबिट की गई थी परंतु रोकड़ वही में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी।। अत: इस संदर्भ में लेखों में आवश्यक समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) पंजाब एंड सिंध बैंक, दी रिज शिमला (खाता संख्या 01711100001102)

दिनांक 31-03-2015 को रोकडवही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:-

रोकडवही अनुसार शेष	**बैंक अनुसार शेष**	**अन्तर**
228184.54	228184.54	Nil

(घ) आई. सी. आई. सी. आई. बैंक, दी मॉल, शिमला (खाता संख्या 635305000168)

दिनांक 31-03-2015 को रोकडवही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:-

रोकडवही अनुसार शेष	बैंक अनुसार शेष	अन्तर
394084.17	394084.17	Nil

(ड़) आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰बैंक, दि मॉल शिमला (चालू खाता संख्या 635305001255)

दिनांक 31-03-2015 को रोकड वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:-

रोकड वही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
2263186.64	2300820.64	37634.00

उक्त अन्तर के सम्बन्ध में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर निम्न आपत्तियाँ पाई गई:-

(i) जारी चैकों की ₹37754 का बैंक द्वारा भुगतान न करना

हिमुडा द्वारा निम्न विवरण अनुसार विभिन्न चैक भुगतान हेतु जारी किए गए थे , परन्तु दिनांक 31.3.2015 तक बैंक से इन चैकों का भुगतान नहीं हुआ था तथा वैसे भी वर्णित चैक अब कालातीत भी हो चुके है। अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन के उपरांत देनदारी की वस्तु स्थिति का पता लगाकर या तो भुगतान चैक की तिथि Revalidate revalidateकी जाये अन्यथा चैक की reverseReverse प्रविष्टि करके लेखों में आवश्यक समाधान किया जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रमांक	चैक संख्या	दिनांक	राशि
1	412365	07.06.13	4500
2	817602	14.08.13	16000
3	817636	30.09.13	462
4	828383	06.09.14	16792
	कुल योग		**37754**

(ii) रोकड़ वही में ₹120 की दो वार गणना करना

बैंक समाधान में विवरणी के अनुसार रोकड़ वही में चैक सं. 817656 दिनांक 4.10.13 को दो वार वाउचर सं 1356/02.11.13 तथा वाउचर सं.1595/16.12.13 द्वारा आय के रूप में गणना में लिया गया है, जिस त्रुटी का दिनांक 31.03.15 तक सुधार नहीं किया गया था । ।अतः उक्त वर्णित अनियमितता का अब लेखों में आवश्यक समाधान करके कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(च) एच॰डी॰एफ़॰सी॰ बैंक, दी मॉल शिमला (खाता संख्या 05242320000112)

दिनांक 31-03-2015 को रोकडवही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:-

रोकड वही अनुसार शेष	बैंक अनुसार शेष	अन्तर
3024770.21	2763270.21	261500.00

उक्त अन्तर के सम्बन्ध में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर निम्न आपत्तियाँ पाई गई:-

(i) जमा करवाई गई ₹ 133100/- के ड्राफ्ट का बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया जाना

ड्राफ्ट संख्या 06182 , दिनांक 8.10.2006 द्वारा ₹133100/- बैंक में जमा करवा ई गई थी, परन्तु बैंक द्वारा इसके एवज में क्रेडिट नहीं दिया गया था। अत: बैंक द्वारा ड्राफ्ट की ₹133100.00 का क्रेडिट न देने सम्बन्धी मामला बैंक प्राधिकारी से उठाया जाए व राशि को ब्याज सहित बैंक खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) बैंक द्वारा वर्ष 2009-10 में ₹128900 को अनुचित रूप से डेबिट/नाम किया जाना

बैंक द्वारा वर्ष 2009-10 में ₹128900 अनुचित रूप से डेबिट /नाम की गई थी , जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या	दिनांक	राशि जो बैंक द्वारा डेबिट की गई है
1	07-08-2009	86400
2	09-10-2009	42500
	कुल योग	**128900**

अतः इस सम्बन्ध में मामला उचित समाधान हेतु बैंक से उठाया जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) वर्ष 2014-15 में ₹ 500 का बैंक द्वारा क्रेडिट दिए जाने बारे

बैंक द्वारा वर्ष 2014-15 में ₹ 500 का निम्नविवर्णानुसार क्रेडिट दिया गया था , किन्तु रोकड़ बही में इस राशि की गणना नहीं की गई थी जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा रोकड़ बही में इस राशि की गणना करके इस त्रुटि का आवश्यक समाधान किया जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रम संख्या	दिनांक	बैंक द्वारा क्रेडिट राशि
1	22.3.2015	100
2	24.3.2015	400
	कुल जोड़	**500**

(छ) केनरा बैंक, दी मॉल शिमला (खाता संख्या 1964201000311)

दिनांक 31-03-2015 को रोकड वही के अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:-

रोकड वही अनुसार शेष	बैंक अनुसार शेष	अन्तर
903880	890430	13450

उक्त अन्तर के सम्बन्ध में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर निम्न आपत्तियाँ पाई गई:-

(i) कालातीत हो चुके ₹16550 के जारी चैकों का दिनांक 31.03.15 तक समाधान नहीं किया जाना

हिमुडा द्वारा निम्न विवरण अनुसार विभिन्न चैक भुगतान हेतु जारी किए गए थे परन्तु दिनांक 31.3.2015 तक बैंक से इन चैकों का भुगतान नहीं हुआ था तथा वैसे भी वर्णित चैक अब कालातीत भी हो चुके है। अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन के उपरांत देनदारी की वस्तु स्थिति का पता लगाकर या तो भुगतान चैक की तिथि revalidate Revalidate की जाये अन्यथा चैक की Reverse

प्रविष्टि करके लेखों में आवश्यक समाधान किया जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रमांक	**चैक संख्या**	**दिनांक**	**राशि**
1	700512	01.07.14	8200
2	700536	04.08.14	60
3	700521	04.08.14	90
	700524	04.08.14	8200
		कुल जोड़	**16550**

(ii) रोकड़ बही से ₹ 30,000 का समाधान न किया जाना

बैंक समाधान विवरणी के अनुसार चैक संख्या 913988 द्वारा ₹ 30,000 बैंक द्वारा डेबिट की गई थी तथा रोकड़ बही में इस प्रकार की कोई भी प्रविष्टि भुगतान कालम में नहीं पाई गई थी न ही इस राशि का कोई समाधान किया गया था। अत: सुझाव दिया जाता है कि इस संदर्भ में पूर्ण छानबीन के उपरांत वर्णित ₹ 30,000 का आवश्यक समाधान/ लेखांकन लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ज) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (ईस्ट), शाखा हि०प्र० सचिवालय (खाता संख्या 55069385958)

दिनांक 31-03-2015 को रोकड बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:-

रोकड वही अनुसार शेष	**बैंक अनुसार शेष**	**अन्तर**
671120.31	1948873.31	1277753.00

उक्त अन्तर के सम्बन्ध में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर निम्न आपत्तियाँ पाई गई:-

(i) रोकड़ वही में ₹ 49500 का समाधान न करना

बैंक समाधान विवरणी में ₹49500 जमा की गई दर्शाई गई थी अर्थात यह राशियाँ बैंक में तो जमा/क्रेडिट थी, परन्तु रोकड़ वही में जमा नहीं थी। विस्तृत जांच पड़ताल में पाया गया कि बैंक में दिनांक 16-01-2011 को ₹549500 जमा थी परन्तु रोकड बही में ₹500000 ही जमा पाई गई। अत: शेष राशि ₹49500 का रोकड़ बही में आवश्यक लेखांकन करके कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) रोकड़ वही में ₹16688 का न घटाया जाना

बैंक समाधान विवरणी में ₹ 16688 घटाई गई थी अर्थात यह राशियाँ बैंक द्वारा डेबिट की गई थीं परन्तु रोकड़ बही से नहीं घटाई गयी थीं। विस्तृत जांच पड़ताल में पाया गया कि बैंक द्वारा दिनांक 21-09-2012 को ₹11030 व ₹5658 गलत नाम (डेबिट) की गई थी , जिस सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व लेखों में आवश्यक समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iii) रोकड़ वही में ₹1166489 का समाधान न करना

बैंक समाधान विवरणी के अनुसार की निम्न विवर्णानुसार बैंक द्वारा समय-समय पर दिये गए ₹ 1166489 के क्रेडिट बैंक में सीधे जमा करवाई धन राशियो से संबन्धित है अर्थात यह राशियाँ बैंक में तो जमा/क्रेडिट है परन्तु दिनांक 31.3.201 5 तक रोकड़ बही में जमा नहीं पाई गई । अतः इन राशियों का विस्तृत विवरण इनका रोकड़ बही में लेखांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

क्रमांक	दिनांक	राशि
1	Cr. given by bank on17.2.2014(Instalment HMR)	511000
2	ब्याज 30.6.2013	27751
3	ब्याज 31.12.2013	28361
4	ब्याज 30.6.2014	308519
5	ब्याज 31.12.2015	124691
6	Cash deposit 12.7.14	33967
7	Cash TRF NEFT 28.7.14	53124
8	Cash TRF NEFT 4.8.14	39538
9	Cash TRF NEFT 5.8.14	39538
	कुल जोड़	**1166489**

(iv) कालातीत चैकों की ₹ 78620 का लेखों में समाधान न करना

हिमुडा द्वारा निम्न विवरण अनुसार विभिन्न चैक भुगतान हेतु जारी किए गए थे , परन्तु दिनांक 31.3.2015 तक बैंक से इन चैकों का भुगतान नहीं हुआ था तथा वैसे भी वर्णित चैक अब कालातीत भी हो चुके है। अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन के उपरांत देनदारी की वस्तु स्थिति का पता लगाकर या तो भुगतान चैक की तिथि Revalidate revalidateकी जाये अन्यथा चैक की Reverse प्रविष्टि करके लेखों में आवश्यक समाधान किया जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रमांक	चैक संख्या/दिनांक	राशि
1	362838 dt. 31.1.14	78200
2	435559 dt.01.10.14	300
3	435563 dt.01.10.14	30
4	435886 dt.31.10.14	90
	कुल जोड़	**78620**

(v) Bank charges की ₹ 168 का समाधान न करना

बैंक समाधान विवरणी के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 12.07.14 को **₹168** के bank charges डेबिट किए गए थे, परंतु रोकड़ वही में इनकी कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी।। अत: इस संदर्भ में लेखों में आवश्यक समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(झ) पंजाब नेशनल बैंक, मुख्य शाखा, दी मॉल शिमला (खाता संख्या 0427002100503905)

दिनांक 31-03-2015 को रोकड बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:-

रोकड वही अनुसार शेष	बैंक अनुसार शेष	अन्तर
1049501.74	1085148.74	35647.00

उक्त अन्तर के सम्बन्ध में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर निम्न आपत्तियाँ पाई गई:-

(i) रोकड़ वही में ₹2370 का समाधान न करना

बैंक समाधान विवरणी में ₹2370 घटाई गई थी अर्थात यह राशि बैंक द्वारा दिनांक 15.6.2005 को डेबिट की गई थी, परन्तु रोकड़ वही में इस राशि की कोई प्रविष्टि नहीं थी। अतः इस सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व लेखों में आवश्यक समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) रोकड़ वही में ₹ 138000 का समाधान न करना (चैक सं. 598134 दिनांक 24.05.2007)

बैंक समाधान विवरणी में ₹138000 घटाई गई थी अर्थात यह राशि बैंक द्वारा दिनांक 24.5.2007 को डेबिट की गई थी, परन्तु रोकड बही में इस राशि की कोई प्रविष्टि नहीं थी। अतः इस सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व पूर्ण छान-बीन करके लेखों में आवश्यक समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) बैंक खाते में ₹38400 का समाधान न करना

बैंक समाधान विवरणी में ₹38400 घटाई गई थी अर्थात यह राशि प्राप्ति वाउचर संख्या 574, द्वारा दिनांक 18.5.07 को रोकड़ बही में जमा की गई दर्शाई गई थी, परन्तु वास्तविक रूप से बैंक खाते में जमा नहीं थी, जिस सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व पूर्ण छान-बीन करके लेखों में आवश्यक समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iv) बैंक खाते में ₹39271 का समाधान न करना

बैंक समाधान विवरणी में ₹39271 घटाई गई थी अर्थात यह राशि बैंक द्वारा दिनांक 31.3.2008 को डेबिट की गई थी, परन्तु रोकड़ वही में इस राशि की कोई प्रविष्टि नहीं थी। अतः इस सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व लेखों में आवश्यक समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(v) बैंक द्वारा डैबिट न की गई ₹73626 का समाधान न करना

बैंक समाधान विवरणी में ₹73626 (₹44230+ ₹29396) जमा की गई थी, अर्थात यह राशियाँ रोकड़ बही में वाऊचर संख्या 4096 के अंतर्गत दिनांक 31.03.2010 को भुगतान की गई दर्शाई गई थी, परन्तु वास्तविक रूप से बैंक खाते में डेबिट नहीं थी जिस सम्बन्ध में पूर्ण छान-बीन करके लेखों

में आवश्यक समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(vi) बैंक में जमा की गई ₹180145 का रोकड़ बही में लेखांकन न करना

बैंक समाधान विवरणी में ₹180145 जमा की गई थी अर्थात यह राशियाँ बैंक खाते में जमा थीं, परन्तु रोकड़ बही में इन राशियों की कोई प्रविष्टि नहीं थी जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

दिनांक	जमा का विवरण (बैंक सारणी अनुसार)	राशि
14-01-2013	Cash deposit at Parwanoo	20720
14-01-2013	Cash deposit at Parwanoo	2425
24.9.2013	जमा का विवरण नहीं दिया गया था	78500
24.9.2013	जमा का विवरण नहीं दिया गया था	78500
	कुल योग	**180145**

अत: इस सम्बन्ध में पूर्ण छान-बीन करके आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(vii) बैंक समाधान विवरणी में दर्शाई गई ₹20 का समाधान न करना

बैंक समाधान विवरणी में वाउचर संख्या 1002 दिनाँक 20.06.2009 द्वारा ₹20 रोकड़ बही में ज्यादा डेबिट/ नाम दर्शाने के कारण जमा की गई थी , परन्तु वास्तविक रूप से बैंक खाते में इस राशि को ज्यादा डेबिट/ नाम नहीं किया गया था। अत: इस संदर्भ में लेखों में आवश्यक समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(viii) incidental charges ₹103 का समाधान न करना

बैंक समाधान विवरणी के अनुसार के बैंक द्वारा वर्ष 2013-14 Incidental Charges के रूप में निम्न विवर्णानुसार ₹ 103 डेबिट की गई थी, परंतु रोकड़ वही में इनके समाधान हेतु अभी तक कोई भी कार्रवाई नही की गई। अत : लेखों में आवश्यक समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

दिनाँक	राशि
07.07.2013	50
05.10.2013	50
03.12.2013	3
कुल योग	**103**

उपरोक्त के संदर्भ में पूर्ण छान-बीन करके लेखों में आवश्यक समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ञ) Indusind बैंक (खाता संख्या 200009262878)

दिनांक 31-03-2015 को रोकड वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:-

रोकडवही अनुसार शेष	बैंक अनुसार शेष	अन्तर
624292.75	555756.75	68536.00

उक्त अन्तर के सम्बन्ध में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर निम्न आपत्तियाँ पाई गई:-

(i) बैंक द्वारा डैबिट की गई ₹58,526 का समाधान न करना

बैंक समाधान विवरणी के अनुसार विभिन्न तिथियों को बैंक द्वारा ₹58,526 निम्न विवर्णानुसार डेबिट की गई थी, परन्तु रोकड़ वही में इस प्रकार की कोई भी प्रविष्टि भुगतान काल्म में नहीं पाई गई थी।

क्रमांक	दिनांक	राशि जो बैंक द्वारा डेबिट की गई थी	अभियुक्ति
1	16-04-2010	50,000	बैंक द्वारा चेक संख्या 570119 द्वारा बैंक खाते को डेबिट किया गया।
2	23-12-2010	2,352	बैंक द्वारा चेक संख्या 352716 द्वारा बैंक खाते को डेबिट किया गया।
3	02-11-2010	6,174	बैंक द्वारा चेक संख्या 352639 द्वारा बैंक खाते को डेबिट किया गया।
	कुल योग	**58,526**	

इस प्रकार उपरोक्त राशियों का कोई भी समाधान लेखो में नहीं किया गया था। अत: सुझाव दिया जाता है कि ₹58526 का क्रेडिट लेने हेतु मामला बैंक से उठाया जाए या इस राशि का आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) बैंक समाधान विवरणी में दर्शाई गई ₹20000 का समाधान न करना

बैंक समाधान विवरणी में "excess credit given in cash Book" के ₹20000 दिखाई गई थी , अर्थात ये राशि रोकड बही में प्राप्ति/बैंक जमा दिखाई गई है, परन्तु यह राशि बैंक में जमा नहीं पाई गई। अत: इस राशि की पूर्ण छानबीन के उपरांत लेखों में आवश्यक समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iii) बैंक द्वारा क्रेडिट/जमा की गई ₹10,000 का समाधान न करना

बैंक समाधान विवरणी में (₹5000+₹5000=₹10,000) जमा की गई दर्शाई गई थी अर्थात यह राशि दिनांक 03-05-2011 को बैंक द्वारा तो जमा/क्रेडिट दर्शाई गयी थीं , परन्तु रोकड बही में यह जमा नहीं पाई गई। अत: बैंक द्वारा क्रेडिट दर्शाई गई राशियों का लेखों में आवश्यक समाधान किया जाना सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iv) बैंक समाधान विवरणी में दर्शाई गई ₹10 का समाधान न करना

बैंक समाधान विवरणी में ₹10 घटाई गई थी अर्थात यह राशि वाउचर संख्या: 768 दिनांक 25.05.11=₹40 की रोकड़ बही में गलती से गणना करने के कारण दर्शायी गई थी ।। अत: वर्णित त्रुटि का लेखों में आवश्यक समाधान किया जाना सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ट) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, न्यू शिमला (खाता संख्या 30281134983)

दिनांक 31-03-2015 को रोकड बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:-

रोकडवही अनुसार शेष	बैंक अनुसार शेष	अन्तर
362105	362105	शून्य

(ठ) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (मुख्य शाखा खाता संख्या 55012850093)

दिनांक 31-03-2015 को रोकड बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:-

रोकड वही अनुसारशेष	बैंक अनुसार शेष	अन्तर
44236.95	38388.95	5848

उक्त अन्तर के सम्बन्ध में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर निम्न आपत्तियाँ पाई गई:-

(i) बैंक द्वारा वर्ष 2001-02 में ₹5230 का अनुचित रूप से डेबिट/नाम किया जाना

बैंक द्वारा वर्ष 2001-02 में **₹5230** अनुचित रूप से डेबिट/ नाम की गई थी, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्रमांक	दिनांक	राशि जो बैंक द्वारा डेबिट की गई है
1	24-05-2001	1865
2	13-08-2001	1500
3	11-03-2003	1865
	कुल योग	**5230**

उपरोक्त के सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आपत्ति दर्ज की गयी , परन्तु हिमुडा द्वारा अभी तक इस बारे कोई अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गयी। अतः इस सम्बन्ध में क्रेडिट/जमा लेने हेतु या समाधान हेतु मामला बैंक से उठाया जाए व की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) बैंक खाते में नियमित लेन-देन न करने के कारण ₹618 का बैंक द्वारा प्रभार लगाया जाना

बैंक में नियमित लेन-देन न करने के कारण दिनांक 20 .3.2015 को ₹ 618 का बैंक द्वारा प्रभार लगाया गया था, परन्तु दिनांक 31.3.2015 तक रोकड़ बही में इस राशि का लेखांकन नहीं किया गया था। अतः इस त्रुटि का समाधान हेतु रोकड़ बही में अपेक्षित लेखांकन करके किया जाये तथा साथ में परामर्श दिया जाता है कि यदि बैंक में कोई लेन-देन नहीं किया जा रहा है , तो खाते को बन्द किये जाने बारे विचार किया जाये ताकि उक्त वर्णित अनावश्यक बैंक प्रभारों से बचा जा सके।

(ड) हि॰ प्र॰ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, शाखा हि॰ प्र॰ सचिवालय (खाता संख्या 43520199907)

दिनांक 31-03-2015 को रोकड बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था :-

रोकडबही अनुसार शेष	बैंक अनुसार शेष	अन्तर
1844589	1778658	65931

उक्त अन्तर के सम्बन्ध में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर पाया गया कि वाऊचर संख्या 3215 दिनांक 08-02-2011 द्वारा 8842 X5000= ₹4,42,10,000 के ड्राफ्ट/चैक डिमांड सर्वे प्राप्ति के अंतर्गत बैंक में जमा करवाए गए थे, परंतु बैंक द्वारा ₹4,41,15,000 का ही क्रेडिट दिया गया था। इस प्रकार बैंक में कम ₹95000 जमा पाई गई । इस सम्बन्ध में चर्चा के दौरान बताया गया कि ₹95,000 के ड्राफ्ट/चैक बैंक द्वारा Dishonor किए गए। अत: Dishonor किए गए ड्राफ्ट/चैक का प्रमाण-पत्र बैंक से प्राप्त करके खातों में आवश्यक सामाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ढ) हि॰ प्र॰ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, शाखा छोटा शिमला (खाता संख्या 40620100386)

दिनांक 31-03-2015 को रोकड बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:-

रोकडबही अनुसार शेष	बैंक अनुसार शेष	अन्तर
1415552	1415552	शून्य

उक्त राशि को चालू खाते में रखा गया दर्शाया गया है जिसमें कोई लेन देन नहीं हो रहा है। इस संदर्भ में परामर्श दिया जाता है कि यदि बैंक में कोई लेन-देन नहीं किया जा रहा है तो खाते को बन्द किये जाने बारे विचार किया जाये ताकि बैंक खाते के अनावश्यक रख-रखाव से बचा जा सके व जमा राशि का हिमुडा के विकास में सदुपयोग हो क्योंकि इतनी बड़ी राशि को चालू खाते में जमा रखना और वह भी बिना किसी ब्याज के अर्जित किये हुए, केवल अकुशल वितीय प्रबन्धन का ही द्योतक है।। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अम्ल में लाते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ण) आई.डी.बी.आई. बैंक (खाता संख्या 139102000000198)

दिनांक 31-03-2015 को रोकडबही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:-

रोकडबही अनुसार शेष	बैंक अनुसार शेष	अन्तर
2113585	2129634	16049

उक्त अन्तर के सम्बन्ध में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर पाया गया कि बैंक समाधान विवरणी में ₹20 जमा की गई थी अर्थात वाउचर संख्या: 1652 दिनाँक 02.01.15 के अंतर्गत रोकड़ बही में ₹35,91,030 गलती से गणना में ₹35,91,050 लेने के कारण उक्त अंतर पाया गया। अत: वर्णित त्रुटि का लेखों में आवश्यक समाधान किया जाना सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(त) येस बैंक, टालैंड, शिमला (खाता संख्या 009194600000263)

दिनांक 31-03-2015 को रोकड वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:-

रोकडवही अनुसार शेष	**बैंक अनुसार शेष**	**अन्तर**
1080176.00	1288587.77	208411.77

उक्त अन्तर के सम्बन्ध में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर पाया गया कि बैंक समाधान विवरणी में दिए गये निम्न विवरण के अनुसार बैंक द्वारा ₹ 208411.77 का ब्याज प्रदान किया गया था, किन्तु दिनांक 31.03.15 तक वर्णित ब्याज जमा की रोकड़ बही में गणना नहीं की गई थी। अतः उक्त ब्याज की राशि का रोकड़ बही में गणना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वित्तीय वर्ष	**दिनाँक**	**प्राप्त ब्याज**
2013-14	31.03.14/01.04.14	12251.41
2014-15	01.7.2014	72132.39
यथोपरि	01.10.2014	49219.09
यथोपरि	31.12.2014	43477.50
यथोपरि	31.03.2015	31331.38
	कुल राशि	**208411.77**

(थ) एकसीस बैंक, कुसुम्पटी (Axis Bank, A/C No. 915020002218064)ESCROW

दिनांक 31-03-2015को रोकड बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था :-

बैंक का नाम	**रोकडवही अनुसार शेष**	**बैंक अनुसार शेष**	**अन्तर**
एकसीस बैंक (Axis Bank, **ESCROW**)	19460672	19460672	शून्य

9 मुख्य कार्यालय सावधि लेखा

मुख्य कार्यालय के सावधि लेखा की पड़ताल करने पर निम्न अंकेक्षण आपत्तियाँ पाई गई:-

(क) सावधि निवेश से सम्बन्धित आंकड़े को सावधि निवेश रजिस्टर व शैड्यूलों में स्वतः स्पष्ट रूप से न दर्शाया जाना

हिमुडा द्वारा समय-समय पर किए गए सावधि निवेशों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि किए गए निवेशो से सम्बन्धित आंकड़े यथा लागू ब्याज दर, निवेश अवधि, परिपक्वता पर बैंक द्वारा दी जाने वाली राशि तथा परिपक्वता पर बैंक द्वारा दी गई राशि, पुन: निवेश की स्थिति में लागू ब्याज की दर, समय अवधि का स्वत: स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था , जिस कारण सावधि जमा के लेखो बारे सही स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। इसके अतिरिक्त पुन: निवेशित राशियों की स्थिति के संबंध में तैयार किए गए शैड्यूलों में पूर्व अवधि के बारे उचित आंकड़े न दर्शाकर केवल मात्र वर्तमान आंकड़ों का

ही उल्लेख किया गया है । यद्यपि इस सम्बन्ध में गत वर्षों से लगातार आपत्तियाँ उठाई जा रही है , परन्तु इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही न करना एक गम्भीर अनियमिता एवं चिंता का विषय है तथा हिमुडा की लाचार कार्यशैली को परिलक्षित करता है। अतः इस संदर्भ में पुनः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता के समाधान हेतु अविलम्ब अपेक्षित कार्यवाही अमल में लायी जानी सुनिश्चित की जाए तथा इस संदर्भ में अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

(ख) बैंक द्वारा सावधिक जमा की परिपक्वता पर ₹ 0.74 का ब्याज कम देना

बैंक द्वारा सावधिक जमा की परिपक्वता पर देय राशि की अपेक्षा कम राशि का ब्याज प्रदान करने के कारण निम्न विवरण अनुसार **₹73622** का कम ब्याज प्रदान किया गया प्रतीत होता है, जिस सम्बन्ध में मामला सम्बन्धित बैंक से उठाकर तथा अपेक्षित छानबीन करके वस्तुस्थिति पता की जाये तथा कम दिए गये ब्याज की राशी को वापिस प्राप्त करके इसकी संस्था निधि की में भरपाई की जाये:-

FDR No.	Date	Name of Bank	Amount Invested	Rate of intt.	Period for which invested	Date/due amt. of maturity	Date of cr. /actual Amt. of maturity	Interest due for delayed period
994623	18.6.13	HPSCB shimla-2	5434488	9%	18.6.13 to 18.9.14	18.9.14/ 6074006	4.10.14/ 6074006	23963.20 (for 16 days)
1232499	3.2.14	K.C.C. D/shalla	10721371	9%	3.2.14 to 3.2.15	03.2.15/ 11719352	03.2.15/ 11690724	28628.00 (less interest credited)
1096299	7.2.14	HPSCB shimla-2	4143870		19.2.14 to 6.4.14	6.4.14/ 4179121	30.4.14/ 4179121	17861.44 (for 24 days)
307776	22.6.12	HPSCB shimla-2	200000	9%	22.6.12 to22.6.14	22.6.14/ 238966	9.7.14/ 238966	1060.61 (for 18 days)
308307	18.2.13	HPSCB shimla-2	450000	9%	18.2.13 to 18.5.14 4.6.14	18.5.14/ 502955	4.6.14/ 502955	2108.27(for 17 days as interest has been cr. For 5 Qtrs only)
							कुल योग	**73621.52**

(ग) वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतिम लेखों में सावधिक जमा पर प्राप्त योग्य ब्याज (interest receivables on FDRs) की ₹43.65 लाख की अधिक गणना करना

अंकेक्षण को प्रस्तुत सावधिक जमा विवरणी **(परिशिष्ट-च)** के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में सावधिक जमा पर प्राप्त योग्य ब्याज (interest receivables on FDRs) की कुल ₹3,81,43,691 थी , जिसमे से ₹43,65,689 की स्त्रोत पर आयकर की कटौती करके शेष ₹3,37,78,002 प्राप्त योग्य थी, जोकि सावधिक जमा में पुनः निवेशित राशि दर्शायी गई थी, किन्तु जरनल वाउचर संख्या: 95 दिनांक 31.3.2015 द्वारा लेखा शीर्ष में ब्याज की आय को ₹3,81,43,691 की अपेक्षा ₹4,25,09,380 तथा लेखा शीर्ष सावधिक जमा पर प्राप्त योग्य ब्याज (interest receivable on FDRs) की ₹3,37,78,002 की अपेक्षा ₹3,81,43,691 जमा/नाम (Cr./Dr.) के रूप में दर्शाई गई थी, जोकि अपेक्षित राशि से ₹43,65,689 अधिक थी।। इस अनियमितता के कारण सम्पतियों दायित्वों तथा शुद्ध लाभ की वित्तीय विवरणियों में दर्शाई गई स्थिति निम्न प्रकार से प्रभावित हुई है:-

अंतिम लेखों में गणना में ली गई राशि	वास्तविक राशि	अंतर	लेखा शीर्ष	वित्तीय विवरणियों में प्रभाव
1,44,60,010.73	1,00,94,321.73	43,65,689.00	Net Profit	Overstatement of net profit in Profit & Loss Account

1,21,94,36,499.71	1,21,50,70,810.71	43,65,689.00	Reserve & Surplus	Overstatement of Reserve & Surplus in Balance Sheet
38143691.00	3,37,78,002.00	43,65,689.00	Fixed Deposit (Interest receivable on FDRs re-invested)	Overstatement of Fixed Deposit in Balance Sheet

इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या : हिमुडा/ 14/BS/2016 दिनांक 06.06.2016 द्वारा उक्त अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों में सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था , जिसके प्रत्युतर में अर्ध शासकीय पत्र संख्या: HIMUDA/Cash/ Audit/2014-15,8951 दिनांक 28.06.16 द्वारा सूचित किया गया कि वर्णित त्रुटियों को नोट कर लिया है तथा इनका समायोजन आगामी वित्तीय वर्ष के अंतिम लेखों में कर दिया जायेगा । ।हिमुड़ा द्वारा प्रस्तुत उतर सन्तोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि यह त्रुटियाँ वित्तीय वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित है तथा इनका यथोचित सुधार भी इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए था ताकि हिमुड़ा की वित्तीय विवरणियां सही व् उचित स्थिति परिलक्षित करती । अतः उक्त वर्णित त्रुटियों का आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण करना भी सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।।

(घ) वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतिम लेखों में सावधिक जमा में निवेशित राशि/प्राप्ति योग्य व्याज/स्त्रोत पर आयकर की कटौती से सबंधित राशि की वास्तविकता से अधिक गणना करना

अंकेक्षण के दौरान जर्नल वाउचर संख्या: 95 दिनांक 31.3.2015 तथा उसके साथ में सलंग्न विवरणी तथा प्रस्तुत सावधिक जमाओं की रसीदें /बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के अवलोकन पर विदित हुआ कि विवरणी में योग व् गणना इत्यादि की विभिन्न त्रुटियों के कारण हिमुडा के वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतिम लेखों में निम्न विवरण अनुसार सावधिक जमा में निवेशित राशि/प्राप्त योग्य व्याज/स्त्रोत पर आयकर की कटौती से सबंधित राशि की वास्तविकता से अधिक गणना की गयी थी।

लेखा शीर्ष	**वास्तविक राशि**	**अंतिम लेखों में गणना में ली गई राशि**	**अंतर (₹)**	**वित्तीय विवरणियों में प्रभाव**
Opening Balance Fixed Deposit (Asset)	44,13,73,796 Dr.	44,16,06,626 Dr.	2,32,830 Dr.	overstatement of Fixed Deposits in the Assets Side of the Balance Sheet
Interest accrued/received on FDRs (Income)	3,80,58,010 Cr.	3,81,43,691 Cr.	85,681 Cr.	overstatement of income/net profit in the P & L Account as well as liability side of Balance Sheet
TDS (Prepaid)	40,76,689 Dr.	43,65,689 Dr.	2,89,000 Dr.	overstatement of current assets in the Balance Sheet
Closing Balance Fixed Deposit	43,52,11,517 Dr.	43,52,41,028 Dr.	29,511 Dr.	overstatement of Fixed Deposits in the Assets Side

(Asset)				of the Balance Sheet

इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: हिमुडा/21/BS/2016 दिनांक 09.06.2016 द्वारा इन अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था, जिसके प्रत्युतर में अर्ध शासकीय पत्र संख्या: HIMUDA/Cash/Audit/2014-15,8948 दिनांक 28.06.16 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त वर्णित त्रुटियों का समायोजन आगामी वित्तीय वर्ष के अंतिम लेखों में कर दि या जायेगा। ।हिमुडा द्वारा प्रस्तुत उक्त उतर सन्तोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि यह त्रुटियाँ वित्तीय वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित है तथा इनका यथोचित सुधार भी इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए था , ताकि वित्तीय विवरणियां हिमुडा की सही व् उचित स्थिति परिलक्षित करती। ।अतः परामर्श दिया जाता है कि इस संदर्भ में पूर्ण छानबीन के उपरांत उक्त वर्णित त्रुटियों का आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। ।

(ड़) तुलन पत्र में overdraft against FDR की ₹4.79 करोड़ को सावधिक जमा लेखा शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित करने बारे

अंकेक्षण के दौरान सावधिक जमा विवरणी, सावधिक जमा लेखा शीर्ष अनुसूची **xxv** व् तुलन पत्र के अवलोकन पर पाया गया कि overdraft against FDR की ₹4,79,34,680 की देनदारी को तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में दर्शाने की अपेक्षा परिसम्पति पक्ष में सावधिक जमा के शेष को घटाकर शुद्ध शेष राशि को सावधिक जमा लेखा शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया गया था , जिसके कारण निम्न विवरण के अनुसार तुलन पत्र में चालू दायित्व तथा परिसम्पतियों तथा दायित्वों को वास्तविकता से कम दर्शाया गया है।

लेखा शीर्ष	वास्तविक राशि	दर्शायी गयी राशि	अंतर	अभियुक्ति
Fixed Deposit (Asset)	4,39,53,4775 Dr.	39,16,00095 Dr.	4,79,34,680Cr.	Understatement of assets in the Assets Side of the Balance Sheet
Overdraft against FDR (Liability)	4,79,34,680 Cr.	Nil	4,79,34,680Cr.	Understatement of liability in the Liabilities Side of the Balance Sheet

इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: हिमुडा/15/BS/2016 दिनांक 08.06.2016 द्वारा इन अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवम सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों में सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था, जिसके प्रत्युतर में अर्ध शासकीय पत्र संख्या: HIMUDA/Cash/Audit/2014-15,8950 दिनांक 28.06.16 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त वर्णित त्रुटियों का समायोजन आगामी वित्तीय वर्ष के अंतिम लेखों में कर दि या जायेगा। ।हिमुड़ा द्वारा प्रस्तुत उक्त उतर सन्तोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि यह त्रुटियाँ वित्तीय वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित है तथा इनका यथोचित सुधार भी

इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए था ताकि वित्तीय विवरणियां हिमुडा की सही व् उचित स्थिति परिलक्षित करती।। अतः उक्त वर्णित त्रुटियों का आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 विभिन्न अग्रिमों की ₹122.42 लाख की वसूली/समायोजन न करना

Balance Sheet के साथ संलग्न विभिन्न अग्रिमों से सम्बन्धित **Schedule–XL Loans & Advances** के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित राशियां विभिन्न अग्रिमों के रूप में पिछले कई वर्षों से वसूली/समायोजन हेतु लम्बित थी। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वास्तव में यह राशियाँ कब से व किन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम से समायोजन हेतु लम्बित हैं। इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: हिमुडा/30/2016 दिनांक 14.07.2016 द्वारा इन धनराशियों को वसूल करने/समायोजन करने सम्बन्धी आवश्यक सूचना माँगी गई थी, परंतु अंकेक्षण समाप्ति तक इस संबंध में कोई सूचना हिमुड़ा द्वारा प्रदान नहीं की गई। अत: अग्रिमों की वास्तविक अदायगी का तिथिवार विवरण तैयार करके अंकेक्षण को प्रस्तुत करने के अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों/विभागों द्वारा समायोजन लेखा प्रस्तुत न किए जाने बारे भी स्थिति स्पष्ट करते हुए दिनांक 31.03.2015 तक **₹1,22,42,416.32** के वर्णित विभिन्न अग्रिमों की दण्ड-ब्याज सहित वसूली करके इनका समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।। इसके अतिरिक्त संबन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए जोकि इन अग्रिमों को समय पर समायोजित न करवाने के लिए जिम्मेदार थे । इस संदर्भ में अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अग्रिम का विवरण	प्रारम्भिक शेष 01.04. 14	अन्तः शेष 31.03.15	अभियक्ति
LTC Advance			
Dharamshala Division	1500.00 Dr	1,500.00 Dr	वर्ष 2014-15 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए।
HIMUDA Head Office	19766.50 Dr.	1,11,816.50 Dr.	
Medical Advance			
HIMUDA Head Office	151660.57Dr.	14,472.57Dr.	
Professional Course Advance	65625.00 Dr.	1,18,125.00 Dr.	
Pay Advance			
Dharamshala Division	1572.00 Dr.	1572.00 Dr.	वर्ष 2014-15 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए।
Parwanoo Division	3191.00 Dr.	3191.00 Dr.	
TA Advance			
Mandi Division	5,55,579.00 Dr.	11,15,851.00Dr.	वर्ष 2014-15 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए।
Parwanoo Division	9471.35 Dr.	9,471.35 Dr.	
HIMUDA Head Office(TTA)	3078.00 Dr.	3,078.00 Dr.	

HIMUDA Head Office(TA)	131364.15 Dr.	1,30,364.15 Dr.	
Festival Advance			
HIMUDA Head Office	1517.00 Dr.	1,667.00 Dr.	वर्ष 2014-15 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए।
Parwanoo Division	1700.00 Dr.	1,700.00 Dr.	
Hamirpur ElectricDivision	750.00 Dr.	750.00 Dr.	
Mandi Division	600.00 Dr.	600.00 Dr.	
House Building Advance			
Dharamshala	149088.00 Dr.	1,36,592.00 Dr.	
Shimla Division- I	16,27,914.00Dr.	16,27,914.00Dr.	वर्ष 2014-15 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए।
Electric Division Shimla	10,97,785.0 Dr.	10,97,785.00Dr.	
Parwanoo Division	205,749.00 Dr.	1,74,589.00 Dr.	
Shimla Division-II	847,977.00 Dr.	8,47,977.00 Dr.	वर्ष 2014-15 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए।
HIMUDA Head Office	25,72,084.00Dr.	29,66,744.00Dr.	
Motor Car / Scooter Advance			
Shimla Division- I	130,234.00 Dr.	1,30,234.00 Dr.	वर्ष 2014-15 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए।
Shimla Division-II	12742.00 Dr.	12,742.00 Dr.	
Electric Division Shimla	46400.00 Dr.	46,400.00 Dr.	
Parwanoo Division	11561.00 Dr.	11,561.00 Dr.	
Staff Advance			
Dharamshala	582,881.00 Dr.	9,12,507.00 Dr.	
Shimla Division- I	651,990.00 Dr.	4,38,859.00 Dr.	
Shimla Division-II	72,573.00 Dr.	80,052.00 Dr.	
Mandi Division	369,404.50 Dr.	63,396.50 Dr.	
Parwanoo Division	20,000.00 Dr.	49,931.00 Dr.	
Electric Division Shimla	509,467.04 Dr.	4,99,986.04 Dr.	
HIMUDA Head Office Shimla	450,921.46 Dr.	11,37,984.46Dr.	
Electric Division Hamirpur	73,506.00 Dr.	82,875.00 Dr.	
Education Loan & Advance – HIMUDA H.O. Shimla	146,250.00 Dr.	1,27,500.00 Dr.	
Imprest A/c Tehsildar,HPHB	1,000.00 Dr.	1,000.00 Dr	वर्ष 2014-15 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए।
SH.Kailash Chander, Driver (Misc.Deposit A/c PWN)	3,000.00 Dr	3,000.00 Dr	
Warm Cloth Advance			
Dharamshala Division	65,345.00 Dr.	63,433.00 Dr.	
Parwanoo Division	40,800.00 Dr.	66,225.00 Dr.	वर्ष 2014-15 के दौरान
Electric Division	9,279.00 Dr.	9279.00 Dr.	

Hamirpur			समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए।
Shimla Division-I	93,610.00 Dr.	72,460.00 Dr.	
Shimla Division -II	35,175.00 Dr.	27,975.00 Dr.	
HIMUDA Head Office Shimla	40,062.75 Dr.	37,308.75 Dr.	
Mandi Division	1948.00 Dr.	1948.00 Dr.	वर्ष 2014-15 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए।
कुल योग	**1,12,80,472.32Dr.**	**1,22,42,416.32Dr.**	

11 मुद्रण व लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश के खाते में अग्रिम ₹0.84 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना

लेखा शीर्ष **"Advance to Printing & Stationery Deptt." (Schedule – XL Loans & Advances)** के अवलोकन करने पर पाया गया कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश के नाम दिनांक 31.03.15 तक अग्रिम ₹83649.94 समायोजन हेतु शेष थी तथा वर्ष 2003-2004 से इस राशि की स्थिति निम्न प्रकार थी:-

खाता बही पृष्ठ संख्या	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	अग्रिम राशि	वर्ष में समायोजित राशि	वर्षान्त में बकाया
485	2003-2004	-	1,66,342.94	1,01,740.00	64,602.94
491	2004-2005	64,602.94	1,85,593.00	2,06,307.00	43,888.94
404	2005-2006	43,888.94	2,00,000.00	1,81,218.00	62,670.94
121	2006-2007	62,670.94	2,50,000.00	2,39,020.00	73,650.94
472	2007-2008	73,650.94	3,75,000.00	3,14,135.00	1,34,515.94
437	2008-2009	1,34,515.94	3,50,000.00	1,39,788.00	3,44,727.94
562	2009-2010	3,44,727.94	3,00,000.00	2,86,756.00	3,57,971.94
523	2010-2011	3,57,971.94	1,50,000.00	1,35,896.00	3,72,075.94
445	2011-2012	3,72,075.94	2,00,000.00	2,80,389.00	2,91,686.94
-	2012-2013	2,91,686.94	2,55,000.00	2,68,864.00	2,77,822.94
-	2013-2014	2,77,822.94	80,000.00	1,71,979.00	1,85,843.94
-	2014-2015	1,85,843.94	-	102194.00	**83649.94**

उपरोक्त विवरण से स्वत: स्पष्ट होता है कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के पास पूर्व की असमायोजित राशियाँ होने पर भी उनको अग्रिम राशियों का भुगतान किया गया था तथा उक्त विभाग के नाम दिनांक 31.03.15 तक असमायोजित ₹83649.94 थी। अतः मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के साथ लम्बी अवधि से इस राशि का समायोजन न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। इस

संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या:हिमुडा/ 30/2016 दिनांक 1 4.07.2016 द्वारा वस्तु स्थिति बारे अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु कहा गया था परंतु अंकेक्षण समाप्ति तक इस संदर्भ में ऐसा कोई भी प्रत्युतर प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति उठाई जाती रही है फिर भी इन राशियों के समायोजन हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अत: उपरोक्त वर्णित अनियमितता उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता हैं कि उक्त वर्णित असमायोजित शेष राशि के बारे में मुद्रण लेखन एवं सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश से वित्तीय वर्ष के अंत में प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए जिससे इस अंत शेष की सत्यता प्रमाणित हो सके तथा इस राशि का यथाशीघ्र समायोजन किया जाए।

12 आयकर की असमायोजित ₹1341.91 लाख का निर्धारण/समायोजन न करवाना

वित्तीय वर्ष 2014-15 की **Balance Sheet के Current Assets के Schedule- XXXII** में "**Income Tax Recoverable From IT Department**" लेखा शीर्षक के अंतर्गत ₹ **13,41,91,434.98** दर्शाई गई थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि यह राशि वित्तीय वर्ष 2005-06 से लम्बित चली आ रही है, जिसका विवरण निम्न दिया गया हैं । आयकर विभाग को विभिन्न वर्षो के दौरान इतनी बड़ी राशि का स्त्रोत/अग्रिम रूप में भुगतान करके लम्बे समय तक आयकर विभाग के साथ अपनी आयकर देनदारी का निर्धारण/समायोजन नहीं करवाना अपने आप में एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: हिमुडा/30/2016 दिनांक 14.07.2016 द्वारा उक्त वर्णित स्थिति को तथ्यों व् आंकड़ों सहित स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, परंतु अंकेक्षण समाप्ति तक हिमुडा से ऐसा कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इस संबंध में पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनो में भी आपत्ति दर्ज की गई थी, परंतु वर्तमान समय तक इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। । अत: यह मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु पुन: उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि आयकर इन असमायोजित राशियों के निर्धारण/समायोजन हेतु मामला आयकर विभाग से उठाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अतिशीघ्र सूचित किया जाए।

Detail of Income Tax Recoverable From IT Department

विवरण	प्राम्भिक शेष	अन्तः शेष
TDS Recoverable from IT Deptt.	1,22,245.31 Cr.	1,22,245.31 Cr.
Income Tax on Colony(JNNURM)	16,688.00 Cr.	16,688.00 Cr.
Income Tax Recoverable From A.Y. 2006-07	50,00,000.00 Dr.	50,00,000.00 Dr.
Income Tax Recoverable From IT Deptt.(2009-10)	1,90,09,532.00 Dr.	1,90,09,532.00 Dr.
Income Tax Recoverable From IT Deptt.(2010-11)	50,26,443.00 Dr.	50,26,443.00 Dr.
Income Tax Recoverable From IT Deptt.(2011-12)	35,01,696.00 Dr.	35,01,696.00 Dr.
Income Tax Refund IT Deptt. A.Y. 2007-08)	81,27,140.00 Cr.	81,27,140.00 Cr.
TDS for the Year 2013-14	43,36,314.00 Dr	43,36,314.00 Dr.
TDS for the Year 2014-15		4365689.00Dr.
TDS on FDR Year 2012-13	36,48,755.00 Dr.	36,48,755.00 Dr.
Income Tax on Colonies Rec. from IT Deptt.(2004-05)	9,75,69,079.29 Dr.	9,75,69,079.29 Dr.
कुल योग	**12,98,25,745.98Dr.**	**13,41,91,434.98Dr.**

13 आबंटियों से ग्राऊंड रैन्ट की ₹52.52 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित विभिन्न आवास बस्तियों, कमर्शियल दुकानों एवं कार्यालयों इत्यादि के आबंटियों से ग्राऊंड रेन्ट की राशियां प्रतिवर्ष प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। ग्राऊंड रेन्ट की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि आबंटियों से दिनांक 31.03.2015 तक ₹**52,51,618** वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट- 'छ"** में संलग्न है। जाँच करने पर यह भी पाया गया कि अधिकतम राशियाँ गत 20 वर्षों से लम्बित चली आ रही है, जिसका लेखांकन तुलन पत्र में नहीं किया गया है तथा जिसकी वसूली हेतु कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए गए। इस प्रकार ग्राऊंड रैन्ट की वसूली योग्य ₹**52,51,618** का लेखांकन तुलन पत्र (बैलेन्स शीट) में न किया जाना तथा अपेक्षित राशि की वसूली न करना एक गम्भीर अनियमितता है। यद्यपि अंकेक्षण द्वारा पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी इस संदर्भ में यह आपत्ति उठाई गई थी लेकिन इसके बावजूद भी उक्त वर्णित अनियमितता के समाधान हेतु कोई ठोस कार्यवाही न करना एक गंभीर चिंता का विषय है। अतः तुलन पत्र में बकाया/अदत आय को न दर्शाए जाने तथा अनेक वर्षों से लम्बित चली आ रही ग्राऊंड रैन्ट की वसूली हेतु कोई भी ठोस प्रयास न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में लम्बित आय की वसूली हेतु ठोस पग उठाए जाएं और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 विभिन्न आवासीय बस्तीयों में आबंटित फ्लेटों की पिछले कई वर्षों से बकाया ₹448.20 लाख की वसूली न करना

आबंटियों की खाता बहियों से सम्बन्धित चयनित प्रकरणो के अभिलेख का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2015 तक विभिन्न आवासीय कलौनी में आबंटित फ्लैट/प्लाट के आबंटियों से कई वर्षों से बकाया ₹44819753 वसूली हेतु लम्बित थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट-'ज"** में दिया गया हैं। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा इस राशि की वसूली हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए गए थे, जबकि उक्त फ्लैट/प्लाट के आबंटन की शर्तों के अनुसार अपेक्षित राशि को प्राप्त न करने के कारण इनका आबंटन रद्द किया जाना व धरोहर राशि को नियमानुसार जब्त किया जाना अपेक्षित था। अत: कलौनियों के फ्लैट/प्लाट के आबंटियों से देय ₹44819753 की वसूली ब्याज सहित करने तथा जिन आबंटियों से राशि प्राप्त नहीं हो रही है, उनका आबंटन नियमानुसार रद्द करके, धरोहर राशि को नियमानुसार जब्त करने तथा रद्द किए गए फ्लैट/प्लाट को पुन: बाजार भाव पर आबंटित करने हेतु मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य आवासीय कलौनियों, जिनमें पिछले कई वर्षों से फ्लैट/प्लाट की बकाया राशि की वसूली लम्बित है, का विवरण विभागीय तौर पर तैयार करके तदानुसार नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 धरोहर की ₹47.60 लाख को जब्त न करना

विभिन्न आवास बस्तियों में आबंटित प्लाट/फ्लैट से सम्बन्धित चयनित प्रकरणो की खाता बहियों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-'झ"** के आबंटित प्लाट/फ्लैट के आबंटियों से कुल

₹66881447 की वसूली की जानी थी तथा उनसे दिनांक 31.03.2015 तक मात्र धरोहर की केवल ₹4759634 की ही प्राप्ति हुई थी तथा इस तिथि को वर्णित आबंटियों से ₹62121813 की वसूली हेतु अभी भी शेष थी। आवास बस्तियों/औद्योगिक क्षेत्र के आबंटन हेतु बनाए गए नियम 12(iii) के अनुसार "यदि आबंटियों द्वारा प्लाट/फ्लैट्स आबंटन की शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो उनके द्वारा जमा धरोहर राशि को जब्त किया जायेगा । हिमुड़ा द्वारा प्लाट/फ्लैट्स आबंटन हेतु बनाई गई शर्तों के अनुसार यदि प्लाट/फ्लैट्स का आबंटन रद्द किया जाता है, तो उस स्थिति में धरोहर राशि को जब्त करके इन प्लाट/फ्लैट्स की पुन: नीलामी करके हिमुड़ा द्वारा अधिक राशि प्राप्त की जा सकती थी। अत: उक्त वर्णित प्लाट/फ्लैट्स का आबंटन रद्द न करने व धरोहर ₹4759634 को जब्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अब वर्णित प्लाट/फ्लैट्स का आबंटन रद्द करके प्राप्त धरोहर राशि को जब्त किया जाये। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य प्रकरणों में हिमुडा द्वारा अपने स्तर पर करके अपेक्षित कार्यवाही की जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 लीज रेन्ट की ₹ 29.96 लाख की कम वसूली करने बारे

इंडस्ट्रियल/कमर्शियल प्लाट्स से सम्बन्धित खाता बहियों के चयनित प्रकरणो का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-'ञ"** पर वर्णित इन आबंटियों से नियमानुसार Lease Rent की कई वर्षों से वसूली नहीं की गई थी, जबकि संबन्धित विवरण पुस्तिकाओं में दी गयी शर्त संख्या: 14 एवं 17(5) के अनुसार इंडस्ट्रियल/कमर्शियल प्लाट के आबंटियों से पूर्ण लागत की प्राप्ति के उपरान्त ही वार्षिक दर से लीज रेन्ट की वसूली की जानी अपेक्षित थी , परिणामस्वरूप वर्णित प्रकरणों में ही दिनाँक 31.3.2015 तक लीज रेन्ट की ₹2996441 की वसूली नहीं की गयी थी, जो कि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः इस संबंध में आबंटियों से नियमानुसार Lease Rent की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इनसे देय Lease Rent की वसूली शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाये । इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य प्रकरणों में हिमुडा द्वारा अपने स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही की जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 विभिन्न आबंटियों से ब्याज की ₹3.94 लाख की वसूली न करना

विभिन्न आबंटियों के खाता बहियों के चयनित प्रकरणो का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-'ट"** पर वर्णित इन आबंटियों को प्लाटों की अंतिम लागत निर्धारित करने के उपरांत उन्हें शेष राशि जमा करने बारे सूचित किया गया था,। परन्तु इन आबंटियों, द्वारा निर्धारित किस्तों का भुगतान विलम्ब से किया गया था ।। इस प्रकार विलम्ब से जमा की गई राशियों पर भी हिमुडा द्वारा नियमानुसार देय ब्याज की कोई भी वसूली नहीं की गई थी जबकि , नियमानुसार इस तरह के मामलों में 14% की दर से ब्याज की वसूली की जानी अपेक्षित थी। । इस प्रकार उक्त वर्णित प्रकरणो में नियमों की अनदेखी करके आबंटियों द्वारा विलम्ब से भुगतान करने पर भी उनसे दिनांक 31.3.2015 तक देय ब्याज की ₹**393661** की वसूली नहीं की गई थी। अतः उक्त वर्णित देय ब्याज की वसूली न करने बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बंधित आबंटियों से तुरंत इनकी वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये तथा कृत कारवाई द्वारा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

18 आबंटियों से वर्ष के अंत में वसूली योग्य राशि (मूल एवं ब्याज) को लेखा शीर्षक "Account Receivables/Debtors" में शामिल न करने बारे

हिमुड़ा द्वारा अपने समस्त आबंटियों को आबंटित प्लाटों/फ्लैटों के संदर्भ में उनसे भविष्य में किश्तों के रूप में मूल प्राप्त योग्य राशि व विलंब से जमा राशियों पर प्राप्त योग्य ब्याज की राशियों का कोई भी विवरण/शेड्यूल तैयार नहीं किया गया था और न ही इसे तुलन पत्र में सम्पति साईड के "Account Receivables/Debtors" में शामिल किया गया था । ।चूंकि हिमुडा के अंतिम खाते दोहरी लेखा प्रणाली पर आधारित है, इस आधार पर वर्षांत में विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया जाना है तथा उनमें से कितनी राशि प्राप्त करने हेतु शेष है, उनका पूर्ण विवरण अंतिम खातों में दिया जाना अपेक्षित था, जिससे कि तुलन पत्र द्वारा हिमुडा की वास्तविक वित्तीय स्थिति परिलक्षित हो सके ,। परन्तु ऐसा कोई भी विवरण/शेड्यूल तैयार न करना तथा सम्बन्धित राशि को तुलन पत्र में न दर्शाना अपने आप में एक गंम्भीर अनियमितता है , जिसे हिमुडा के उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही करने हेतु लाते हुए यह परामर्श दिया जाता है कि प्रत्येक वर्षांत विभिन्न आबंटियों से वसूली योग्य मूल राशि तथा ब्याज की राशि का विवरण/शेड्यूल तैयार करके अपेक्षित राशि के तुलन पत्र में सम्पति साईड के "Account Receivables/Debtors" में दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये

19 विभिन्न निर्माण मंडलों के अधीन हाउसिंग कलौनियों/स्कीमों से संबन्धित से Maintenance Charges की ₹421.01 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

वित्तीय वर्ष 2014-15 की **Balance Sheet** के **Schedule XLIII – Maintenance Charges Receivable** लेखा शीर्षक के अंतर्गत **₹4,21,00,916.00 (Dr.)** में दर्शाई गई थी। निर्माण मण्डलों द्वारा इस लेखा शीर्षक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपभोक्ताओं से **Maintenance Charges** की नाममात्र या कुछ भी वसूली नहीं की गई थी, जोकि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता हैं। इस संबंध में आंकड़ों की सत्यापना करवाने हेतु तथा वर्णित स्थिति को स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: हिमुडा/30/2016 दिनांक 14.07.2016 द्वारा कहा गया था, परंतु अंकेक्षण समाप्ति तक ऐसा कोई भी प्रत्युतर प्राप्त नहीं हुआ। अत: वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान **Maintenance Charges** की नाममात्र वसूली करने को न्यायोचित ठहराया जाए और संबन्धित निर्माण मण्डलों को भी निम्न वर्णित **Maintenance Charges** की शीघ्रातिशीघ्र वसूली हेतु भी आवश्यक निर्देश दिये जाए।

Particular	**Opening Balance**	**Closing Balance**
Maintenance Charges Receivable Shimla Div. 2	26,06,251**Dr.**	26,06,251**Dr.**
Maintenance & Water Charges Receivable A/c - Shimla Div. 1	1,32,759**Dr.**	1,32,759**Dr.**
Maintenance Charges Receivable A/c	1246 **Dr.**	79736Cr.
Maintenance Charges Receivable A/c Parwanoo Division	1,22,69,837**Dr.**	25304955**Dr.**
Maintenance Charges Receivable A/c	26,86,911**Dr.**	26,86,911**Dr.**
Maintenance Charges Receivable A/c- Dharamshala Division	1,14,49,776Dr.	1,14,49,776Dr.
कुल योग	**2,91,46,780(Dr.)**	**42100916(Dr.)**

20 विभिन्न निर्माण मंडलों की हाउसिंग कलौनियों/स्कीमों/कमर्शियल प्लाटों से Water Charges की ₹10.71 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

वित्तीय वर्ष 2014-15 की Balance Sheet के **Schedule XXXIX -Water Charges Receivable** लेखा शीर्षक के अंतर्गत ₹41,29,439 (Cr.) का शेष दर्शाया गया था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में परवाणू मंडल को छोडकर अन्य तीन निर्माण मण्डलों द्वारा न तो उपभोक्ताओं से Water Charges की कोई वसूली ही की गई थी और न ही अंतिम लेखों में वित्तीय वर्ष 2014-15 में उनसे देय Water Charges हेतु Water Charges Receivable का कोई प्रावधान ही किया गया प्रतीत होता है, जबकि परवाणू मंडल द्वारा देय ₹52,00,180 से अधिक राशि प्राप्त की गई दर्शाइ गई है, जिसके कारण Water Charges Receivable का अन्तः शेष निम्न विवर्णानुसार ₹41,29,439 (Cr) हो गया, जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है तथा यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता हैं , क्योंकि वाणिज्यक लेखा पद्धति के सिद्धांतानुसार Receivable लेखा का शेष हमेशा Dr. ही होता है तथा यह कभी भी (Cr) नहीं हो सकता। अतः इस अनियमितता का मुख्य कारण या तो लेखों में Water Charges Receivable की राशि का उचित प्रावधान न करना या Water Charges के रूप में प्राप्त की गई राशि को आय लेखा शीर्षक (Cr) करने की अपेशा Water Charges Receivable लेखा शीर्षक को (Cr) करना है। ।इस अनियमितता के कारण व्यय की तुलना में आय की अधिकता, तथा Water Charges Receivable व दायित्वों की राशि को वित्तीय विवरणियों में वास्तविकता से कम दर्शाया गया है, जिसके कारण से तुलन पत्र एवम आय व व्यय लेखा हिमुडा की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करते है। । इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: हिमुडा/30/2016 दिनांक 14.07.2016 द्वारा उक्त वर्णित स्थिति के तथ्य व् आंकड़ों की सत्यापना करने हेतु कहा गया था , परंतु अंकेक्षण समाप्ति तक इस संदर्भ में ऐसा कोई भी प्रत्युतर प्राप्त नहीं हुआ। अत: वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान Water Charges की कोई भी वसूली का न दर्शाया जाना व Water Charges Receivable राशि का उचित प्रावधान न करने को न्यायोचित ठहराया जाए और संबन्धित निर्माण मण्डलों को वर्णित Water Charges की शीघ्रतिशीघ्र वसूली हेतु भी आवश्यक निर्देश दिये जाए। इसके अतिरिक्त परवाणू मंडल द्वारा Water Charges Receivable लेखा शीर्षक के अंतर्गत ₹52,00,180 का (Cr) शेष दर्शाए जाने सम्बन्धी अनियमितता का भी या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा लेखो की त्रुटियों में आवश्यक सुधार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

विवरण	प्रारम्भिक शेष	अन्तः शेष
Water Charges Receivable	9,87,638 **Dr.**	9,87,638**Dr.**
Water Charges Receivable- Shimla Div. 2	64,550 **Dr.**	64,550**Dr.**
Water Charges Receivable A/c Mandi Division	18,553 **Dr.**	18,553**Dr.**
Water Charges Receivable A/C Parwanoo Division	34,70,986 **Dr.**	52,00,180**Cr.**
कुल योग	**45,41,727 Dr.**	**41,29,439Cr.**

21 आबंटियों की खाता वहियों का दोहरी लेखा पद्धति के सिद्धांतों के अनुसार रख-रखाव न करना

आबंटियों की खाताबहियों की पड़ताल पर पाया गया कि खाता बहियों का रख-रखाव दोहरी लेखा पद्धति के सिद्धांतों के अनुसार नहीं किया गया था अर्थात जिन आबंटियों को फ्लैट/प्लाट का आबंटन किया गया, उनसे जिस तिथि को राशि देय होगी उसकी प्रविष्टि नियमानुसार डैबिट कॉलम में दर्शाई जानी अपेक्षित थी। इसी प्रकार देय किश्त की राशि समय पर प्राप्त न होने की स्थिति में उस पर देय ब्याज की प्रविष्टि भी डैबिट कॉलम में की जानी अपेक्षित थी , तथा इसके अतिरिक्त सम्बन्धित आबंटियों से मूलधन व ब्याज की जितनी राशि प्राप्त की जानी शेष थी, उसकी प्रविष्टि भी खाताबही के शेष कॉलम में दर्शाई जानी अपेक्षित थी, किन्तु हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु लाया जाता है ताकि आबंटियों के खातों का उचित जांच सम्भव होने के अतिरिक्त वित्तीय विवरणियों अर्थात तुलन पत्र/आय व व्यय के विवरण हिमुडा की वास्तविक वित्तीय स्थिति परिलक्षित कर सके। ।

22 विभिन्न विभागों से निक्षेप कार्यों (Deposit Works) हेतु प्राप्त राशि से ₹ 2522.06 लाख का अधिक व्यय करना

नियमानुसार Deposit Works लेखा शीर्षक के अंतर्गत वह राशि दर्शाई जाती हैं , जो HIMUDA के पास विभिन्न विभागों द्वारा अपने निर्माण कार्यों हेतु जमा करवाई गई थी । दिनांक 31.03.15 को Balance Sheet के **Schedule- XX 'Deposit Works A/c"** के अनुसार यह ₹461150395.45 जमा थी। उक्त वर्णित **Schedule- XX** के अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न विभागों के खातों में दिनांक 31.03.201 5 को **₹252206385.80** का शेष Debit के रूप में दर्शाया गया था , जिससे स्पष्ट विदित होता है कि हिमुड़ा द्वारा सम्बन्धित उपभोक्ता विभागों (Client Department) के निर्माण कार्य हेतु जमा राशि से अधिक राशि व्यय की गई थी और यह राशि दिनांक 31.03.15 तक वसूल नहीं की गई थी जोकि एक गंभीर अनियमितता है , क्योंकि नियमानुसार Deposit Works A/c" पर सम्बन्धित उपभोक्ता विभागों से प्राप्त जमा राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाना चाहिए और यदि अधिक व्यय भी किया गया है तो भी ऐसी राशि को अविलम्ब संबन्धित विभाग से वसूल किया जाना अपेक्षित था। इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: हिमुडा/30/2016 दिनांक 14.07.2016 द्वारा वर्णित स्थिति स्पष्ट करवाने हेतु कहा गया था , परंतु अंकेक्षण समाप्ति तक ऐसा कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अत: वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अधिक व्यय की गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र वसूल किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए और कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

विभिन्न विभागों के निक्षेप कार्यों (Deposit Works) पर प्राप्त राशि में से ₹ 252206385.80 का अधिक व्यय करने का विवरण	
निर्माण मण्डल का नाम	**दिनांक 31.03.2015 को**

	अधिक व्यय की गई कुल राशि
Admn Block Sub Jail Una	6759.00
A.E Residence at Palampur.	4960.00
AI Shed (Mandi) DW	6279104.96
AI Shed (Shimla-1) DW	2356144.00
AI Shed (Shimla -2) DW	283009.00
AI Shed Work (Pwn) DW	1122492.14
ARMO Road , Phase IV , Baddi.	502543.00
Ay. Circle Hospital at J/Nagar	192025.00
Ayurvedic Work (Dharamshala)DW	10136785.00
Chountra Mandi	140549.00
C/o 12 Nos Cat-II Block No. 1&2 Hamirpur	752643.00
C/o 2.5 Tounes Capacity Ice Dobar Distt, Una	148588.00
C/o 4nos at Sokoh	216230.00
C/o 6Nos Police Qtrs at Jawali	113825.00
C/o Add. Accomation for Govt. S.S.S at Bilsapsur	231952.00
C/o Ay. Hospital at Katriain Distt, Kulluc/o Ay. Hospital at Katriain Distt, Kullu	61577.00
C/o Bus Stand Dharampur	91900.00
C/o Driving Training School at Paplog	570958.00
C/o G.H.S Boloh HMR	62776.00
C/O G.H.S Sialkar, Kangra	113820.00
C/O Govt. Sr. Sec. School at Klother Ranital Knagra	110663.00
C/o Govt. S.S.S at Khatiar Jawali	242080.00
C/o High School Under RMSA in Bhakli Mandi	696.00
C/o High School Under RSMA in Naddi Mandi	696.00
C/o High School Under RSMA in Tarymly Mandi	696.00
C/o IDSMT Project at Rampur	5265.00
C/o Inos. Class Room and Canteen for Principal Jogi	102818.00
C/o I.T.I Lambloo Distt, Hamirpur	176121.00
C/o Office Building for Pollution	158828.00
C/o Panchayat Raj Otrs Janjehli	51122.00
C/o Panchyat Raj at Gohar	49425.00
C/o Police Qtrs, at Daulatpur	6935.00
C/o Residential Complex Below Bcs Ph-I SH-C/o 23 No	35100.00
C/o SFS at Theog.(SH:-Dev. of Site for 100000 Ltrs	2126797.00
C/o Sub Jail at Chamba	730717.00

Education Work (Shimla-1) DW	327457.00
Education Work (Shimla-2) DW	1171167.00
ELECTRICAL HAMIRPUR (DEPOSIT WORK)	560.00
Female Barrack for Jail Una	7741.00
Fisheries Complex (Dharamshala) DW	3312694.10
Fisheries Work (Mandi) DW	20072404.02
MANDI RMSA DEPOSIT WORK	37907939.00
OBC/SC Hostel at Baijnath Kangra	25906.00
Parwanoo RMSA Work (Pwn) DW	26868622.00
Police Work (Mandi) DW	14215079.66
Police Work (Shimla-1) DW	717346.00
RMSA (Dharamshala) DW	49043965.00
RMSA Work (Shimla-1) DW	19703722.00
SC/ST HOSTEL (Mandi) DW	13952695.57
SC/ST Hostel (Shimla-2) DW	3269104.00
Street Light at Bajaura Kullu Shah Nalla	4967.00
Street Light at Bindra BanPh-I	98105.00
Street Light at Dehra	7347.00
Street Light at Holta	21968.00
Street Light at Lohna	51464.00
Street Light at SHC at Kangra	1233.00
Supply and Installation High Mast Light to RGPS	606294.00
Vetenary Hospital (Mandi) DW	2965095.00
C/o Auditorium Building	963274.00
C/o Boundary Wall Around Newely Constructed Bldg.	393635.00
SC/ST Hostel (Dharamshala) DW	5874530.00
PARWANOO DIVISION(DEPOSIT WORK)	23435472.35
कुल योग	**252206385.80**

23 विभिन्न विभागों से उनके कार्यों/स्कीमों हेतु व्यय की गई ₹237.29 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

वित्तीय वर्ष 2014-15 की Balance Sheet के **Schedule XLVII – Recoverable Amount On A/C of Other Dept. Schemes** का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्णित लेखा शीर्षक के अंतर्गत निम्न विवरण अनुसार **₹2,37,28,539 (Dr**.) के रूप में शेष दर्शाई गई थी। इस संदर्भ में निम्न सारणी से स्पष्ट हैं कि वर्ष 2014-15 के दौरान कई विभागों से हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत किसी भी राशि की वसूली नहीं की गई थी, जोकि अपने आप में एक गंभीर वित्तीय अनियमितता हैं। इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना

संख्या: हिमुडा/30/2016 दिनांक 1 4.07.2016 द्वारा इस धनराशि को वसूल न करने बारे आवश्यक सूचना माँगी गई थी , परंतु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई सूचना प्रदान नहीं की गई। अत: संबन्धित विभागों से वर्ष 2014-15 के दौरान किसी भी प्रकार की वसूली न करने को न्यायोचित ठहराया जाए और वर्णित समस्त राशि की वसूली हेतु विशेष प्रयास करने सुनिश्चित किए जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

विवरण	प्रारम्भिक शेष	अन्तः शेष
Receipt- Police Rental Housing Scheme	23,94,58,627.00 Cr.	23,94,58,627.00 Cr.
Deposit Work for Navodya Vidyalaya	93,79,963.16 Dr.	93,79,963.16 Dr.
Govt. Rental Housing Scheme (Part-1)	57,24,622.29 Dr	57,24,622.29 Dr
Police Rental Housing Scheme	24,80,82,580.55 Dr.	24,80,82,580.55 Dr.
कुल योग	**2,37,28,539.00 Dr.**	**2,37,28,539.00 Dr.**

24 निक्षेप कार्यो (Deposit Works) लेखा शीर्षक के अंतर्गत ₹ 4611.50 लाख व्यय हेतु शेष होने के कारण विभागीय प्रभार (Departmental Charges) की परोक्ष हानि बारे

Deposit Works लेखा शीर्षक के अंतर्गत वह राशि दर्शाई जाती हैं जो HIMUDA के पास चालू वित्तीय वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान विभिन्न उपभोक्ता विभागों द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जमा करवाई गई हो। Deposit Work लेखा शीर्षक के **Schedule- XX** के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2015 को Deposit Work लेखा शीर्षक में ₹461150395.45 को Credit के रूप में शेष दर्शाया गया था जिसका योजनावार विवरण **परिशिष्ट-'ठ"** में दिया गया है। उक्त वर्णित परिशिष्ट के अवलोकन करने पर स्पष्ट विदित होता है कि हिमुडा द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान Deposit Work के विरुद्ध ₹5201.86 लाख का ही व्यय किया गया है तथा ₹ 4611.50 लाख अभी भी व्यय करने हेतु शेष थी। इस प्रकार Deposit Work हेतु प्राप्त राशि का समय पर व्यय न करने के कारण हिमुडा को विभागीय प्रभार के रूप में प्राप्त होने वाली आय की परोक्ष हानि हुई । ।इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या:हिमुडा/30/2016 दिनांक 1 4.07.2016 द्वारा वर्णित स्थिति के तथ्य व् आंकड़ों की सत्यापना करने हेतु कहा गया था , परंतु अंकेक्षण समाप्ति तक ऐसा कोई भी प्रत्युतर प्राप्त नहीं हुआ। अतः निक्षेप कार्यो (Deposit Works) के लिए गत वर्षों में प्राप्त राशि को व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 तुलन पत्र में चालू संपतियों तथा दायित्वों के शेषों को अनुसूचियों में दर्शाए शेषों से कम दर्शाना

अंकेक्षण को प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार तुलन पत्र में चालू सम्पतियों तथा दायित्वों के शेषों को अनुसूचियों में दर्शाए शेषों से कम दर्शाया गया था , जिसके कारण वित्तीय विवरणियों द्वारा हिमुडा की प्रस्तुत की गयी वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है:-

Head of Account	Amount as per detail supplied to	Amount shown as per schedule / taken	Differance	Remarks (Effects in Financial Statements)

	Audit	in Balance Sheet		
Imprest & CCS A/C	3,23,43,944.33 Dr.	3,22,81,182.33 Dr.	62,762 Dr.	Amount of ₹62,762 Dr. pertains to Parwanoo Division as per **Schedule XLIX** but the same not included in total taken in balance sheet under head current assets
Duties & Taxes A/C	8,93,489.24 Cr.	8,92,739.24 Cr.	750 Cr.	Amount of ₹750 Cr. pertains to S/C Income Tax as per **Schedule XVI** but the same not included in total taken in balance sheet under head current liabilities

इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या : हिमुडा/3/BS/2016 दिनांक 02.06.2016 द्वारा इन अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवम सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों में सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था जिसके प्रत्युतर में अर्ध शासकीय पत्र संख्या: HIMUDA/Cash/Audit/2014-15,9755 दिनांक 04.07.16 द्वारा सूचित किया गया कि छानबीन के उपरांत उक्त वर्णित त्रुटियों का समायोजन आगामी वित्तीय वर्ष के अंतिम लेखों में कर दिया जायेगा। । हिमुड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत उतर सन्तोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि यह त्रुटियाँ वित्तीय वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित है तथा इनका यथोचित सुधार भी इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए था ताकि वित्तीय विवरणियां हिमुडा की सही व् उचित स्थिति परिलक्षित करती। ।अतः उक्त वर्णित त्रुटियों का आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

।26 तुलन पत्र तथा लाभ व् हानि खाते में Capital Reserve/ Net profit के अंतर्गत वास्तविकता से लगभग ₹1.45 करोड़ अधिक दर्शाना

(क) अनुसूची "I" के **लेखा शीर्ष, पूजी संचय {मद संख्या:1 तुलन पत्र}** के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान अर्जित लाभ ₹1.45 करोड़ को पूजी संचय मे वृद्धि दर्शाया गया है, परन्तु आवश्यक जांच के उपरान्त यह पाया गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान दर्शाया गया शुद्ध लाभ ₹1.45 करोड़ वास्तव मे ₹14095.71 की शुद्ध हानि है , जोकि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के विभिन्न पैरों में दर्शाई गई अनियमितताओं के कारण है। इस प्रकार हिमुडा की वित्तीय स्थिति मे शुद्ध हानि के स्थान पर शुद्ध लाभ का दर्शाया जाना एक गम्भीर अनियमितता है, जोकि हिमुडा द्वारा लेखों के रख-रखाव के निम्न स्तर को दर्शाता है। अत: इस प्रकार की गम्भीर अनियमितता के बारे कारणों की जांच की जाए तथा भविष्य में ।इस प्रकार की चूक को न दोहराया जाने एवं सुधारात्मक कदम उठाये जाने सुनिश्चित किये जाये। जांच के दौरान पाई गई ।इस प्रकार की कुछ त्रुटियों का विवरण निम्न प्रकार से है। इस सन्दर्भ मे यह भी परामर्श दिया जाता है कि ।इस प्रकार की त्रुटियों की हिमुडा प्राधिकरण द्वारा विभागीय स्तर पर जांच की जाए तथा तदानुसार आयकर विवरणी पर होने वाले प्रभाव की भी जांच की जाए।

विवरण		अंकेक्षण पैरा संख्या	राशि
Net Profit as per Profit & Loss Account for the year ending 31.3.2015			1,44,60,010.73
Effect on declared Nett profit due to the following irregularities:-			
1	Less charge of depreciation	16	(-) 1644562.41
2	Excess amount of Interest receivables on FDRs	18	(-)4365689
3	Admin/Departmental Charges A/C	19	(-)20000000
4	leave encashment	20	(+)1,26,85,124
5	Pension Payable	21	(+)30,33,025
6	**Electrical Division Dharamshala:-**	22	
	Board"s own share		(-)12397
	Interest A/C		(-)1000
	Division Dharamshala:-		
	R/M of Sewerage Holta		(-)63,000
	Electrical Division Shimla:-		
	R/M of HP-68-A/0012		(+)9274
	R/M of Street light Phase-III, New Shimla (Part-II)		(-)242
	Construction Division Mandi:-		
	Sale of Broachers Form		(+)16,000
	RMM of WSS		(+)1000
7	Watch & Ward Charges	23	(+)13374
8	Pension Payment to retirees	24	(-)5077812
9	Pension to Himuda Employees A/C	25	(+)231937
	Misc. Recovery A/C		(+)3000
10	Establishment Expenses A/C	26	(+)497376
11	Excess credit of receipt from allotee	27	(-)15286
12	Interest accrued/received on FDRs	28	(-)85681
13	purchase of SURVER HP ML350P with Intel E5-2620v2	29	(+)2,64,900
14	double Accounting of payment transaction in Cash Book	30	(+)23179
	Nett LOSS after adjustments(31265669.41-31238199.73)		**27469.68**

27 लाभ व् हानि खाते में स्थायी परिसम्पत्ति (Fixed Assets) पर depreciation की ₹16.45 लाख कम दर्शाना

वित्तीय वर्ष 2014-15 के तुलन पत्र के साथ सलंग्न **Fixed Assets Schedule-'D"** के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त वर्णित अनुसूची सही व् उचित प्रकार से तैयार नहीं की गई थी तथा इसमें विभिन्न प्रकार की त्रुटियाँ थी जैसे कि ज्यादातर प्रकरणों में depreciation, 'Sale adjustment" or 'Addition to the asset" कॉलम में दर्शाई गयी थी तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के 'Assets cost" or 'Depreciation up to 31.3.2014" के शेषों की सही राशि को अग्रेषित नहीं किया गया था तथा विवरणी में गणना की त्रुटियाँ भी पाई गई थी इत्यादि। इन वर्णित त्रुटियों के कारण **परिशिष्ट-ड** में दिए गए विवरण के

अनुसार लाभ व् हानि खाते में स्थायी परिसम्पति (**Fixed Assets**) पर **depreciation** की ₹16,44,562.41 (₹7,17,885.33+ ₹9,26,677.08) वास्तविकता से कम ली गई थी। परिणामतः लाभ व् हानि खाते में शुद्ध लाभ तथा तुलन पत्र में स्थायी परिसम्पति (**Fixed Assets**) की 'Written Down Value" को अधिक दर्शाया गया था जिसके कारण वित्तीय विवरणियां हिमुडा की सही व् वास्तविक स्थिति परिलक्षित नहीं करती है । इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या : हिमुडा/ 3/2016 दिनांक 03.05.2016 द्वारा उक्त वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था , किन्तु इस संदर्भ में अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। । अतः परामर्श दिया जाता है कि इस संदर्भ पूर्ण छानबीन के उपरांत उक्त वर्णित त्रुटियों का आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। ।

28 विभिन्न लेखा शीर्षो में ₹132.58 लाख का संबन्धित खातों मे समायोजन/समाधान न करना

निम्न विवरण अनुसार विभिन्न लेखा शीर्षो से सम्बन्धित ₹132.58 लाख को तुलन पत्र में चालू परिसम्पति (Current Assets) के अंतर्गत लगातार पिछले कई वर्षो से यथावत दर्शाया जा रहा था , जिससे स्पष्ट विदित होता है कि इनके उचित समायोजन/समाधान हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये थे । अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित खातों/लेखों में उचित समायोजन/समाधान हेतु तुरंत विशेष कदम उठाये जाये ताकि वित्तीय विवरणियां हिमुडा की सही व् वास्तविक स्थिति परिलक्षित कर सके।

क्रमांक	लेखा शीर्ष	अनुसूची संख्या	राशि	अभियुक्ति
1	Material for works in store (NVP)	**XXVI**	39,35,946.68	राशि पिछले लगभग 12 वर्षो से अंतिम समायोजन हेतु लंबित है।
2	Other miscellaneous advances (NVP)	**XXVII**	2,41,644.37	राशि पिछले लगभग 12 वर्षो से अंतिम समायोजन हेतु लंबित है।
3	Suspense a/c	**XXIX**	5,76,425.00	राशि पिछले कई वर्षो से अंतिम समायोजन हेतु लंबित है।
4	Sundry Debtors	**LI**	85,04,270.87	
कुल जोड़			**1,32,58,286.92**	

।29 वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतिम लेखों में ₹221 लाख की आय/शुद्ध लाभ/प्राप्तियों की अधिक गणना करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परवाणू निर्माण मंडल के तलपट की राशियों का हिमुडा के वार्षिक लेखों में समावेश (consolidation) करते समय निम्न विवरण के अनुसार ₹ 221.00 लाख की

आय/ प्राप्तियों की अधिक गणना की गई थी , जिसके कारण वित्तीय विवरणियों में सम्पतियों तथा दायित्वों एवं शुद्ध लाभ की दर्शाई गई स्थिति निम्न प्रकार से प्रभावित हुई है:-

लेखा शीर्ष	तलपट अनुसार वास्तविक राशि	अंतिम लेखों में गणना में ली गई राशि	अंतर	वित्तीय विवरणियों में प्रभाव
LIC Premium A/C	2,33,834 Cr.	23,33,834 Cr.	21,00,000 Cr.	Overstatement of liability in Balance Sheet
Admin/Departmental Charges	1,73,17,367 Cr.	3,73,17,367 Cr.	2,00,00,000 Cr.	Overstatement of liability (Reserve & Surplus) in Balance Sheet besides income as well as net profit in Profit & Loss A/c
कुल जोड़	**1,75,51,201 Cr.**	**3,96,51,201 Cr.**	**2,21,00,000 Cr.**	

इस प्रकार अंकेक्षण को प्रस्तुत तुलन पत्र तथा लाभ व् हानि खाते में उक्त वर्णित राशियाँ हिमुडा की वास्तविक व् उचित वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करती है। । इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या : हिमुडा/ 10/2016 दिनांक 04.06.2016 द्वारा इन अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था , किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।। अत: उक्त वर्णित त्रुटियों की पूर्ण छानबीन के उपरांत इनमें नियमानुसार आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

30 विभिन्न निर्माण मंडलों से सम्बन्धित ₹597.50 लाख के लेन-देन की राशियाँ को हिमुडा के अंतिम लेखो में समायोजित न करना या अनुचित रूप से समायोजित करना

अंकेक्षण को प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न निर्माण मंडलों के तलपट की प्रविष्टियों का हिमुडा के अंतिम लेखों में एकीकरण (consolidation) करते समय निम्न विवरण अनुसार ₹**597.50** लाख के लेन-देन को हिमुडा के अंतिम लेखो में या तो समायोजित नहीं किया गया था अथवा अनुचित रूप से समायोजित किया गया था।

1.Electrical Division Dharamshala (HMR)				
Sr. No.	Particulars (Item)	Dr./Cr.	Amount	Remarks
1	Shifting of L.T. line passing the Plot No. 19 in Dhundi, Mandi	Dr.	65,390	It is the opening as well as closing balance in the Division"s Trial Balance but booked as expenditure vide Jr. voucher No. 1 whereas there was no expenditure during current year.
2	SOP to ITI at Bangana, Una	Dr.	(-) 9,15,885	Journalized as debit (instead of reverse debit or simple credit) vide Jr. Voucher No. 5 which may be justified.
3	SC/ST Hostel at Palampur	Dr.	(-) 2,290	Journalized as debit (instead of

				reverse debit or simple credit) vide Jr. Voucher No. 6 which may be justified.
4	Departmental Charges:-			
	i. Self Financing Scheme	Cr.	1,80,132	Items not journalized and hence not accounted for in H.Q. accounts thereby resulting understatement of income /surplus/liability or over statement of Assets
	ii. Deposit Work	Cr.	27,19,004	
	iii. Board"s own share	Cr.	12,397	
5	Interest A/C	Cr.	1,000	
6	Receipt from Principal RGH Paprola	Cr.	93,355	
7	Imprest Account	Cr.	3,26,09,045	
8	Warm Clothing Advance	Cr.	21,600	
2.Construction Division Dharamshala				
1	Receipt from Board Accommodation	Cr.	15,806	This figure wrongly booked under Head "Receipt under RTI Act" D/shala Division vide Jr. Voucher No. 13 which may be justified or corrected.
2	R/M of Sewerage Holta	Dr.	63,000	Items not journalized and hence not accounted for in H.Q. accounts thereby resulting under statement of expenditure or over statement of surplus.
3	Providing & laying heavy duty pre-cast cement	Cr.	68,000	Journalized as Dr. vide Jr. Voucher No. 32
4	C/O Outdoor Stadium Dulehar, Una	Dr.	16,938	Items not journalized and hence not accounted for in H.Q. accounts thereby resulting under statement of expenditure of deposit work or over statement of liability
5	C/O GSSS Majhiana, Kangra	Dr.	49,484	Journalized for ₹49,848 vide Jr. voucher No. 46 thus having difference of Rs. **364**/-
3.Construction Division Shimla-I				
1	C/O ITI Building at R/Peo	Dr.	15,690	Items not journalized and hence not accounted for in H.Q. accounts thereby resulting under statement of expenditure of deposit work or over statement of liability
2	C/O Police line at Bharari:-			
	i. C/O 4 No. Toilets & 1 No. Lock-up room	Dr.	(-) 29,876	
	ii. . C/O 6 No. Toilets & 1 No. Lock-up room	Dr.	2,539	
	iii. C/O RCC gate & Enclosure Wall	Dr.	6,68,904	
3	Veterinary Hospital Cheog C/O Hospital Building i/c installation of WS & SI and external services	Dr.	95,593	
4.Electrical Division Shimla				
1	R/M of HP-68-A/0012	Dr.	1,91,701	Journalized for ₹2,00,975 vide Jr. voucher No. 32 thus having difference of Rs. **9274/-**
2	R/M of Street light Phase-III, New Shimla (Part-II)	Dr.	242	Items not journalized and hence not accounted for in H.Q. accounts thereby resulting under statement of expenditure or over statement of

				surplus.
3	C/O Housing colony Theog (SH: Pdg. E.I. to 12 No.s Cat-II Flats)	Dr.	2,73,019	Journalized for `2,63,794 vide Jr. voucher No. 23 thus having difference of Rs. **9225/**
4	Pdg. E.I. to Lift machine room	Dr.	48,748	Items not journalized and hence not accounted for in H.Q. accounts thereby resulting under statement of expenditure or over statement of surplus.
5	Pdg. Electrical connection to newly constructed Pump House near Block No. 84	Dr.	4,59,696	
6	C/O GHS at Sush, Anni, Distt. Kullu	Dr.	2,12,267	
7	Pdg. E.I. to SOP Urban Poor of Shimla Town at Dhalli	Dr.	697	
8	C/O Indoor Stadium at Rohru (SH: Pdg. Int. E.I.)	Dr. Cr.	29,05,425 6,59,599	
9	C/O Indoor Stadium at Rohru (SH: Pdg. SOP)	Dr.	5,99,635	
10	Providing Heating points in Warden security cabin of Block ABC Model Central Jail at Kanda	Dr.	1,68,481	
11	Central Jail at Kanda (SH: Pdg. Light & Heating points)	Dr.	1,123	
12	Pdg. E.I. to office building for poultry farm at Kamlahi	Dr.	337	
5.Construction Division Shimla-II				
1	Police Work at Shimla:-			
	i. S/R of Police Station Building Chhota Shimla	Dr.	4,99,990	Items not journalized and hence not accounted for in H.Q. accounts thereby resulting under statement of expenditure of deposit work or over statement of liability
	ii. S/R of Police Building at Boileauganj Shimla	Dr.	5,13,397	
	iii. S/R of Sadar Thana Building Shimla	Dr.	3,42,646	
6.Electrical Division Mandi				
1	Receipt from Deputy Director Ayurveda H.P. Shimla	Cr.	20,34,171	Items not journalized and hence not accounted for in H.Q. accounts thereby resulting understatement of receipt/liability
2	Sale of Broachers Form	Cr.	16,000	Items not journalized and hence not accounted for in H.Q. accounts thereby resulting understatement of income /reserve & surplus
3	Warm Clothing Advance 31500 Dr./19323 Cr.		12177 Dr.	Items not journalized and hence not accounted for in H.Q. accounts thereby resulting understatement of current assets.
4	Staff Advance A/C 36,75,152Dr./ 39,81,160 Cr.		306008 Cr.	Items not journalized and hence not accounted for in H.Q. accounts thereby resulting overstatement of current assets.

5	RMM of WSS		1000 Cr.	Items not journalized and hence not accounted for in H.Q. accounts thereby resulting overstatement of expenditure and understatement profit/reserve & surplus
6	C/O IDTR Paplog, Sarkaghat (SH: C/O Admin Block	Dr.	85,63,104 Dr.	Items not journalized and hence not accounted for in H.Q. accounts thereby resulting overstatement of liability
7	S/R of Institute for children with special ability at Sundernagar	Dr.	8,18,104 Dr.	Items not journalized and hence not accounted for in H.Q. accounts thereby resulting overstatement of liability
8	C/O 2 No.s of Inspector Residence P.R. at Janjaheli, Mandi	Dr.	10,06,902 Dr.	Items not journalized and hence not accounted for in H.Q. accounts thereby resulting overstatement of liability
7.Construction Division Parwanoo				
1	Education Loan A/C 75000Dr./ 9375Cr.		65,625 Dr.	Item not journalized and hence not accounted for in Himuda accounts thereby resulting understatement of current assets
2	C/O Pump House-cum-Attendant Room, Bhatolikhurd	Dr.	76,000 Dr.	Item not journalized and hence not accounted for in Himuda accounts thereby resulting understatement of current assets
3	Dev. Of H/C at Jurja (SH: OHT 1.00 lakh litr. Capacity)	Dr.	28,23,941Dr.	Item not journalized and hence not accounted for in Himuda accounts thereby resulting understatement of current assets
कुल योग			**5,97,50,622**	

उक्त अनियमितता के परिणामस्वरूप हिमुडा के अंतिम लेखों में चालू सम्पति व दायित्व तथा आय व् व्यय में राशियों को गलत ढ़ंग से दर्शाया गया था जिसके कारण वित्तीय विवरणियां हिमुडा की सही व् वास्तविक स्थिति परिलक्षित नहीं करती है । इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या : हिमुडा/8/2016 दिनांक 19.5.2016 द्वारा इन अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का में सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था , किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। । अतः परामर्श दिया जाता है कि इस संदर्भ में पूर्ण छानबीन के उपरांत वर्णित त्रुटियों का आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण करना सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।।

31 हिमुडा के अंतिम लेखों में आबंटियों से प्राप्त watch & ward की ₹0.13 लाख का गलत लेखा शीर्ष के अंतर्गत लेखांकन करना

अंकेक्षण को प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि श्री पुरषोतम दास, आबंटी Cat-III, F-I, Block-4, Flowerdale, Shimla से रसीद संख्या: 512359 दिनांक 31.3.2015(आबंटी बही खाता पृष्ठ संख्या:113) के अंतर्गत कुल ₹2,92,457 प्राप्त हुई थी, जिसमे ₹2,79,083 फ्लैट की किश्त के अतिरिक्त चौकीदारी शुल्क (watch & ward charges) की ₹13,374 भी शामिल थी, किन्तु उक्त प्राप्त राशि में से चौकीदारी शुल्क (watch & ward charges) की ₹13,374 को लेखा शीर्ष 'watch & ward charges Account" की अपेक्षा चालू सम्पति लेखा शीर्ष 'Work-in-progress, C/O Buildings account" को Cr. किया गया दर्शाया गया था (प्राप्ति वाउचर संख्या:2164, दिनांक 31.3.2015 मुख्यालय रोकड़ बही पृष्ठ संख्या -78)।। इस अनियमितता के परिणामस्वरूप हिमुडा के अंतिम लेखों में चालू सम्पति व दायित्व,शुद्ध लाभ तथा आय को निम्न विवरण के अनुसार वास्तविकता से कम दर्शाया गया था , जिसके कारण वित्तीय विवरणियां हिमुडा की सही व् वास्तविक स्थिति परिलक्षित नहीं करती है।

लेखा शीर्ष	वास्तविक राशि	अंतिम लेखों में गणना में ली गई राशि	अंतर	वित्तीय विवरणियों में प्रभाव
Watch & Ward Charges	59,18,866.00	59,32,240.00	13,374	Income head under P & L account
Work-in-progress C/O Buildings	42,35,52,041.01	42,35,65,415.01	13,374	Under current assets in Balance sheet
Net Profit	1,44,60,010.73	1,44,73,384.73	13,374	Profit & Loss Account
Profit & Loss Account	1,44,60,010.73	1,44,73,384.73	13,374	Reserve & Surplus (Balance Sheet)

इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या : हिमुडा/1/BS/2016 दिनांक 01.06.2016 द्वारा इन अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों में सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था, किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक आईए संदर्भ में कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ।। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस संदर्भ में पूर्ण छानबीन के उपरांत उक्त वर्णित त्रुटियों का आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

32 वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतिम लेखों में ₹4.97 लाख के लेन-देन की गणना न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि धर्मशाला निर्माण मंडल के लेखे में स्वर्गीय श्री राकेश शर्मा, अधीक्षण अभियंता से उन्हें अवधि 13.6.2012 से 27.8.2013 के दौरान दिये गये वेतन के अधिक भुगतान ₹4,97,376 की वूसली हेतु शेष थी। ।यथानुसार जोर्नल वाउचर संख्या: 76, दिनांक 1/2015 द्वारा उन्हें ₹4,97,376 से देनदार (Debtor) बनाया गया था (मुख्यालय जोर्नल रजिस्टर पृष्ठ -189), किन्तु इस लेन-देन की हिमुडा के वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतिम लेखों में कोई गणना ही नहीं की गई थी, जोकि अनियमित है। ।इस अनियमितता के परिणामस्वरूप हिमुडा के अंतिम लेखों में चालू सम्पति को वास्तविकता से कम दर्शाया गया था जिसके कारण वित्तीय विवरणियां हिमुडा की वास्तविक स्थिति परिलक्षित नहीं करती है । इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: हिमुडा/ 9/BS/2016 दिनांक 4.06.2016 द्वारा इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बन्धित वित्तीय

विवरणियों में सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था , किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। । अतः परामर्श दिया जाता है कि पूर्ण छानबीन के उपरांत उक्त वर्णित त्रुटियों का आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों में शुद्धिकरण सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

33 आबंटियों से "Interest on delayed receipt of Instalments" के रूप में प्राप्त आय में से ₹0.15 लाख की लेखों में अधिक गणना करना

अंकेक्षण के दौरान जर्नल वाउचर संख्या: 98 दिनांक 31.3.2015 तथा उसके साथ में सलंग्न विवरणी के अवलोकन पर विदित हुआ कि आबंटियों से **"Interest on delayed Receipt of Instalments"** के रूप में ₹3,99,56,251 प्राप्त हुई थी तथा गलती गणना में से इसे ₹3,99,71,537 दर्शाया गया था जोकि प्राप्त राशि से ₹15,286 अधिक थी। ।इस अनियमितता के परिणामस्वरूप हिमुडा के अंतिम लेखों में आय, शुद्ध लाभ को वास्तविकता से अधिक दर्शाया गया था , जिसके कारण वित्तीय विवरणियां हिमुडा की सही व् वास्तविक स्थिति परिलक्षित नहीं करती है । इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: हिमुडा/ 19/BS/2016 दिनांक 8.06.2016 द्वारा इन अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवम सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों में सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था, किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अतः परामर्श दिया जाता है कि पूर्ण छानबीन के उपरांत उक्त वर्णित त्रुटियों में आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण सुनिश्चित किया जाना तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। ।

34 "Cash in Transit" लेखा शीर्षक के अंतर्गत ₹254.43 लाख को दर्शाने एवं वर्ष के दौरान समायोजित न करने बारे

वित्तीय वर्ष 2014-15 की **Balance Sheet के Current Assets के Schedule XLV** के अवलोकन करने पर पाया गया कि '**Cash in Transit"** लेखा शीर्षक के अंतर्गत ₹**2,54,42,963.74** दर्शाई गई थी, जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से दिया गया हैं। उक्त वर्णित Schedule में कई निर्माण मण्डलों के संदर्भ में **Cash in transit** लेखा शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई गई राशि पिछले कई वित्तीय वर्षों से ज्यों कि त्यों दर्शाई जा रही हैं , जबकि **Cash in transit** लेखा शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई गई राशि यां आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान समायोजित होनी चाहिए थी। इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्य : हिमुडा/ 30/2016 दिनांक 1 4.07.2016 द्वारा आवश्यक सूचना माँगी गई थी , परंतु इस लेखा शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई जा रही राशि को समायोजित न करने बारे कोई सूचना अंकेक्षण समाप्ति तक उपलब्ध नहीं करवाई गई। अत: यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता हैं कि '**Cash in transit"** लेखा शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों को वित्तीय वर्ष के दौरान समायोजित न करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा इन राशियों का समायोजन करके कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्र अतिशीघ्र सूचित किया जाए।

Cash In Transit लेखा शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई गई राशि का विवरण

विवरण	प्रारम्भिक शेष	अन्तः शेष
Cash in Transit Mandi Divsion	10,00,000.00 Cr.	10,00,000.00 Cr.
Cash in Transit Shimla Division II	25,00,000.00 Dr.	25,00,000.00 Dr.
Dharamshala (04/2012)	1,50,00,000.00 Dr.	1,50,00,000.00 Dr.
Dharamshala Cash in Transit (22.03.2013)	49,99,999.26 Dr.	49,99,999.26 Dr.
Division-1 (Cash in Transit)	7,00,000.00 Cr.	7,00,000.00 Cr.
Electrical Hamirpur Cash in Transit	5,00,000.00 Dr.	5,00,000.00 Dr.
Electrical Shimla (Cash in Transit)	4,43,000.00 Cr.	4,67,42,963.00 Cr.
कुल योग	**2,08,56,999.26 Dr.**	**2,54,42,963.74 Cr.**

35 Imprest & CSS A/C - Cash Settlement Suspense A/C लेखा शीर्षक के अंतर्गत असमायोजित राशियों को दर्शाने बारे

Imprest & Cash Settlement Suspense A/C के अंतर्गत वो राशियाँ दर्शाई जाती हैं , जो कि **Head Office** द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न निर्माण मण्डलों को उनके अधिकृत क्षेत्र में निर्माण कार्य करने के लिए समय समय पर जारी की जाती हैं तथा नियमानुसार इन राशियों का समायोजन उन निर्माण मण्डलों के साथ उसी वित्तीय वर्ष में होना चाहिए , जबकि वर्ष 2014-15 के अंकेक्षण मे test check के दौरान पाया गया कि **Imprest & Cash Settlement Suspense A/C** लेखा शीर्षक के अंतर्गत निम्नविवर्णानुसार राशियाँ असमायोजित थी , जिसकी हिमुड़ा प्राधिकरण द्वारा विभागीय स्तर पर भी जाँच की जाए क्योंकि इस लेखा शीर्षक के अंतर्गत कई राशियाँ पिछले वित्तीय वर्षों से नियमित रूप से दर्शाई जा रही थी और जिनके समायोजन हेतु HIMUDA द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी। इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या : हिमुडा/30/2016 दिनांक 14.07.2016 द्वारा इन राशियों को वार्षिक आधार पर समायोजित न करने बारे आवश्यक सूचना माँगी गई थी , परंतु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई। अत: वर्णित लेखा शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई जा रही राशियों को वार्षिक आधार पर समायोजित न करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही भविष्य में इस लेखा शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों को वार्षिक आधार पर समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र अतिशीघ्र सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

विवरण	प्रारम्भिक शेष	अन्तः शेष
CSS A/C of Mandi with Various Divisions	2320.00 Cr.	2320.00 Cr.
CSS A/C of Various Divisions with Shimla Division No. 1	3770.00 Dr.	3770.00 Dr.
CSS A/C XEN Shimla Division No.II	130155.00 Dr.	136509.00 Dr.
CSS A/C XEN Himuda Division PWN	368380.00 Dr.	368380.00 Dr.
CSS A/C Paonta Factory	2,35,703.09 Cr.	2,35,703.09 Cr.
CSS A/C with other Divisions PWN Division	7,98,587.10 Cr.	12,14,878.10 Cr.
CSS A/C XEN Shimla Division No.1	81,23,979.27 Cr.	81,23,979.27 Cr.

CSSA Dharamshala Division	95,32,852.02 Cr.	10788983.02 Cr.
CSSA (Electrical Division Shimla)	2,13,01,953.22 Dr.	2,19,97,629.22 Dr.
CSSA- Mandi Division	801693.00Cr.	1814434.00 Cr.
ImprestA/c under CSS A/C of XEN Himuda Div.II	378491.00Cr.	458004.00 Cr.
ImprestA/c under CSS A/C of XEN Himuda Div. PWN	423896.00Cr.	423896.00 Cr.
Imprest (CCS) A/C XEN Mandi Division	34,67,642.37 Dr.	34,67,642.37 Dr.

36 Interest Redemption लेखा शीर्षक के अंतर्गत ₹366.16 लाख Cr. को संबन्धित हाउसिंग स्कीम की लागत में वर्षों के उपरांत भी समायोजित न करने बारे

वित्तीय वर्ष 2014-15 की **Balance Sheet** के **Schedule I–Capital Account** में **Interest Redemption A/C** लेखा शीर्षक के अंतर्गत निम्न विवर्णानुसार ₹**3,66,16,025.17 Cr.** में दर्शाई गई थी। यह राशि पिछले कई वित्तीय वर्षों से इस लेखा शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई जा रही हैं तथा कई वित्तीय वर्ष बीतने के पश्चात भी इन राशियों को संबन्धित कलौनियों की लागत में समायोजित न करना अपने आप में एक गंभीर अनियमितता हैं। इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: हिमुडा/30/2016 दिनांक 14.07.2016 द्वारा ₹3,66,16,025.17 को संबन्धित कलौनियों की लागत में समायोजित न करने बारे आवश्यक सूचना माँगी गई थी , परंतु अंकेक्षण समाप्ति तक इस संदर्भ में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई। अत: **Interest Redemption A/c** लेखा शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई गई उक्त राशि को वार्षिक आधार पर संबन्धित कलौनियों की लागत में समायोजित न करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा उक्त वर्णित राशि को संबन्धित हाउसिंग कालौनी की लागत में समायोजन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

विवरण	प्रारम्भिक शेष (₹)	अन्तः शेष (₹)
Excess Interest Charged to Colonies Kelston	8,74,119.77 Dr.	8,74,119.77 Dr.
Interest Redemption A/c – Baddi Ph.-2	66,91,581.87 Cr.	66,91,581.87 Cr.
Interest Redemption A/c-Commr. Kelston	85,670.70 Cr.	85,670.70 Cr.
Interest Redemption A/c- Commr. Una	30,19,883.43 Cr.	30,19,883.43 Cr.
Interest Redemption A/c- Indora Colony	33,529.00 Cr.	33,529.00 Cr.
Interest Redemption A/c- Mandi Colony	8,32,983.30 Cr.	8,32,983.30 Cr.
Interest Redemption A/c- Poanta Factory Ph. 1 &2	7,04,938.18 Cr.	7,04,938.18 Cr.
Interest Redemption A/c- SHC Shogi	50,97,579.00 Cr.	50,97,579.00 Cr.
Interest Redemption A/c- Strawberry Shimla	22,65,957.85 Dr.	22,65,957.85 Dr.
Interest Redemption A/c- Type-1,2&3 Knollswood	3,60,636.50 Cr.	3,60,636.50 Cr.
Interest Redemption A/c- Various Colonies	2,29,29,300.81 Cr.	2,29,29,300.81 Cr.
कुल योग	**3,66,16,025.17 Cr.**	**3,66,16,025.17 Cr.**

37 वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखों में Intial Deposit/Earnest Money लेखा शीर्षक के अंतर्गत ₹2558.54 लाख को Debit के रूप में शेष दर्शाने बारे

HIMUDA की हाउसिंग स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों द्वारा लेखांकन के मान्य नियमों के अनुसार Intial Deposit/Earnest Money लेखा शीर्षक के अंतर्गत फ्लैट , प्लाट इत्यादि क्रय करने के लिए प्रांरम्भिक रूप से जमा करवाई गई राशि को दर्शाया गया है। नियमानुसार इस प्रकार की समस्त राशियों का अंतिम शेष क्रेडिट के रूप में होना चाहिए, क्योंकि यदि प्रार्थियों को हाउसिंग स्कीमों में फ्लैट, प्लाट इत्यादि आबंटित किए जाते हैं , तो यह राशि उनको आबंटित फ्लैट , प्लाट इत्यादि की देय कुल राशि में समायोजित की जाती है तथा साथ ही यदि प्रार्थियों को फ्लैट ,प्लाट इत्यादि आबंटित नहीं किए जाते हैं, तो उस स्थिति में वर्णित जमा राशि को HIMUDA द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों/फर्मों को वापिस किया जाता है। इस प्रकार Intial Deposit/Earnest Money लेखा शीर्षक के अंतर्गत समस्त देनदारी वाली राशियों का अंतिम शेष क्रेडिट दर्शाया जाना चाहिए था , परंतु Intial Deposit/Earnest Money से संबन्धित अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि इनमे निम्न वर्णित खातों में **₹255854175.30** को Debit शेष के रूप में भी दर्शाया गया था, जिससे ऐसा प्रतीत होता हैं कि इन हाउसिंग स्कीमों में व्यक्तियों/फर्मों को उनके द्वारा जमा करवाई गई Intial Deposit/Earnest Money से **₹255854175.30** का अधिक भुगतान किया गया। इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: हिमुडा/30/2016 दिनांक 1 4.07.2016 द्वारा वर्णित स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था , परंतु अंकेक्षण समाप्ति तक ऐसा कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अत: Intial Deposit/Earnest Money के अंतर्गत निम्न खातों के अंतिम शेष को Debit के रूप में दर्शाने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा इस सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक जाँच-पड़ताल करते हुए इन राशियों को समायोजित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

विवरण	प्रारम्भिक शेष	अन्तः शेष
Demand Survey D/S Shimla	100.00	100.00
Demand Survey Mandhala Baddi	240000.00	240000.00
Demand Survey Various Places(Advt. Charges)	106944.00	106944.00
DS Solan, Kasauli, Chail,Nalagharh,KandaGhat, Barog	31400.00	31400.00
EM-Bid Money Parwanoo	0.00	300000.00
EM-HIG,MIG Bilaspur	31410.00	31410.00
EM-HIG,MIG Jawalamukhi	500.00	500.00
EM-HIG,MIG Nadaun	6500.00	6500.00
EM-HIG,MIG Basal Solan	168212.50	168212.50
EM-HIG,MIG Mehatpur	2000.00	2000.00

EM-Rakkar UNA	3408686.02	3408686.02
EM-Straberry & Chotta Shimla Cat-I,II,III,IV	16837.00	16837.00
EM- Type B Plot New Shimla	2232000.00	2232000.00
Intial Deposit Earnest Money	249106289.78	249299585.78
Refunded of earnest Money	1000.00	10000.00
कुल योग	**25,53,51,879.30**	**255854175.30**

38 वित्तीय वर्ष 2014-15 के तुलन-पत्र / लेखों में मांग सर्वेक्षण (Demand survey) से संबन्धित पूर्वानुमानित ब्याज के दायित्व की ₹179.19 लाख को परिलक्षित न करने बारे

वित्तीय वर्ष 2014-15 की **Balance Sheet** के **Schedule XIV – Initial Deposit/Earnest Money** लेखा शीर्षक के अंतर्गत **"Demand at Various Places 2010-11"** शीर्षक के अंतर्गत ₹**35,83,79,055.00** का **Cr.** दर्शाया गया था। इस संदर्भ में विस्तृत अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि यह राशि हिमुड़ा द्वारा हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों/शहरी कस्बों में प्लॉट, फ्लैट व घरों की आवश्यकता के लिए भारत के नागरिकों से मांग सर्वेक्षण के अंतर्गत आरंभिक जमा ₹5000 प्रति प्रार्थना-पत्र के रूप में प्राप्त की गई थी। मांग सर्वेक्षण योजना के निर्धारित नियम एवं शर्त संख्या 4 में यह स्पष्ट किया गया है कि **"No interest will be paid for the first one year on the initial deposit. The authority will, however allow interest @ 5% per annum for the period exceeding one year and up to the date of demand of full earnest money only. The benefit of the interest will be given to only those applicants who continue in the scheme।** उपरोक्त शर्त के विस्तृत अवलोकन में पाया गया कि इस योजना के अंतर्गत जमा राशि पर एक वर्ष तक अर्थात 30 .04.12 तक कोई भी ब्याज देय नहीं था तथा उसके बाद जमा राशि पर 5% की दर से ब्याज देय था। दिनांक 31.03.201 5 तक उक्त शीर्ष में ₹**35,83,79,055.00 Cr.** लेखो में जमा दर्शाई गई थी तथा योजना की निर्धारित शर्त संख्या: 4 के अनुसार जमा राशि पर 5% की दर से वर्ष 2014-15 के लिए **₹1,79,18,952.75** (₹**35,83,79,055Cr.X 5%)** का ब्याज देय था अर्थात भविष्य हेतु देय ब्याज का मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार लेखो में प्रावधान किया जाना अपेक्षित था। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: हिमुडा/30/2016 दिनांक 14.07.2016 द्वारा उक्त देय ब्याज दायित्व को वार्षिक लेखों में परिलक्षित न करने बारे आवश्यक सूचना माँगी गई थी , परंतु अंकेक्षण समाप्ति तक इस संदर्भ में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार हिमुड़ा के वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखो में वर्णित देय ब्याज के दायित्व की ₹**1,79,18,952.75** को प्रावधित करके न दर्शाना एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसके कारण हिमुडा के वित्तीय लेखे सही स्थिति परिलक्षित नहीं करते हैं। अत: वार्षिक लेखों में देय ब्याज के दायित्व का प्रावधान न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा मांग सर्वेक्षण(demand survey) के नियमों एवं शर्तों के अनुसार वर्णित आवश्यक कार्यवाही करते हुए तथा दंड ब्याज के दायित्व को दर्शाकर वित्तीय लेखो में आवश्यक करना सुधार सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

39 हिमुडा के स्वामित्व को स्पष्ट किए बिना निर्माण कार्यों से संबन्धित ₹448.09 लाख को "Work Completed in hand" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाये जाने बारे

वार्षिक लेखों में "Work Completed in hand" लेखा शीर्षक के अंतर्गत वह निर्माण कार्य दर्शाये जाते हैं, जो पूर्ण हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 की **Balance Sheet के Current Assets** के **Schedule- XXXVI** के अवलोकन करने पर पाया गया कि पिछले कई वित्तीय वर्षों से "**Work Completed in hand"** लेखा शीर्षक के अंतर्गत **₹4,48,08,972.53** दर्शाई जा रही थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से दिया गया हैं। अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि कई वर्षों के उपरांत भी इस लेखा शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई गई राशि में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि क्या यह निर्माण कार्य वास्तव में अभी तक भौतिक रूप से हिमुडा के स्वामित्व में है अथवा नहीं? इस संबंध में पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनो में भी आपत्ति दर्ज की गई थी , परंतु हिमुड़ा द्वारा इस संदर्भ में वर्तमान समय तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। इस संबंध में पुन: अंकेक्षण अधियाचना संख्या: हिमुडा/30/2016 दिनांक 1 4.07.2016 के माध्यम से Work Completed in hand के अंतर्गत दर्शाये जा रहे निर्माण कार्यों के संबंध में वास्तविक स्थिति बारे सूचना माँगी गई थी , परंतु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। अत: यह मामला विशेष रूप से पुन: उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है , ताकि इस लेखा शीर्षक के अंतर्गत दर्शाये जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की जाए और यदि यह निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा इन निर्माण कार्यों से संबन्धित संपति को HIMUDA द्वारा अपने स्वंय के प्रयोग में लाया जा रहा हैं तो इन निर्माण कार्यों की लागत को **Balance Sheet** के Fixed Assets (Own Building) लेखा शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि इन निर्माण कार्यों से संबन्धित संपति को हिमुड़ा द्वारा स्वंय के प्रयोग में नहीं लाया जा रहा हैं तो ऐसी सम्पत्ति की बिक्री हेतु विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र अति शीघ्र सूचित किया जाए।

विवरण	प्रारम्भिक शेष	अन्तः शेष
Assets in hand – Baddi Peripheri & Baddi Ph. 3	48,16,560.00 Dr.	48,16,560.00 Dr.
Assets in hand – Baddi Ph.1	24,86,479.00 Dr.	24,86,479.00 Dr.
Assets in hand – Baddi Ph. 2, 2 Nos. HIG H282&283 & P/N445	65,000.00 Dr.	65,000.00 Dr.
Assets in hand – Basement Sanjauli	19,68,645.00 Dr.	19,68,645.00 Dr.
Assets in hand – B/Ban Palampur Ph. 1799.07sqm Land	8,47,014.00 Dr.	8,47,014.00 Dr.
Assets in hand – B/Ban Palampur Ph. 1Cat. 2 H/N 19& 57	5,91,000.00 Dr.	5,91,000.00 Dr.
Assets in hand – B/Ban Palampur Ph. 1Cat. 3 H/N 72	5,34,000.00 Dr.	5,34,000.00 Dr.
Assets in hand – B/Ban Palampur Ph. 1 H/N 50-54	8,31,040.00 Dr.	8,31,040.00 Dr.
Assets in hand – BBC Indora Land 572 sqm @ 5431 sqm.	3,10,596.00 Dr.	3,10,596.00 Dr.
Assets in hand – Com. Sites- Poanta Sahib (1559.31)	9,13,365.00 Dr.	9,13,365.00 Dr.
Assets in hand – EWS Flats Ph.-2 Solan	95,000.00 Dr.	95,000.00 Dr.
Assets in hand – HIG Plot No. 60 Solan	1,48,000.00 Dr.	1,48,000.00 Dr.
Assets in hand – Knollswood	4,38,283.00 Dr.	4,38,283.00 Dr.
Assets in hand – Land 40.49 sqm for 19 Nos. Cat. 3 Pwn.	11,41,503.00 Dr.	11,41,503.00 Dr.
Assets in hand – Land 693.80 sqm for 13 Nos. Cat. 2 Flats	9,42,278.00 Dr.	9,42,278.00 Dr.

Assets in hand – Land at Kandrori	3,99,265.00 Dr.	3,99,265.00 Dr.
Assets in hand – Land under Com. Booths 157.70 sqm SFS	1,20,325.00 Dr.	1,20,325.00 Dr.
Assets in hand – MIG F/No.90 H/No.30 SHC Solan	5,53,500.00 Dr.	5,53,500.00 Dr.
Assets in hand – Parwanoo	1,60,86,520.00 Dr.	1,60,86,520.00 Dr.
Assets in hand – Parwanoo Land & Old Structure	1,09,08,843.53 Dr	1,09,08,843.53 Dr
Assets in hand – Ph.2 F/N.2 B/23 SFS Solan	3,45,000.00 Dr.	3,45,000.00 Dr.
Assets in hand – Raw Land Bank SHC Rampur	9,173.00 Dr.	9,173.00 Dr.
Assets in hand – SHC Kangra	1,99,000.00 Dr.	1,99,000.00 Dr.
Assets in hand – Una	58,583.00 Dr.	58,583.00 Dr.
कुल योग	**4,48,08,972.53 Dr.**	**4,48,08,972.53 Dr.**

40 वित्तीय वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखों में ₹126.85 लाख के भुगतान को चालू संपति की अपेक्षा अनियमित रूप से व्यय के रूप में वर्गीकृत करना

अंकेक्षण को प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि वाउचर संख्या: 2172 दिनांक 31.3.2015 द्वारा बोर्ड कर्मचारियों को हिमुड़ा निधि से अर्जित अवकाश भुनाने की एवज में ₹14,51,490 का भुगतान किया गया, जिसे लेखा शीर्ष 'leave encashment of earned leave Account" को Dr. करके लाभ-हानि लेखा में व्यय के रूप में दर्शाया गया था जोकि अनुचित है, क्योंकि हिमुडा द्वारा अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश भुनाने की एवज में देय राशि का भुगतान करने हेतु अलग से 'Employees Leave Encashment Fund" का गठन करके इनका रख-रखाव किया जा रहा है , जिसमे दिनांक 31.03.15 को ₹388.99 लाख शेष जमा थी और नियमानुसार कर्मचारियों को अर्जित अवकाश भुनाने के एवज में देय राशि का भुगतान भी इसी निधि से किया जाना था। तथा उक्त वर्णित भुगतान की गई 'Employees Leave Encashment Fund" से प्राप्त योग्य (Receivable) है, इसलिए इस राशि को 'Leave Encashment Trust/ Receivable Account" को Dr. करके तुलन पत्र के परिसम्पति पक्ष में चालू सम्पति के शीर्ष अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था न कि इसे लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में दर्शाया जाना था ।इस संदर्भ में विस्तृत अंकेक्षण पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 मे वर्णित अनियमितता के निम्न विवरण के अनुसार ₹1,26,85,124 गलत ढंग से व्यय के रूप में दर्शाई गई थी।

माह	जोर्नल/रोकड़ वाउचर संख्या	तिथि	राशि
(i)HQ Himuda			
5/2014	Cash Vr. No.303	26.05.14	655880
	Cash Vr. No.304	26.05.14	315765
7/2014	Cash Vr. No.727	24.07.14	947150
8/2014	Cash Vr. No.822	06.08.14	92673
10/2014	Cash Vr. No.1206	14.10.14	521301
	Cash Vr. No.1251	25.10.14	444800
11/2014	Cash Vr. No.1342	12.11.14	35530

	Cash Vr. No.1441	26.11.14	34520
1/2015	Cash Vr. No.1712	12.01.15	67959
2/2015	Cash Vr. No.1842	06.02.15	916167
3/2015	Cash Vr. No.2172	31.03.15	1451490
(ii)Dharamshala Division			
3/2015	Journal Vr. No.12	31.3. 15	1907329
(iii)Division-I			
3/2015	Journal Vr. No.1	31.3. 15	734310
(iv)Electrical Division -Hamirpur			
3/2015	Journal Vr. No.42	31.3. 15	113550
(v)Divison- Mandi			
3/2015	Journal Vr. No.23	31.3. 15	4446700
Grand Total (i)to(v)			**1,26,85,124**

उक्त अनियमितता के परिणामस्वरूप हिमुडा के अंतिम लेखों में चालू सम्पति तथा शुद्ध लाभ व Reserve & surplus को वास्तविकता से कम दर्शाया गया है जबकि व्यय को वास्तविकता से अधिक दर्शाया गया था जिसके कारण वित्तीय विवरणियां हिमुडा की सही व् वास्तविक स्थिति परिलक्षित नहीं करती है। इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या : हिमुडा/22/BS/2016 दिनांक 28.06.2016 द्वारा इन अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों में सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था , जिसके प्रत्युतर में अर्ध शासकीय पत्र संख्या: HIMUDA/Cash/Audit/2014-15,9757 दिनांक 04.07.16 द्वारा सूचित किया गया कि इन वर्णित त्रुटियों का समायोजन आगामी वित्तीय वर्ष के अंतिम लेखों में कर दिया जायेगा । हिमुडा द्वारा ।प्रस्तुत उक्त उतर सन्तोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि यह त्रुटियाँ वित्तीय वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित है तथा इनका यथोचित सुधार भी इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए था ताकि वित्तीय विवरणियां हिमुडा की सही व् उचित स्थिति परिलक्षित करती। । अतः परामर्श दिया जाता है कि इस संदर्भ में पूर्ण छानबीन के उपरांत उक्त वर्णित त्रुटियों का आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण करने के अतिरिक्त 'Employees Leave Encashment Fund" से हिमुडा निधि में ₹1,26,85,124 की भरपाई करनी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

41 वित्तीय वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखों में Pension Payment Account मे ₹30.89 लाख के भुगतान को अनुचित रूप से वर्गीकृत करना

अंकेक्षण को प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान पेंशन से संबन्धित भुगतान की गई ₹30,88,982 को अनुचित रूप से लेखा शीर्ष 'pension payable Account". की अपेक्षा व्यय लेखा शीर्ष 'pension payment Account".को Dr. कर दिया । गया। जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2014-15 में हिमुडा द्वारा बोर्ड कर्मचारियों को

पेंशन का भुगतान करने हेतु जितनी भी राशि का प्रावधान लेखा शीर्ष ‘pension payable account” के अंतर्गत किया गया था उस सारी राशि का भुगतान कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त निम्न विवरण अनुसार ₹5,70,876 के भुगतान को भी अनुचित रूप से लेखा शीर्ष ‘pension payable Account” को Dr. किया गया था जबकि ₹55,957 को व्यय लेखा शीर्ष ‘pension payment Account” को तथा शेष ₹5,14,919 को चालू संपति प्राप्य (Receivable) के रूप में लेखा शीर्ष ‘pension to Himuda Employees Account” को Dr. किया जाना चाहिए था।

माह	जोर्नल/रोकड़ वाउचर संख्या	तिथि	राशि
HQ Himuda			
4/2014	Cash Vr. No.66	17.04.14	184163
5/2014	Cash Vr. No.261	21.05.14	184163
	Cash Vr. No.359	21.05.14	181485
7/2014	Cash Vr. No.589	07.07.14	181485
8/2014	Cash Vr. No.811	04.08.14	213847
	Cash Vr. No.958	30.08.14	213847
10/2014	Cash Vr. No.1159	04.10.14	226259
	Cash Vr. No.1285	31.10.14	226774
12/2014	Cash Vr. No.1461	01.12.14	226774
1/2015	Cash Vr. No.1644	01.01.15	225332
2/2015	Cash Vr. No.1905	13.02.15	1024853
जोड़			**3088982**
Less Wrong Debit	Cash Vr. No.1596	22.12.14=₹514919	
	Cash Vr. No.1600	23.12.14=₹55957	(-)570876
कुल जोड़			**2518106**

उक्त अनियमितता के परिणामस्वरूप हिमुडा के अंतिम लेखों में चालू सम्पति, शुद्ध लाभ तथा **Reserve & surplus** को वास्तविकता से कम दर्शाया गया है , जबकि व्यय व् चालू दायित्व को वास्तविकता से अधिक दर्शाया गया था, जिसके कारण वित्तीय विवरणियां हिमुडा की सही व् वास्तविक स्थिति परिलक्षित नहीं करती है। इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: हिमुडा/23/BS/2016 दिनांक **28.**06.2016 द्वारा इन अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था , जिसके प्रत्युतर में अर्ध शासकीय पत्र संख्या : HIMUDA/Cash/Audit/2014-15,9758 दिनांक 04.07.16 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त वर्णित त्रुटियों का समायोजन आगामी वित्तीय वर्ष के अंतिम लेखों में कर दि या जायेगा। हिमुडा द्वारा प्रस्तुत उक्त उतर सन्तोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि उक्त त्रुटियाँ वित्तीय वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित है तथा इनका यथोचित सुधार भी इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए था। ।अतः परामर्श दिया जाता है कि इस संदर्भ में पूर्ण छानबीन के उपरांत उक्त वर्णित त्रुटियों का आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित

वित्तीय विवरणियों में शुद्धिकरण करने के अतिरिक्त 'Pension to Himuda Employees Fund" से ₹5,14,919 की भरपाई हिमुड़ा निधि में की जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। ।

42 वित्तीय वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखों में ₹50.78 लाख के भुगतान को व्यय की अपेक्षा अनियमित रूप से चालू दायित्व में वर्गीकृत करना

अंकेक्षण को प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि वाउचर संख्या: 2008 दिनांक 7.3.2015 द्वारा **Corporate Sector** के 15 कर्मचारियों को हिमुदा निधि से पेंशन के एवज में ₹2,13,579 का भुगतान किया गया (रोकड़ बही पृष्ठ- 40), जिसे जर्नल वाउचर संख्या: 88 दिनांक 1.3.2015 द्वारा अनुचित रूप से चालू दायित्व लेखा शीर्ष 'Pension to Himuda Employees Account" को Dr. किया गया दर्शाया गया है, जबकि व्यय होने के कारण इनको व्यय लेखा शीर्ष 'Pension Payment Account" को Dr. करके लाभ-हानि लेखा में इनकी गणना की जानी चाहिए थी। इस संदर्भ में ।विस्तृत अंकेक्षण पर पाया गया कि वर्ष 2014-15 की वित्तीय स्थिति में उक्त वर्णित अनियमितता से संबन्धित राशियों का विवरण निम्नानुसार था।

माह	जर्नल वाउचर संख्या	तिथि	राशी
4/2014	5	1.4.2014	187163
5/2014	14	1.5.2014	187163
6/2014	18	1.6.2014	187163
7/2014	31	1.7.2014	191930
8/2014	39 & 40	1.8.2014	1441799
9/2014	46	1.9.2014	219525
10/2014	54 & 61	1.10.2014	463874
11/2014	69	1.11.2014	231937
12/2014	74 & 75	1.12.2014	463874
1/2015	81	1.1.2015	231937
2/2015	82	1.2.2015	1029340
3/2015	88	1.3.2015	242107
कुल जोड़			**5077812**

उक्त अनियमितता के परिणामस्वरूप हिमुडा के अंतिम लेखों में चालू दायित्व व् व्यय को वास्तविकता से कम तथा शुद्ध लाभ को वास्तविकता से अधिक दर्शाया गया था, जिसके कारण वित्तीय विवरणियां हिमुडा की सही व् वास्तविक स्थिति परिलक्षित नहीं करती है । ।इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: हिमुडा/4/BS/2016 दिनांक 2.06.2016 द्वारा अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था , जिसके प्रत्युतर में पत्र संख्या :HIMUDA/Cash/Audit/2014-15,8947 दिनांक 28.06.16 द्वारा सूचित किया गया कि छानबीन के उपरांत उक्त वर्णित त्रुटियों का समायोजन आगामी वित्तीय वर्ष के अंतिम लेखों में

कर दिया जायेगा। हिमुडा द्वारा ।प्रस्तुत उक्त उतर सन्तोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि यह त्रुटियाँ वित्तीय वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित है तथा इनका यथोचित सुधार भी इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए था ताकि वित्तीय विवरणियां हिमुडा की सही व् उचित स्थिति परिलक्षित करती। । अतः परामर्श दिया जाता है कि इस संदर्भ में पूर्ण छानबीन के उपरांत उक्त वर्णित त्रुटियों का आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। ।

43 हिमुडा के Corporate Sector पेंशनरों को माह 12/2014 में भुगतान की गई पेंशन की ₹2.32 लाख की लेखों में अनुचित रूप से दो बार गणना करके समायोजन करना

अंकेक्षण को प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि हिमुडा के corporate sector पेंशनरों की माह 12/2014 की पेंशन की भुगतान की गई ₹2,31,937 को लेखों में अनुचित रूप से दोबार गणना करके इसका समायोजन किया गया है अर्थात प्रथमतः जर्नल वाउचर संख्या: 74 दिनांक 1.12.2014 तथा तदोपरांत जोर्नल वाउचर संख्या: 75 दिनांक 1.12.2014 द्वारा ।इनकी गणना की गयी थी। इस अनियमितता के परिणामस्वरूप हिमुडा के अंतिम लेखों में चालू दायित्व तथा व्यय को निम्न विवरण के अनुसार वास्तविकता से अधिक दर्शाया गया था, जिसके कारण वित्तीय विवरणियां हिमुडा की सही व् वास्तविक स्थिति परिलक्षित नहीं करती है।

Head of Account	**Nature**	**Amount**	**Effects in Financial Statements**
Pension to HIMUDA Employees A/C	Expenditure	2,31,937 Dr.	Profit & Loss A/C
Income Tax (TDS) Pensioners A/C	Liability	3,605 Cr.	Balance Sheet
Misc. Recovery A/C	Receipt	3,000 Cr.	Profit & Loss A/C
Pension Payable A/C	Liability	2,25,332 Cr.	Balance Sheet

इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या : हिमुडा/6/BS/2016 दिनांक 03.06.2016 द्वारा इन अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था , किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। । अतः परामर्श दिया जाता है कि इस संदर्भ में पूर्ण छानबीन के उपरांत उक्त वर्णित त्रुटियों का आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

44 वित्तीय वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखों में भी ₹2.65 लाख के भुगतान को चालू सम्पति की अपेक्षा अनियमित रूप से व्यय के रूप में वर्गीकृत करना

अंकेक्षण को प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि वाउचर संख्या: 851 दिनांक 12.08.14 M/s HP State Electronic Dev. Corp. Ltd. –Khalini, Shimla को ‘ SURVER HP ML350P with Intel E5-2620v2 six core processor, क्रय करने हेतु अग्रिम ₹2,64,900 का भुगतान किया गया था तथा कारपोरेशन द्वारा उक्त Equipment उनके बिल संख्या: 34177 दिनांक 30.2.14 द्वारा सप्लाई किया गया। हिमुडा द्वारा उक्त भुगतान को अनुचित रूप से लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में

दर्शाया गया है, जबकि कार्यालय Equipment की प्राप्ति Non Consumable Nature होने के कारण उक्त वर्णित भुगतान को चालू सम्पति के रूप में वर्गीकृत करके तुलन पत्र की सम्पति पक्ष में दर्शाया जाना चाहिए था तथा Equipment पर नियमानुसार ' depreciation" की राशि की गणना करके व्यय को लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाना चाहिए था। ।इस अनियमितता के परिणामस्वरूप हिमुडा के अंतिम लेखों में शुद्ध लाभ, चालू सम्पति, व Reserve & surplus को वास्तविकता से कम तथा व्यय, को वास्तविकता से अधिक दर्शाया गया था , जिसके कारण वित्तीय विवरणियां हिमुडा की वास्तविक स्थिति परिलक्षित नहीं करती है ।। इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या : हिमुडा/24/BS/2016 दिनांक 1 5.07.2016 द्वारा उक्त अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवम सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था , किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ।। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस संदर्भ में पूर्ण छानबीन के उपरांत उक्त वर्णित त्रुटियों का आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। ।

45 भुगतान की गई ₹13.35 लाख की रोकड़ बही में अनुचित रूप से दो बार गणना करके समायोजन करना

अंकेक्षण को प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि चैक संख्या: 0412604 दिनांक 13.04.06 द्वारा ठियोग में भूमि अधिग्रहण करने हेतु ₹1312000 का भुगतान किया गया था, किन्तु सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में इस लेन-देन की लेखों में गणना नहीं की गयी थी , परन्तु वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस त्रुटि का समाधान करते हुए उक्त वर्णित भुगतान की रोकड़ बही में अनुचित रूप से दो बार गणना करके इसका समायोजन किया गया अर्थात प्रथमतः वाउचर संख्या: 699 दिनांक 17.07.2014 तथा तदोपरांत वाउचर संख्या: 1931 दिनांक 21.02.2015 द्वारा। इसका समायोजन किया गया। इसके अतिरिक्त वाउचर संख्या: 1931 दिनांक 21.02.2015 द्वारा बिना किसी वास्तविक लेन-देन के ₹23179 की आय को भी लेखा शीर्ष 'Interest on Saving A/c" को Debit किया गया था। ।इस अनियमितता के परिणामस्वरूप हिमुडा के अंतिम लेखों में आय, शुद्ध लाभ/ Reserve & Surplus तथा चालू सम्पति को गलत दर्शाया गया था जिसके कारण तुलन पत्र व लाभ- हानि खाता हिमुडा की सही व् वास्तविक स्थिति परिलक्षित नहीं करते है । इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: हिमुडा/25/BS/2016 दिनांक 18.07.2016 द्वारा अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। । अतः परामर्श दिया जाता है कि इस संदर्भ में पूर्ण छानबीन के उपरांत वर्णित त्रुटियों का आवश्यक समाधान करके सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

46 वेतन व भत्तों तथा पेंशन लाभों से संबन्धित विभिन्न अनियमितताओं के फलस्वरूप लगभग ₹8.10 लाख का अनियमित भुगतान करना

चयनित मासों से संबन्धित अंकेक्षण को प्रस्तुत किये गये कर्मचारियों के सेवा अभिलेख का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि कर्मचारियों को वेतन व भत्तों तथा सेवा निवृति लाभों से संबन्धित विभिन्न अनियमितताओं के कारण उनका निम्न विवरणानुसार लगभग **₹8.10** लाख के वेतन भत्तों तथा पेंशन लाभों का अधिक् भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन के उपरांत यथोचित अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(क) **श्रेणी-4 के कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत अतिरिक्त वेतन वृद्धि का गलत लाभ प्रदान करने के कारण लगभग ₹3.25 लाख के वेतन व भत्तों तथा पेंशन लाभों का अनियमित भुगतान करना:-** अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान कर्मचारियों के वेतन निर्धारण व स्वीकृत सेवानिवृति लाभों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित श्रेणी-4 के कर्मचारी, जोकि श्रेणी-3 के वेतनमान में वेतन आहरण कर रहे थे, को 20 वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया गया था, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है, क्योंकि वित्त (विनियम) विभाग, हि०प्र० सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या: Fin(C)B(7)-3/2012 दिनांक 15.12.12 द्वारा जारी अनुदेश/स्पष्टीकरण अनुसार उक्त लाभ तभी देय होगा यदि सम्बन्धित कर्मचारी देयता तिथि को श्रेणी-4 के वेतनमान में ही वेतन आहरण कर रहा हो , जबकि यह कर्मचारी श्रेणी-3 के वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे थे। इस प्रकार इस अनियमितता के कारण उनकी दिनांक 31.05.16 तक निम्न विवरण के अनुसार लगभग ₹2.33 लाख के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान हो चुका था, जिसकी पूर्ण गणना हिमुड़ा द्वारा अपने स्तर पर वेतन निर्धारण संशोधन के उपरांत करके सम्बन्धित कर्मचारियों से अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

1. श्री सुभाष चंद, सेवादार (Pay band 5910-20200+1900GP)

स्वीकृति तिथि/आदेश संख्या /सेवा पुस्तिका पृष्ठ	निर्धारित/आहरित वेतन	देय वेतन	मूल वेतन में अंतर	अधिक भुगतान की अवधि	मूल वेतन के अधिक भुगतान की राशि
01.08.12/nil/21vol.iv	11590+1900GP =13490	11190+1900GP =13090	400	01.08.12 to 31.12.12=5M	2000
S/book vol. iv P-21	12000+1900GP =13900	11590+1900GP =13490	410	01.01.13 to 31.12.13=12M	4920
S/book vol. iv P-22	12420+1900GP =14320	12000+1900GP =13900	420	01.01.14 to 31.12.14=12M	5040
S/book vol. iv P-28	12850+1900GP =14750	12420+1900GP =14320	430	01.01.15 to 31.12.15=12M	5160
S/book vol. iv P-28	13300+1900GP =15200	12850+1900GP =14750	450	01.01.16 to 31.05.16=5M	2250
				कुल जोड़	**19370**

2. श्री नानक चंद, सेवादार/लिपिक (Pay band5910-20200/10300-34800+ +1900/3200GP)

स्वीकृति तिथि/आदेश संख्या /सेवा पुस्तिका पृष्ठ	निर्धारित/आहरित वेतन	देय वेतन	मूल वेतन में अंतर	अधिक भुगतान की अवधि	मूल वेतन के अधिक भुगतान की राशि
01.08.12/HIMUDA-3-706/2008-Admn. Vol.II Dt.12.07.13 (P-22 vol.II s/book)	11210+1900GP =13110	10820+1900GP =12720	390	01.08.12 to 09.09.12 =1M9D	507
Promoted as clerk wef.10.09.12(FN)	11210+1900GP =13110	10820+1900GP =12720	390	10.09.12 to 31.03.13 =6M21D	2613
HIMUDA-3-706/ 2008 -Admn. Dt.19.12.14 (P-27 vol.II s/book)	12020+1900GP =13920	11610+1900GP =13510	410	01.04.13 to 31.03.14=12M	4920
S/book vol. II P-27	12440+1900GP =14340	12020+1900GP =13920	420	01.04.14 to 10.09.14=5M10D	2240
Grant of Pay band 10300-34800+3200 GP (S/book vol.II P-27)	12440+3200GP =15640	12020+3200GP =15220	420	11.09.14 to 31.03.15 =6M20D	2800
S/book vol.II P-28	12910+3200GP =16110	12480+3200GP =15680	430	01.04.15 to 31.03.16=12M	5160
S/book vol.II P-28	13400+3200GP =16600	12950+3200GP =16150	450	01.04.16 to 31.05.16=2M	900
			कुल जोड़		**19140**

3 . श्री ज्ञान चंद पॉल, सेवादार/लिपिक (Pay band 5910-20200+1900GP)

स्वीकृति तिथि/आदेश संख्या /सेवा पुस्तिका पृष्ठ	निर्धारित/आहरित वेतन	देय वेतन	मूल वेतन में अंतर	अधिक भुगतान की अवधि	मूल वेतन के अधिक भुगतान की राशि
01.08.12/HIMUDA-3-753/1990-Admn.	11520+1900GP =13420	11130+1900GP =13030	390	01.08.12to 31.08.12=1M	390
33947-48 Vol.II Dt. 23.01.14 (P-8 vol.II	11930+1900GP =13830	11520+1900GP =13420	410	01.09.12 to 31.08.13=12M	4920
S/book)	12350+1900GP =14250	11930+1900GP =13830	420	01.09.13 to 31.08.14=12M	5040
S/book vol. II P-10	12780+1900GP =14680	12350+1900GP =14250	430	01.09.14 to 03.10.14=1M3D	472
Promoted as clerk wef.04.10.14(FN) HIMUDA-3-753/ 1900-	13220+1900GP =15120	12780+1900GP =14680	440	04.10.14 to 30.09.15 =11M28D	5238
Admn.36143 -44 Dt. 04.12.14 (S/bookvol.II P-14)	13680+1900GP =15580	13220+1900GP =15120	460	01.10.15 to 31.05.16=8M	3680
		कुल जोड़			**19740**

4. श्री नेतर सिंह, चौकीदार (Pay band 5910-20200+1900GP)

स्वीकृति तिथि/आदेश संख्या /सेवा पुस्तिका पृष्ठ	निर्धारित/आहरित वेतन(₹)	देय वेतन	मूल वेतन में अंतर	अधिक भुगतान की अवधि	मूल वेतन के अधिक भुगतान की राशि
01.08.12/HIMUDA-3-513/1982-Admn.	11590+1900GP =13490	11190+1900GP =13090	400	01.08.12to 31.12.12=5M	2000
32477-78 Dt.13.01.14 (P-19	12000+1900GP =13900	11590+1900GP =13490	410	01.01.13 to 31.12.13=12M	4920
vol.III S/book)	12420+1900GP =14320	12000+1900GP =13900	420	01.01.14 to 31.12.14=12M	5040
S/book vol. III P-23	12850+1900GP =14750	12420+1900GP =14320	430	01.01.15 to 31.12.15=12M	5160
S/book vol. III P-25	13300+1900GP =15200	12850+1900GP =14750	450	01.01.16 to 31.05.16=5M	2250
		कुल जोड़			**19370**

5. श्री भीम बहादुर, सेवादार (Pay band 5910-20200+1900GP)

स्वीकृति तिथि/आदेश संख्या /सेवा पुस्तिका पृष्ठ	निर्धारित/आहरित वेतन	देय वेतन	मूल वेतन में अंतर	अधिक भुगतान की अवधि	मूल वेतन के अधिक भुगतान की राशि
01.08.12/HIMUDA-3-548/1982-Admn.	11590+1900GP =13490	11190+1900GP =13090	400	01.08.12to 31.12.12=5M	2000
32475-76 Dt.13.01.14 (P-36	12000+1900GP =13900	11590+1900GP =13490	410	01.01.13 to 31.12.13=12M	4920
vol.II S/book)	12420+1900GP =14320	12000+1900GP =13900	420	01.01.14 to 31.12.14=12M	5040
S/book vol. II P-38	12850+1900GP =14750	12420+1900GP =14320	430	01.01.15 to 31.12.15=12M	5160
S/book vol. II P-40	13300+1900GP =15200	12850+1900GP =14750	450	01.01.16 to 31.05.16=5M	2250
		कुल जोड़			19370

6. श्री रमेश चंद, सेवादार (Pay band 5910-20200+1900GP/DOR31.05.14)

(i) Pay

स्वीकृति तिथि/आदेश संख्या /सेवा पुस्तिका पृष्ठ	निर्धारित/आहरित वेतन	देय वेतन	मूल वेतन में अंतर	अधिक भुगतान की अवधि	मूल वेतन के अधिक भुगतान की राशि
01.08.12/nil/(P-18 vol.IV S/book)	11590+1900GP =13490	11190+1900GP =13090	400	01.08.12to 28.02.13=7M	2800
	12000+1900GP =13900	11590+1900GP =13490	410	01.03.13 to 28.02.14=12M	4920
S/book vol.IV P-21	12420+1900GP =14320	12000+1900GP =13900	420	01.03.14 to 31.05.14=3M	1260
		जोड़			**8980**

(ii) Pension (As per calculation sheet sent to LIC vide CAO letter no. HIMUDA/ Acctts/GS Pension Scheme/LIC/2008/41065-67 dated 16.01.15 (P-25to27 of Pension file)

Qualifying Service	Pension Sanctioned	Pension Due	Diff. of	Period	Amount paid in

			pension		Excess
32Y8M6D =321/2Yr. or 65Half years	i)Basic 7160 ii)Comm.2362 iii)Res. 4798	6950 2293 4657	210 69 141	01.06.14to 31.03.16= 22M	3102
Commuted value of pension	2362x12x8.446 =239394	2293x12x8.446 =232401	6993	-	6993
Gratuity/ HIMUDA-3-500/1982-Admn. 24907-10 Dt. 08.08.14 (P-28 vol.IV S/book)	i)Basic 14320 ii)DA(90%) 12888 iii)Total 27208 i.e27208x65/4 =442130	i)Basic 13900 ii)DA(90%)12510 iii)Total 26410 i.e26410x65/4 =429163	12967	-	12967
Leave Encashment 66days/HIMUDA/ DD/ CB/PF Ramesh Chand / 2012/832-33 Dt. 28.05.14 (P-26 vol.IV S/book)	i)Basic 14320 ii)DA(90%) 12888 iii)Total 27208 i.e27208x66/30 =59858	i)Basic 13900 ii)DA(90%)12510 iii)Total 26410 i.e26410x*61/30 =53700	6158	-	6158
	*EL closing balance as on 31.12.01 was 232days which was C/F as O.B.on 01.01.02 as 237days i.e excess by 5days.Hence EL encashment was actually due for 61 days instead of 66days sanctioned.				
		जोड़			29220
		कुल जोड़ (क)+ (ख)			**38200**

7. श्री सीता राम, सेवादार (Pay band 5910-20200+1900GP/DOR30.06.14)

(i)Pay

स्वीकृति तिथि/आदेश संख्या /सेवा पुस्तिका पृष्ठ	निर्धारित/आहरित वेतन(₹)	देय वेतन(₹)	मूल वेतन में अंतर (₹)	अधिक भुगतान की अवधि	मूल वेतन के अधिक भुगतान की राशि
01.08.12/HIMUDA-3-564/2005-Admn.	11590+1900GP =13490	11190+1900GP =13090	400	01.08.12to 28.02.13=7M	2800
Vol.II Dt.11.07.13 (P-40vol.II S/book)	12000+1900GP =13900	11590+1900GP =13490	410	01.03.13 to 28.02.14=12M	4920
S/book vol.II P-41	12420+1900GP =14320	12000+1900GP =13900	420	01.03.14 to 30.06.14=4M	1680
		जोड़			**9400**

(ii)Pension (As per calculation sheet sent to LIC vide CAO letter no.HIMUDA/ Acctts/GS Pension Scheme/LIC/2008/22037-39 dated 25.07.14(P-nil of Pension file)

Qualifying Service	Pension Sanctioned	Pension Due	Diff. of pension	Period	Amount paid in Excess
31Y3M8D =311/2Yr. or 63Half years	i)Basic 7160 ii)Comm.2362 iii)Res. 4798	6950 2293 4657	210 69 141	01.07.14to 31.03.16= 21M	2960
Commuted value of pension	2362x12x8.194 =232251	2293x12x8.194 =225467	6784	-	6784
Gratuity/ HIMUDA:3-	i)Basic 14320 ii)DA(90%) 12888	i)Basic 13900 ii)DA(90%) 12510	12568	-	12568

564/2005-Admn. Vol.II -20069-71Dt.11.07.14 (P-44 vol.II S/book)	iii)Total 27208 i.e27208x63/4 =428526	iii)Total 26410 i.e26410x63/4 =415958			
Leave Encashment 300days/ HIMUDA: 3-564/2005-Admn. Vol.II -20072-73Dt. 11.07.14 (P-44 vol.II S/book)	i)Basic 14320 ii)DA(90%) 12888 iii)Total 27208 i.e27208x300/30 =272080	i)Basic 13900 ii)DA(90%) 12510 iii)Total 26410 i.e26410x300/30 =264100	7980	-	7980
		जोड़			30292
		कुल जोड़ (क)+ (ख)			**39692**

8. श्री बलवंत सिंह कटोच, सेवादार (Pay band 5910-20200+1900GP/DOR31.05.14)

(i)Pay

स्वीकृति तिथि/आदेश संख्या /सेवा पुस्तिका पृष्ठ	निर्धारित/आहरित वेतन	देय वेतन	मूल वेतन में अंतर	अधिक भुगतान की अवधि	मूल वेतन के अधिक भुगतान की राशि
01.08.12/nil/P-22 vol.III S/book)	11920+1900GP =13820	11510+1900GP =13410	410	01.08.12to 30.04.13=11M	4510
	12340+1900GP =14240	11920+1900GP =13820	420	01.05.13 to 30.04.14=12M	5040
S/book vol.III P-23	12770+1900GP =14670	12340+1900GP =14240	430	01.05.14 to 31.05.14=1M	430
		जोड़			**9980**

(ii)Pension (As per calculation sheet sent to LIC vide CAO letter no.HIMUDA/ Acctts/GS Pension Scheme/LIC/2008/23662-64 dated 01.08.14(P-nil of Pension file)

Qualifying Service	Pension Sanctioned	Pension Due	Diff. of pension	Period	Amount paid in Excess
33Y00M2D =33Yr. or 66Half years	i)Basic 7335 ii)Comm.2420 iii)Res. 4915	7120 2349 4771	215 71 144	01.06.14to 31.03.16= 22M	3168
Commuted value of pension	2420x12x8.194 =237954	2349x12x8.194 =230972	6982	-	6982
Gratuity/HIMUDA:3-445/ 1981-Admn. -12784-87 Dt. 09.07.14 (P-23 vol.III S/book)	i)Basic 14670 ii)DA(90%) 13203 iii)Total 27208 i.e27873x66/4 =459905	i i)Basic 14240 ii)DA(90%) 12816 iii)Total 27056 i.e27056x66/4 =446424	13481	-	13481
Leave Encashment 300days/HIMUDA/ PD/ CB/ PF Balwant singh/ 2012/Dt.nil(P-24vol.III S/book)	i)Basic 14670 ii)DA(90%) 13203 iii)Total 27208 i.e27873x300/30 =278730	i)Basic 14240 ii)DA(90%) 12816 iii)Total 27056 i.e27056x300/30 =270560	8170	-	8170
		जोड़			31801

कुल जोड़ (क)+ (ख) **41781**

(ख) श्री सुरेश सुमन, चालक (pay band Rs.5910-20200+3000GP&DNI 1st January)

अंकेक्षण के दौरान श्री सुरेश कुमार ,चालक की सेवा पुस्तिका के अवलोकन पर पाया गया कि हि०प्र० सरकार वित् विनियम विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या :Fin (C)A(9)-7/98 दिनांक 07.04.12 द्वारा चालकों को दूसरी अतिरिक्त वेतन वृद्धि का जो लाभ दिनांक 01.04.12 से प्रदान किया गया था, वह लाभ उन्हें कार्यालय आदेश संख्या: HIMUDA: 3-550/1982-Admn. दिनांक 19.10.12 (P-11 of S/book vol.III) द्वारा दिनांक 01.04.07 से अनियमित रूप से प्रदान किया गया था , जिसके कारण उन्हें निम्न विवरण अनुसार अवधि 01.04.07 से 31.03.12 तक ₹37881 के वेतन व् भत्तों का अधिक भुगतान हुआ है , जिसकी पूर्ण गणना वेतन निर्धारण संशोधन उपरांत हिमुडा अपने स्तर पर करके सम्बन्धित कर्मचारियों से अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अवधि	आहरित वेतन प्रति माह	देय वेतन प्रति माह	अंतर	महंगाई भत्ता /दर(%में)	अधिक भुगतान की राशि
01.04.07to31.06.07=3m	12910+2400 =15310	12460+2400 =14860	450	27/ (6%)	1431
01.07.07to31.12.07=6m	12910+2400 =15310	12460+2400 =14860	450	41/ (9%)	2946
01.01.08to30.06.08=6m	13370+2400 =15770	12910+2400 =15310	460	55/ (12%)	3090
01.07.08to31.12.08=6m	13370+2400 =15770	12910+2400 =15310	460	74/ (16%)	3204
01.01.09to30.06.09=6m	13850+2400 =16250	13370+2400 =15770	480	106/ (22%)	3516
01.07.09to26.08.09 =1m26D	13850+2400 =16250	13370+2400 =15770	480	130/ (27%)	1122
27.08.09(9years benefit under4-9-14scheme)	13850+2800 =16650	13370+2800 =16170	480	nil	nil
27.08.09to31.12.09=4m 5D(14years benefit under4-9-14scheme)	13850+3000 =16850	13370+3000 =16370	480	130/ 27%)	2538
01.01.10to30.06.10=6m	14360+3000 =17360	13870+3000 =16870	490	172/ 35%)	3972
01.07.10to31.12.10=6m	14360+3000 =17360	13870+3000 =16870	490	221/(45%)	4266
01.01.11to30.06.11=6m	14880+3000 =17880	14380+3000 =17380	500	255/(51%)	4530
01.07.11to31.12.11=6m	14880+3000 =17880	14380+3000 =17380	500	290/(58%)	4740
01.01.12to31.03.12=3m	15420+3000 =18420	14910+3000 =17910	510	332/(65%)	2526
जोड़					**37881**

(ग) चालकों को विशेष भत्ते के रूप में ₹0.43 लाख का अनियमित भुगतान करना

वेतन बिलों का उपलब्ध करवाए गये सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित चालकों को विशेष भत्ते का भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दर ₹300 प्रति माह के स्थान पर ₹700 प्रति माह की दर से किया गया था। परिणामस्वरूप उन्हें निम्न विवरण अनुसार दिनाँक 01.04.12 से 31.03.15 तक ₹43,200 का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया जा चुका था। चूंकि हि०प्र० सरकार द्वारा चालकों को देय विशेष भत्ते की दर ₹300 प्रति माह निर्धारित की गयी है , इसलिए अधिक दर से भुगतान करने से पूर्व हि०प्र० सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित थी , परन्तु ऐसी कोई भी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गयी तथा हिमुडा प्राधिकारी द्वारा अपने स्तर पर ही स्वीकृति प्रदान करके चालकों को अधिक दर से भुगतान कर दिया गया। इस संबंध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों मे भी आपत्ति दर्ज की गई थी परंतु इस संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो तथ्यों सहित नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करने के साथ-2 भविष्य में उक्त भत्ते का भुगतान हि०प्र० सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप ही किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रमांक	**चालक का नाम**	**अवधि**	**हि०प्र० सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार प्रति माह देय विशेष वेतन**	**विशेष वेतन का वास्तव में प्रति माह किया गया भुगतान**	**अन्तर**	**अधिक भुगतान की राशि**
1	श्री सुरेश कुमार	01.04.12 से 31.03.15=36माह	300.00	700.00	400.00	14,400.00
2	श्री जगदीप	01.04.12 से 31.03.15=36माह	300.00	700.00	400.00	14,400.00
3	श्री राजिन्दर पाल	01.04.12 से 31.03.15=36माह	300.00	700.00	400.00	14,400.00
कुल योग						**43,200.00**

उक्त के अतिरिक्त भी यदि दिनाँक 01.4.12 से पूर्व भी इस प्रकार का कोई भुगतान किया गया है तो हिमुडा द्वारा अपने स्तर पर इस सम्बन्ध में यथोचित आवश्यक कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये।

(घ) श्री ओम प्रकाश चौहान लीगल असिस्टेंट को वेतन व भत्तों के रूप में ₹ 0.58 लाख का अधिक भुगतान करना

चयनित माह 3/15 के वेतन बिलों का उपलब्ध करवाए गये सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि श्री ओम प्रकाश चौहान, लीगल असिस्टेंट को वेतन व भत्तों के रूप में

₹ **57863** का अधिक भुगतान हुआ था, जिसका या तो नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा पूर्ण छानबीन के उपरांत अधिक भुगतान की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। श्री ओम प्रकाश चौहान को कार्यालय आदेश संख्या HIMUDA: 5-24/2005-Admn. (vol. VIII) dated 27.06.2006 द्वारा अनुबंध के आधार पर लीगल असिस्टेंट के पद पर दिनाँक 10.7.2006 (FN) से निश्चित वेतन ₹5800/- + 50% महँगाई भत्ता पर नियुक्त किया गया था। हिमाचल सरकार द्वारा अनुबंध कर्मचारियो के दिनाँक 01.12.09 से संशोधित वेतनमानों के दृष्टिगत उनका वेतन ₹10300+3800GP=₹14100 निश्चित किया गया था तथा नियमानुसार 3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि ₹423 प्रतिमाह देय बनती थी। इसके उपरांत उन्हें कार्यालय आदेश संख्या HIMUDA: 5-208/2010-Admn. 12434-38 dated 03.07.2014 द्वारा वर्णित पद पर वेतनमान 10300-34800 + GP3800 में नियमित किया गया , जिस पद पर उन्होंने दिनाँक 03.07.2014 (AN) को कार्यग्रहण किया (सेवा पुस्तिका पृष्ठ -4)। नियमितीकरण के परिणामस्वरूप उन्हें दिनाँक 04.07.14 से वेतन 10300+GP3800=₹14100+अन्य भत्ते देय थे जबकि दिनाँक 01.7.2015 से HIMUDA द्वारा आदेश संख्या HIMUDA: 5-208/2010-Vol. IV-9132-39 दिनाँक 24.6.15 द्वारा संशोधित Grade Pay ₹4200 स्वीकृत(सेवा पुस्तिका पृष्ठ -6) करने के कारण उन्हें वेतन 10300+GP4200=₹14500+अन्य भत्ते देय थे, किन्तु वास्तविक देय दर की अपेक्षा गलत दर से वार्षिक वेतन वृद्धि व वेतन का भुगतान करने के कारण उन्हें अवधि 01.12.2011 से 31.10.2015 तक निम्न विवरण अनुसार ₹ 57863 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया जा चुका था।

अवधि	**देय वेतन (₹)**	**आहरित वेतन (₹)**	**अंतर प्रतिमाह(₹)**	**अधिक भुगतान की राशि**
01.12.11to 30.12.12=12M	14523 A.I. 423	14523 A.I. 436	nil 13	156
01.12.12 to 30.11.13=12M	14946 A.I. 423	14959 A.I. 449	13 26 39	468
01.12.13to 03.07.14=7M3D	15369 A.I. 423	15408 A.I .423	39 nil	277
04.07.14 से 31.12.14=5M28D	B.Pay 10300 GP 3800 DA(107%) 15087 HRA 1000 Total 30187	B.Pay 12031 GP 3800 DA(107%) 16939 HRA 1200 Total 33970	3783	22332
01.01.15 to 30.06.15=6M	B.Pay 10300 GP 3800 DA(113%) 15933 HRA 1000 Total 31033	B.Pay 12031 GP 3800 DA(113%) 17889 HRA 1200 Total 34920	3887	23322
01.07.15 to 31.10.15=4M	B.Pay 10740 GP 4200 DA(119%) 17779 HRA 1200 Total 33919	B.Pay 12031 GP 4200 DA(119%) 19315 HRA 1200 Total 36746	2827	11308
	कुल जोड़			**57863**

(ड़) श्रीमति उषा, अधीक्षक ग्रेड-II तथा श्री सोहन लाल सेवादार को अर्जित अवकाश भुनाने के एवज में अधिक भुगतान करना

(i) कार्यालय आदेश संख्या: HIMUDA:3-418/1980-Admn.-29363-64 दिनांक 17.09.14(सेवा पुस्तिका खंड **-iv** पृष्ठ-33 अवकाश खाता पृष्ठ -188) द्वारा सेवा निवृति पर उन्हें 298 दिनों का अनुपयोग अर्जित अवकाश भुनाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी । अंकेक्षण के दौरान उनके अवकाश खाते मे बहुत सी त्रुटियाँ पाई गई जिनमे से अधिकांश का समाधान करने के उपरांत भी केवल 292 दिनों का ही अनुपयोग अर्जित अवकाश भुनाने हेतु शेष बनता था जिसका मुख्य कारण उनकी नियुक्ति तिथि 10.12.80 से 30.06.81तक 17 दिनों का जमा प्रदान करना (सेवा पुस्तिका खंड -I अवकाश खाता पृष्ठ-18) जबकि उन्हे 15 दिन देय बनते थे और दिनांक 01.01.78 को अर्जित अवकाश का आरंभिक शेष 253 दिनों की अपेक्षा 257 दिन अग्रेषित किया गया था जोकि 4 दिन अधिक था (सेवा पुस्तिका खंड-**iv** अवकाश खाता पृष्ठ-182)। इन अनियमितताओं के कारण उन्हे निम्न विवरण अनुसार 6 दिनों के अधिक अर्जित अवकाश को भुनाने की एवज मे ₹**10496** का अनियमित भुगतान किया गया था जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

विवरण	**स्वीकृत राशि**	**देय राशि**	**अधिक भुगतान की राशि**
Leave Encashment o/o no. HIMUDA: 3-418 / 1980 -Admn. -29363-64 Dt. 17.09.14 (P-33 vol.IV S/book)	i)Basic 21440 ii)GP 4800 ii)DA(100%) 26240 iii)Total 52480 i.e52480x298/30 =**521301**	i)Basic 21440 ii)GP 4800 ii)DA(100%) 26240 iii)Total 52480 i.e52480x292/30 =**510805**	**10496**

(ii) श्री सोहन लाल, बेलदार (सेवा निवृति तिथि 30.09.14)

कार्यालय आदेश संख्या :3550-51 दिनांक 29.09.14, (सेवा पुस्तिका खंड-I पृष्ठ -28) द्वारा उक्त कर्मचारियों का सेवा निवृति पर उन्हें 195 दिनों का अनुपयोग अर्जित अवकाश भुनाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी जबकि अवकाश खाते के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उन्हें केवल 193 दिनों का ही अनुपयोग अर्जित अवकाश भुनाने हेतु शेष बनता था , जिसका मुख्य कारण उनकी नियमतिकरण तिथि 09.04.10 से 30.06.10 तक 2 पूर्ण माह हेतु 7 दिनों का जमा प्रदान करना (पृष्ठ -84 अवकाश खाता सेवा पुस्तिका खंड -I), जबकि उन्हे केवल 5 दिन ही देय बनते थे । इस अनियमितता के कारण उन्हे निम्न विवरण अनुसार 2 दिनों के अधिक अर्जित अवकाश को भुनाने की एवज मे ₹1527 का अनियमित भुगतान किया गया था जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

विवरण	**स्वीकृत राशि**	**देय राशि**	**अधिक भुगतान**

			की राशि
Leave Encashment o/o no. /HIMUDA/ PD/CB/PF Sohan Lal/2014-3550-51 दिनांक 29.09.14 (सेवा पुस्तिका खंड–I पृष्ठ – 28)	i)Basic 9550 ii)GP 1900 ii)DA(100%)11450 iii)Total 22900 i.e22900x195 30 =**148850**	i i)Basic 9550 ii)GP 1900 ii)DA(100%)11450 iii)Total 22900 i.e22900x193 30 =**147323**	**1527**

(च) श्री रोशन लाल, चालक को सेवा निवृत उपदान का अधिक भुगतान करना

उक्त कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति तदर्थ आधार पर बतौर लिफ्ट ऑपरेटर वेतनमान 70-2/80/3-₹95 में कार्यालय आदेश संख्या : HB-5-59/75-admn.7971 दिनांक 19.05.77 (सेवा पुस्तिका खंड-I पृष्ठ-5) द्वारा की गई थी जिस पद उन्होने दिनांक 19.05.77 पूर्वाहन को कार्यग्रहण किया था। सेवा पुस्तिका के अवलोकन पर पाया गया कि उनकी तदर्थ नियुक्ति दिनांक 31.03.80 तक सेवा विस्तार की स्वीकृति सहित तथा उसके उपरांत दिनांक 03.05.88 तक बिना सेवा विस्तार की स्वीकृति के जारी रखी गई। इसके पश्चात दिनांक 04.05.88 को उन्हें कार्यालय आदेश संख्या : HB-5-25/74-admn. दिनांक 04.05.88 द्वारा चालक के पद पर वेतनमान ₹400-660 में नियमित नियुक्ति प्रदान की गई जिस पद पर उन्होने दिनांक 04.05.88 पूर्वाहन को कार्यग्रहण किया था (सेवा पुस्तिका खंड–II पृष्ठ-10&11)। इस प्रकार उनका आरंभिक तदर्थ सेवाकाल कुल 10वर्ष 11माह 16 दिन (19.05.77 पूर्वाहन से 03.05.88 तक) बनता है । तत्पश्चात कार्यालय आदेश संख्या : HB-3-270/77-admn. दिनांक 01.10.91 (सेवा पुस्तिका खंड -II पृष्ठ-16&17) द्वारा उन्हें दिनांक 01.01.86 से तदर्थ पद पर 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर प्रथम प्रवीणता वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करते हुए उनका वेतन ₹1150 के स्तर से ₹1175 के स्तर पर निर्धारित किया गया था परंतु नियमानुसार यह लाभ उन्हें देय नहीं बनता था क्योंकि वर्णित लाभ केवल नियमित कर्मचारियों को ही देय था न कि तदर्थ कर्मचारियों को जैसा कि वित वेतन परिशोधन विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या:Fin(PR)B(7)-1/98-II दिनांक 10.08.99 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आरंभिक तदर्थ सेवाकाल प्रवीणता वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान हेतु गणना मे नहीं लिया जाना है । अतः इस अनियमितता के कारण उन्हें निम्न विवरण अनुसार वेतन व भत्तों तथा सेवा निवृति लाभों का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है । उक्त कर्मचारी के सेवा निवृति लाभों का भुगतान (As per calculation sheet sent to LIC vide CAO letter no.HIMUDA/Acctts/GS Pension Scheme/LIC/2008/23662-64 dated 01.08.14 (P-nil of Pension file) कुल सेवाकाल 33 वर्ष 00 माह 2 दिन पर आधारित था, जिसमे उक्त वर्णित 10 वर्ष11 माह 16 का आरंभिक तदर्थ सेवाकाल भी सम्मिलित है जोकि नियमानुसार सेवा निवृति लाभों कि गणना हेतु नहीं लिया जाना चाहिए था , जैसा कि वित वेतन परिशोधन विभाग के पत्र संख्या : (Pen)A(3)-1/91& Fin(Pen)A(3)-1/2001 दिनांक 16.06.93 व 19.07.04 द्वारा स्पष्ट किया गया है । अतः इस अनियमितता के कारण उन्हें निम्न विवरण अनुसार सेवा निवृति उपदान का अनियमित रूप

से अधिक भुगतान किया गया है, जिसकी हिमुड़ा स्तर पर भी आंतरिक जाँच की जाए तथा तदनुसार वस्तुस्थिति एवं अनुपलना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

स्वीकृतितिथि/आदेश संख्या /सेवा पुस्तिका पृष्ठ	**प्रवीणता वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने पर निर्धारित/आहरित वेतन**	**प्रवीणता वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने से पूर्व देय वेतन**	**मूल वेतन में अंतर**	**अधिक भुगतान की अवधि**	**मूल वेतन के अधिक भुगतान की राशि**
Grant of 1st Prop	1175	1150	25	01.01.86to 31.12.86=12M	300
Annual Increment	1200	1175	25	01.01.87to 31.12.87=12M	300
Annual Increment	1230	1200	30	01.01.88to 03.05.88=4M3D	123
Fixation of pay on regular Apptt. As Driver	1230	1200	30	04.05.88to 31.12.88=7M28D	237
Annual Increment	1260	1230	30	01.01.89to 31.12.89=12M	360
Annual Increment	1290	1260	30	01.01.90to 31.12.90=12M	360
Annual Increment	1320	1290	30	01.01.91to 31.12.91=12M	360
Annual Increment	1350	1320	30	01.01.92to 31.12.92=12M	360
Annual Increment	1365+30	1365	30	01.01.93to 31.12.93=12M	360
Annual Increment	1410+30	1410+30	30	01.01.94to 31.12.94=12M	360
Annual Increment	1455+30	1455+30	30	01.01.95to 31.12.95=12M	360
Annual Increment	1500+30	1500	30	01.01.96	nil
Fixation of pay in the revised pay scale	4850	4700	150	01.01.96to 03.05.96=4M3D	615
Grant of higher scale under ACP scheme 4020-6200	5000	4850	150	04.05.96to 31.12.96=7M28D	1185
Annual Increment	5160	5000	160	01.01.97to 31.12.97=12M	1920
Annual Increment	5320	5160	160	01.01.98to 31.12.98=12M	1920
Annual Increment	5480	5320	160	01.01.99to 31.12.99=12M	1920
Annual Increment	5640	5480	160	01.01.2Kto 31.12.2K=12M	1920
Annual Increment	5800	5640	160	01.01.01to 31.12.01=12M	1920
Annual Increment	6000	5800	200	01.01.02to 03.05.02=4M3D	819
Grant of 1st Prop	6200	6000	200	04.05.02to 31.12.02=7M28D	1581
Annual Increment	6400	6200	200	01.01.03to 31.12.03=12M	2400

Annual Increment	6600	6400	200	01.01.04to 31.12.04=12M	2400
Annual Increment	6800	6600	200	01.01.05to 31.12.05=12M	2400
Annual Increment	7000	6800	200	01.01.06	nil
Fixation of pay in the revised pay scale	12650+2400GP =15050	12280+2400GP =14680	370	01.01.06	nil
Annual Increment 01.08.12/nil/P-22 vol.III S/book)	13110+2400GP =15510	12720+2400GP =15120	390	01.01.06to 31.12.06=12M	4680
Annual Increment	13580+2400GP =15980	13180+2400GP =15580	400	01.01.07to 31.12.07=12M	4800
Annual Increment S/book vol.III P-23	14060+2400GP =16460	13650+2400GP =16050	410	01.01.08to 03.05.08=4M3D	1680
Grant of Addl. Increment on completion of 20 years of service	14560+2400GP =16960	14140+2400GP =16540	420	04.05.08to 31.12.08=7M28D	3319
Annual Increment	15070+2400GP =17470	14640+2400GP =17040	430	01.01.09to 26.08.09=7M26D	3371
Grant of higher Grade pay on completion of 9 years of service under 4-9-14 scheme	15070+2800GP =17870	14640+2800GP =17440	430	27.08.09	nil
Grant of higher Grade pay on completion of 14 years of service under 4-9-14 scheme	15610+3000GP =18610	15170+3000GP =18170	440	27.08.09to 31.12.09=4M5D	1831
Annual Increment	16170+3000GP =19170	15720+3000GP =18720	450	01.01.10to 31.12.10=12M	5400
Annual Increment	16750+3000GP =19750	16290+3000GP =19290	460	01.01.11to 31.12.11=12M	5520
Annual Increment	17350+3000GP =20350	16870+3000GP =19870	480	01.01.12to 31.03.12=3M	1440
Grant of 2nd Addl.Increment on completion of 20 years of service	17960+3000GP =20960	17470+3000GP =20470	490	01.04.12to 31.12.12=9M	4410
Annual Increment	18590+3000GP =21590	18090+3000GP =21090	500	01.01.13to 31.12.13=12M	6000
Annual Increment	19240+3000GP =22240	18730+3000GP =21730	510	01.01.14 to 30.09.14=9M	4590
जोड़					71521

As per Pension calculation sheet sent to LIC vide CAO letter no.HIMUDA/Acctts/GS Pension Scheme/LIC/2008/35266-68 dated 24.11.14(P-nil of Pension file)

Qualifying Service	**Pension Sanctioned(₹)**	**Pension Due(₹)**	**Diff. of pension(₹)**	**Period**	**Amount paid in Excess(₹)**
33Y00M2D =33Yr. or 66Half years	i)Basic 11120 ii)Comm.3669 iii)Res. 7451	10865 3585 7280	255 84 171	01.10.14to 31.03.16= 18M	3078

Commuted value of pension	3669x12x8.194 =368559	3585x12x8.194 =360121	8439	-	8439
Gratuity/ HIMUDA:3-277/ 1977-Admn. -31453 55 Dt. 14.10.14 (P-38 vol.III S/book)	i)Basic 22240 ii)DA(100%) 22240 iii)Total 44480 iv)Q.S.=33Y or 66half years i.e44480x66/4 =733920	i i)Basic 21730 ii)DA(100%) 21730 iii)Total 43460 iv)Q.S.=26 1/2Y or53half years i.e43460x53/4 =575845	158075	-	158075
Leave Encashment 300 days/ HIMUDA: 3-277/1977-Admn. -31456-57 Dt. 14.10.14 (P-39vol.III S/book)	i)Basic 22240 ii)DA(100%) 22240 iii)Total 44480 i.e44480x300/30 =444800	i i)Basic 21730 ii)DA(100%) 21730 iii)Total 43460 i.e43460x300/30 =434600	10200	-	10200
जोड़					179792
कुल जोड़ (ख)+ (ग)					**251313**

(छ) श्री कमलानंद शर्मा, वरिष्ठ सहायक को सेवा निवृति उपदान का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान श्री कमलानंद शर्मा, वरिष्ठ सहायक की सेवा पुस्तिका के अवलोकन पर पाया गया कि उनकी प्रथम नियमित नियुक्ति तिथि दिनांक 28.07.82 अपराहन व् सेवा निवृति तिथि दिनांक 31.03.15 को थी, जिसके अनुसार उनकी कुल सेवा काल की अधिक 32 वर्ष 8 माह 4 दिन अर्थात 32½ वर्ष बनती थी , जैसा कि उनकी पेंशन नस्ति के पृष्ठ -14 पर उपलब्ध मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा सत्यापित पेंशन गणना विवरणी से भी स्पष्ट विदित होता है , किन्तु कार्यालय आदेश संख्या: HIMUDA: 3-530/2010-Admn.-245-47 Dt. 02.04.15 (P-18 vol.III S/book) द्वारा उन्हें 32½ वर्षों की अहर्क सेवा की अपेक्षा 33 वर्षों की अहर्क सेवा का सेवा निवृति उपदान अनियमित रूप से स्वीकृत किया गया जिसके कारण उन्हें निम्नानुसार ₹13031 का अधिक भुगतान हुआ है , जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Pay Last Drawn(Rs.)	Q.S. & Amt. Of DCRG paid(Rs.)	Q.S. & Amt. Of DCRG Due(Rs.)	Amt. Of DCRG paid in Excess (Rs.)	Remarks
B.Pay20780 G.Pay4400 Total=25180 DA(107%)=26943 G.Total=52123	33Y or 66 half years 52123x66/4 **=860030**	32Y8M4Dsay32 1/2Y or 65 half years 29700x65/4 **=846999**	**13031**	

47 चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की ₹ 2351 का अनियमित भुगतान करना

चयनित माह 3/2015 के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या: 2117 दिनांक 19.3.15 द्वारा निम्न वर्णित कर्मचारियों को , चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति , जोकि

नागरिक सेवा (चिकित्सा नियम), 1944 के अन्तर्गत देय नहीं थी, की ₹2351 का अनियमित भुगतान किया गया था।

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम/पदनाम	अदेय दवाइयों/ टेस्ट का नाम	राशि	अभियुक्ति
1	श्री अनिल कुमार , ASD	Cap. Chargin	1041.60	चिकित्सा नियम अनुसार देय नहीं । (Aurvedic medicines)
2	श्रीमती राजकुमारी शर्मा,AHD	Cap.Distone	129.90	चिकित्सा नियम अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा कालातीत हो चुका है। Date of completion of treatment was 10.11.14 and submission of claim was 03.3.15.i.e. after three Months.
		Syp.Stone-1B6	103.00	
3	श्री चैन राम झाल्टा,चपड़ासी	(i)Glutide (R30g) (ii)Metofix XL 500 (iii)Telepress (iv)Deflew 60	162.00 89.10 79.50 100.00	चिकित्सा नियम अनुसार देय नहीं क्योंकि यह medicines डॉक्टर द्वारा prescribed नहीं की गई थी ।
4	श्री अनिल शारदा , Planning Assistant	(i)Halosys-s oint (ii)Xerina Lotion	97.00 549.00	चिकित्सा नियम अनुसार देय नहीं है । (Skin Lotion &Oint)
	कुल योग		**2351.10**	

अतः उपरोक्त ₹2351 के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

48 विज्ञापनो पर किए गए भुगतानों से 15% कमीशन की कटौती न कर ने के कारण सरकारी राजस्व को हुई ₹ 4.43 लाख की हानि के बारे में

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हि० प्र० के पत्र संख्या: -2006/01-15Pub-92-14263, दिनांक 30.08.2006 व पत्र संख्या: I & PR-H(F)6(Advts.)-4(App.)/2013-2976, दिनांक 5.7.13 में दिये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त विभागों, बोर्ड, कार्पोरेशनों द्वारा को सभी प्रकार के विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से छपवाये जाने आवश्यक थे तथा डिस्प्ले विज्ञापनों पर 15% कमीशन के रूप में कटौती करके इसे हि०प्र० सरकार के आय शीर्षक 300-60-220 में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लाभ-हानि खाते के अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष के दौरान हिमुडा द्वारा विज्ञापन शीर्षक के अन्तर्गत ₹ 36,89,425 का व्यय दर्शाया गया था, जिसमे से निम्न सारणी के अनुसार ₹**29,52,219** का व्यय Advertisement & Publication and Display विज्ञापनों के रूप में किया गया था।

क्रम संख्या	भुगतान वाउचर संख्या व दिनांक	समाचार पत्र/पत्रिका जिसे भुगतान किया गया	भुगतान की गयी राशि
1	383/30.5.2014	मै० गिरिराज साप्ताहिक, घोड़ा चौकी , शिमला	7286
2	749/30.7.2014	ग्राम परिवेश शिमला	8000
3	750/30.7.2014	दशहरा कमेटी धर्मशाला	20000
4	751/30.7.2014	हिमाचल केसरी	15000
5	752/30.7.2014	ट्रिब्यून ट्रस्ट चंडीगढ़	378000
6	753/30.7.2014	मै० जागरण प्रकाशन लिमिटेड	318600
7	754/30.7.2014	मै० दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	356400
8	1168/4.10.14	चोपड़ा पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड	57800
9	1173/4.10.14	मै० दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	100000

10	1370/18.11.14	पंचकुला एडवर्टाइजिंग	623346
11	1762/27.1.15	न्याय सेतु हमीरपुर	50000
12	1830/5.2.2015	पंचकुला एडवर्टाइजिंग	321469
13	1888/10.2.15	Shri sherjung Memurial Sonvenir jakhoo	100000
14	1182/4.10.14	मै० दिव्या हिमाचल प्रकाशन लिमिटेड	4678
15	1183/4.10.14	मै० शैल साप्ताहिक समाचार शिमला -171001	20000
16	1184/4.10.14	मै० हिमालय सूर्य प्रकाशन प्रा॰ लिमिटेड शिमला-9	50000
17	1257/27.10.14	Directotate of SC, OBC & Minority affairs H.P.	9594
18	1261/28.10.14	The Hind Samachar Ltd.	171229
19	1262/28.10.14	Himachal Dastak Pvt. Ltd.	57917
20	1263/28.10.14	Gramin Pravesh Shimla-171001	10000
21	1421/22.11.14	Himachal Kesari, Dharamshala	17000
22	2075/16.3.15	H.P.Govt Dental College, Shimla-171001	15000
23	2076/16.3.15	ARTTICON-2014, IGMC, Shimla.	8000
24	2077/16.3.15	Himachal Media Pvt. Ltd., Shimla-171009	19600
25	2086/16.3.15	मै० दिव्या हिमाचल प्रकाशन लिमिटेड	50000
26	2087/16.3.15	मै० जागरण प्रकाशन लिमिटेड	50000
27	2088/16.3.15	मै० दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	50000
28	2089/16.3.15	मै० Benett coleman&co. Ltd.Timber House Cart road, Shimla	7200
29	2105/17.3.15	मै० हिमाचल दस्तक प्राइवेट लिमिटेड	56100
		कुल जोड़	**2952219**

उपरोक्त भुगतान वाउचरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त निर्देशानुसार डिस्प्ले विज्ञापनों को हि०प्र० सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से नहीं छपवाया गया था तथा इस प्रकार 15% कमीशन के रूप में की कटौती भी नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व को ₹**4,42,833** (2952219x15%) की सीधी हानि हुई है। अतः सरकारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना न करके सरकारी खजाने को हुई ₹**4,42,833** की हानि का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा वर्णित हानि की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से कर के सरकारी कोष में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

49 स्टॉक रजिस्टर

(क) Permanent Article स्टॉक रजिस्टर का निर्माण न करना तथा स्टॉक/स्टोर की मदों का भौतिक सत्यापन न करना

हि०प्र० वित्तीय नियम 2009 के अनुसार सभी Permanent Article हेतु स्टॉक रजिस्टर बनाया जाना अनिवार्य हैं। इस संदर्भ में उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि Permanent Article हेतु किसी भी प्रकार का कोई रजिस्टर नहीं लगाया गया था। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: हिमुडा /31/2016, दिनांक 16.07.16 द्वारा Permanent Article स्टॉक रजिस्टर आवश्यक जांच-पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था , परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया अपितु अंकेक्षण को मौखिक तौर पर अवगत करवाया गया कि हिमुडा मुख्यालय स्तर पर इस प्रकार का न तो अभिलेख तैयार किया गया है तथा न ही विभिन्न मदों का नियमानुसार वर्ष में एक बार सक्षम अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन (Physical verification) ही करवाया गया है। इस प्रकार लाखों रुपए की स्थायी भण्डार मदों (Permanent Stock Items) जैसे मेज़,

कुर्सियां, टेबल, कंप्यूटर, प्रिंटर, फ़ोटोस्टेट मशीनें, फैरो प्रिंटर, हीटर, वाहन इत्यादि का स्टॉक रजिस्टर अभिलेख का अभिरक्षण व भौतिक सत्यापन न करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर चिंता का विषय भी है। इस प्रकार की चूक से किसी भी गम्भीर अनियमितता से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस मामले की पूर्ण छानबीन की जाये तथा उक्त महत्वपूर्ण अभिलेख का रख-रखाव न करने बारे पूर्ण तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त वर्णित अभिलेख का अविलंब निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि भविष्य में समय- समय पर भौतिक सत्यापन भी करवाया जाए ताकि किसी भी प्रकार की संभावित चूक से बचा जा सके।

(ख) फ़ोटोस्टेट मशीन के स्टॉक/खपत रजिस्टर के रख-रखाव के बारे में

अंकेक्षण को प्रस्तुत फ़ोटोस्टेट मशीनों (मॉडल संख्या: 5225/30 व Toshiba-160) के स्टॉक/खपत रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान प्रतिलिपि यंत्रचालकों को समय-समय पर फ़ोटोस्टेट रिम्स जारी किए गए , जिनको निम्न विवर्णानुसार फ़ोटोस्टेट मशीन खपत रजिस्टर में कम दर्ज किया गया था। अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि संबन्धित रजिस्टर में फ़ोटोस्टेट कागजों की खपत की वास्तविक गणना दर्ज नहीं की गयी थी जैसे कि single side व double side की कितनी-2 फोटोस्टेट copies की गई थी और न ही उक्त रजिस्टर को समय-समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह के अन्त में खपत रजिस्टर में फ़ोटोस्टेट रिम्स का कितना स्टॉक शेष था , उनका भी कोई उल्लेख नहीं किया गया था, जिसकी अनुपस्थिति में यह पुष्टि नहीं होती कि फ़ोटोस्टेट कार्य हेतु समय-समय पर कितने रिम्स की आवश्यकता थी तथा किसी निश्चित अवधि में कितने कागज (सामान्य Wastage सहित) उपयोग में लाये गए थे। अतः परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त रजिस्टर में कागजों की खपत की गणना तथा फ़ोटोस्टेट रिम जारी करने से पूर्व खपत रजिस्टर में कागजों/रिम्स के शेष स्टॉक की पुष्टि कारवाई जानी सुनिश्चित की जाये ताकि आवश्यकता से अधिक फ़ोटोस्टेट रिम्स जारी न हो । इसके अतिरिक्त समय-समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त रजिस्टर की जांच उपरान्त सत्यापना भी सुनिश्चित की जाये।

दिनाँक	सामग्री भंडार रजिस्टर पृष्ठ संख्या	जारी किए गए फोटोस्टेट रीम्स की मात्रा	फोटोस्टेट मशीन रजिस्टर में गणना में लिए गए रिम्स/ पृष्ठ संख्या	अंतर
02.8.14	7	A4= 4reams A5= 2reams	A4= 3reams A5=2reams / 132	A4= 1ream
30.8.14	8	A4= 4reams A5= 2reams	A4= 4reams / 5	A5= 2reams

(ग) फेरो प्रिंटर मशीन के स्टॉक/खपत रजिस्टर में ₹2475 के अमोनिया पेपर रोल्स की कम गणना करना

अंकेक्षण को प्रस्तुत सामग्री स्टॉक रजिस्टर व फेरो प्रिंटर मशीन स्टॉक/खपत रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष 201 4-15 के दौरान प्रतिलिपि यंत्रचालकों को समय-समय पर अमोनिया पेपर रोल्स जारी किए गए , जिनको फेरो प्रिंटर मशीन खपत रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा था तथा प्रत्येक माह के अन्त में खपत रजिस्टर में अमोनिया पेपर रोल्स का कितना स्टॉक शेष था , की भी गणना की गई थी और अन्तः शेष को समय-समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापित किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार ₹2475 के 15 Nono. (दिनांक 25.9.14 को जारी) अमोनिया पेपर रोल्स की खपत रजिस्टर में कम गणना की गई थी। अतः उक्त वर्णित अमोनिया पेपर रोल्स की कम गणना बारे पूर्ण छानबीन के उपरांत वस्तुस्थिति का पता लगाकर उचित कारवाई अम्ल में लाई जानी सुनिशित की जाये तथा अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वर्ष 2014-15 के दौरान सामग्री भंडार रजिस्टर से जारी किए गए अमोनिया रोल्स की की मात्रा	**फेरो प्रिंटर मशीन रजिस्टर में गणना में लिए गए अमोनिया रोल्स की मात्रा**	**अंतर गणना में कम लिए गए अमोनिया रोल्स की मात्रा**	**स्टॉक रजिस्टर के अनुसार एक अमोनिया रोल्स की कीमत**	**कम लिए अमोनिया रोल्स की कुल कीमत**
320	115 **(south)** 190 **(north)** **305**	15	165.00	**2475.00**

50 डाक टिकटों के क्रय व डाक टिकटों के उपयोग संबधित अभिलेख का उचित निर्माण न करना

डाक टिकटों के क्रय व डाक टिकटों के उपयोग संबधित अभिलेख के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई:-

(क) डाक टिकट स्टॉक रजिस्टर के अनुसार दिनाँक 03.6.14 को ₹45,570 की डाक टिकटें शेष थी। । इसके उपरांत दिनाँक 04.6.2014 को ₹826 की डाक टिकटों का उपयोग किया गया था तथा इस प्रकार दिनाँक 04.6.2014 को ₹44,744 की डाक टिकटें स्टॉक में बकाया होनी चाहिए थी जबकि यह शेष ₹45,570 दर्शाया गया था। इस प्रकार डाक टिकटों का शेष ₹826 का अधिक दर्शाया गया था। इस अनियमितता का मुख्य कारण डाक टिकटों के क्रय रजिस्टर (स्टॉक रजिस्टर) व डाक प्रेषण रजिस्टर में उपयोग से संबधित प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी द्वारा समय-2 पर सत्यापित नहीं किया जाना है । अतः उक्त वर्णित अनियमितता का संज्ञान लेते हुए इसका नियमानुसार यथोचित समाधान किया जाये तथा भविष्य में डाक टिकटों के क्रय रजिस्टर (स्टॉक रजिस्टर) व डाक प्रेषण रजिस्टर में उपयोग से संबधित प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी द्वारा समय-2 पर सत्यापित किया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) निम्न प्रकरणों में पंजीकृत पत्र के डाक व्यय के समर्थन में रसीदें संलग्न नहीं की गई थी , जिसकी अनुपस्थिति में दर्शाया गया ₹308 का व्यय अनियमित प्रतीत होता है।

दिनाँक	जितने पंजीकृत पत्र प्रेषित किए दिखाए गए	वास्तव में डाक विभाग द्वारा जारी उपलब्ध रसीद की संख्या	रसीद का अंतर	दर प्रति पंजीकृत पत्र	अनियमित व्यय की राशि
05.3.15	36	31	5	22	110
27.2.15	48	47	1	22	22
10.3.15	30	29	1	22	22
13.3.15	43	37	6	22	132
20.3.15	41	40	1	22	22
	कुल जोड़		**14**	**22**	**308**

अत: उक्त वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) हिमुडा मुख्यालय के डाक टिकटों के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार दिनांक 31.03.15 को हस्तगत डाक टिकटों का शेष ₹22196 था, जबकि वित्तीय वर्ष 2014-15 के तुलन पत्र के आंकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह शेष ₹36233 दर्शाया गया था। इस प्रकार डाक टिकटों के शेष में ₹14037 का अंतर होने के कारण यह अनियमित प्रतीत होता है । ।वास्तव में दिनांक 01.04.14 को हस्तगत डाक टिकटों का आरम्भिक शेष ₹36233 का था तथा इसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेन-देन का कोई भी प्रभाव समाविष्ट किये बिना ही इसे दिनांक 31.03.15 को तुलन पत्र में अन्तः शेष के रूप में दर्शाया गया था। ।इस अनियमितता के कारण ₹14037 के डाक टिकटों के व्यय की लेखों में कम दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप हिमुडा के वित्तीय लेखे सही स्थिति परिलक्षित नही करते हैं । ।अतः उक्त वर्णित अनियमितता का संज्ञान लेते हुए इसकी हिमुड़ा प्राधिकरण द्वारा विभागीय स्तर पर भी जाँच की जाए और इसका समाधान लेखों व वित्तीय विवरणियों में किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। ।

51 हिमुडा द्वारा आबंटित प्लॉट्स पर निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य न करने पर लगाये गये दंड शुल्क के बारे में सूचना उपलब्ध न करवाना

हिमुडा अधिनियम , 2004 की धारा 46 के अनुसार" "the authority, after providing reasonable opportunity of being heard, is empowered to impose penalty not exceeding 5% of the cost of plot per year on the allottee, if he fails to construct the building on the plot within the specified period."

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: हिमुडा /13/BS/2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में defaulters आबंटियों की सूची व तत्सम्बंध में नियमानुसार की गई कार्यवाही बारे सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया था , किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संदर्भ में कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः उक्त वर्णित अपेक्षित सूचना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करके इसकी सत्यापना करवाई जानी सुनिश्चित की जाये। ।

52 **लघु आपत्ति विवरणिका**:- सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था अतः यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी। ।

53 **निष्कर्ष**:- गत अंकेक्षण पैरों पर ठोस तथा तुरंत कार्यवाही करने के अतिरिक्त लेखों में सुधा र की नितांत आवश्यकता है। ।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)122/88–खण्ड–13–6477–6478 दिनांकः 13.12.2016

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, हि0प्र0 आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मुख्यालय शिमला–2, को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर दर्शाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2 को **पैरा संख्याः 1(ख)** में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निदेश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

परिशिष्ट -'क"

(अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा-1(घ) में संदर्भित)

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही एवं सटिप्पण उत्तर की पड़ताल करने के उपरान्त निर्णीत/अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/86

1	पैरा 13	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91

1	पैरा 6 (ग), (ङ) व (च)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93

1	पैरा 8 (क), (ग) व (ङ)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97

1	पैरा 10	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98

1	पैरा 23(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 27	अनिर्णीत
3	पैरा 29(1) से (3)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99

1	पैरा 9	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2000

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 13	अनिर्णीत
3	पैरा 15	अनिर्णीत
4	पैरा 26	अनिर्णीत
5	पैरा 29 (2)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 14	अनिर्णीत
5	पैरा 18	अनिर्णीत
6	पैरा 19	अनिर्णीत
7	पैरा 21	अनिर्णीत
8	पैरा 26	अनिर्णीत
9	पैरा 27	अनिर्णीत
10	पैरा 32	अनिर्णीत
11	पैरा 61	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 2/2002

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9 (1 से 3)	अनिर्णीत
5	पैरा 15 (1)	अनिर्णीत
6	पैरा 27	अंकेक्षण अनुसार अपेक्षित कार्यवाही की सत्यापना करने पर **निर्णित/समाप्त**

7	पैरा 31	अनिर्णीत
8	पैरा 47	अनिर्णीत
9	पैरा 48	अनिर्णीत
10	पैरा 50	अनिर्णीत
11	पैरा 51	अनिर्णीत
12	पैरा 52	अनिर्णीत
13	पैरा 53	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

1	पैरा 13	अनिर्णीत
2	पैरा 18 (1) से (3)	अनिर्णीत
3	पैरा 20	अनिर्णीत
4	पैरा 22	अनिर्णीत
5	पैरा 35 (क से छ)	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

1	पैरा 13	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 11	अनिर्णीत
4	पैरा 12 (ख) व (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 13	अनिर्णीत
6	पैरा 15	अनिर्णीत
7	पैरा 23	अनिर्णीत
8	पैरा 29(1) व (2)	अनिर्णीत
9	पैरा 30(क से ग)	अनिर्णीत
10	पैरा 35	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा 6(1),(2),(4) व (6)	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 11	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत
7	पैरा 23(1) व (2)	अनिर्णीत
8	पैरा 25	अनिर्णीत
9	पैरा 31	अनिर्णीत
10	पैरा 32	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा 12	अनिर्णीत
2	पैरा 20	अनिर्णीत
3	पैरा 23	अनिर्णीत
4	पैरा 24	अनिर्णीत
5	पैरा 25	अनिर्णीत
6	पैरा 26	अनिर्णीत
7	पैरा 27	अनिर्णीत
8	पैरा 31	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा 13	अनिर्णीत
2	पैरा 14	अनिर्णीत
3	पैरा 15	अनिर्णीत
4	पैरा 16	अनिर्णीत
5	पैरा 17	अनिर्णीत
6	पैरा 18	अनिर्णीत
7	पैरा 19	अनिर्णीत
8	पैरा 20	अनिर्णीत
9	पैरा 21	अनिर्णीत
10	पैरा 22	अनिर्णीत
11	पैरा 23	अनिर्णीत
12	पैरा 24	अनिर्णीत
13	पैरा 27	अनिर्णीत
14	पैरा 29	अनिर्णीत
15	पैरा 30	अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा 10	अनिर्णीत
2	पैरा 18(क) से (ज)	अनिर्णीत
3	पैरा 19	अनिर्णीत
4	पैरा 20	अनिर्णीत
5	पैरा 22	अनिर्णीत
6	पैरा 23	अनिर्णीत
7	पैरा 26	अनिर्णीत

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा 6(ख) व (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत
7	पैरा 13	अनिर्णीत
8	पैरा 14	अनिर्णीत
9	पैरा 16(ख)	अनिर्णीत
10	पैरा 17	अनिर्णीत
11	पैरा 19	अनिर्णीत
12	पैरा 20	अनिर्णीत
13	पैरा 21(1) व (2)	अनिर्णीत
14	पैरा 22	अनिर्णीत
15	पैरा 29	अनिर्णीत
16	पैरा 31(1)	अनिर्णीत
17	पैरा 32	अनिर्णीत
18	पैरा 33	अनिर्णीत
19	पैरा 34	अनिर्णीत
20	पैरा 35(1)	अनिर्णीत
21	पैरा 39	अनिर्णीत

22	पैरा 40	अनिर्णीत
23	पैरा 42	अनिर्णीत
24	पैरा 44	अनिर्णीत
25	पैरा 45	अनिर्णीत
26	पैरा 46	अनिर्णीत
27	पैरा 47	अनिर्णीत

(द) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011</u>

1	पैरा 4.1	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8, 8.1 से 8.10	अनिर्णीत
4	पैरा 9 व 9.1	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत
7	पैरा 12	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 14, 14.1 से 14.4	अनिर्णीत
10	पैरा 15	अनिर्णीत
11	पैरा 16	अनिर्णीत
12	पैरा 17 व 17.1	अनिर्णीत
13	पैरा 18	अनिर्णीत
14	पैरा 19 व 19.1	अनिर्णीत
15	पैरा 20	अनिर्णीत
16	पैरा 21	अनिर्णीत
17	पैरा 22	अनिर्णीत
18	पैरा 23 (क) (ख)	अनिर्णीत
19	पैरा 24	अनिर्णीत
20	पैरा 25, 25.1 व 25.2	अनिर्णीत
21	पैरा 26	अनिर्णीत
22	पैरा 27	अनिर्णीत
23	पैरा 29	अनिर्णीत
24	पैरा 30	अनिर्णीत
25	पैरा 31, 31.1 से 31.3	अनिर्णीत
26	पैरा 32	अनिर्णीत
27	पैरा 33	अनिर्णीत
28	पैरा 34	अनिर्णीत

(ध) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012</u>

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 8, 8.1 से 8.6	अनिर्णीत
3	पैरा 9, 9.1 से 9.5	अनिर्णीत
4	पैरा 10, 10.1 (1,2,3,4)	अनिर्णीत
5	पैरा 11 व 11.1	अनिर्णीत
6	पैरा 12	अनिर्णीत
7	पैरा 13	अनिर्णीत
8	पैरा 14	अनिर्णीत
9	पैरा 15 (क, ख)	अनिर्णीत
10	पैरा 16	अनिर्णीत
11	पैरा 17 (क,ख,ग,घ)	अनिर्णीत
12	पैरा 18	अनिर्णीत
13	पैरा 19,19(1)(क,ख,ग,घ,ङ,च), 19(2)(क), 19(3)(क,ख,ग,घ), 19(4)(क), 19(5)(क,ख,ग), 19(6)(क,ख,ग,घ,ङ,च,छ), 19(7)(क,ख), 19(8) 19(9)(क,ख,ग), 19(10)(क) ,19 (11)(क), 19(12)(क,ख,ग,घ), 19(13,14,15,16,17,18,19)	अनिर्णीत
14	पैरा 20, 20.1 (i, ii, iii), 20.2 (i), 20.3 (i, ii, iii, iv), 20.3 (v)(क,ख), 20.4 (i)(क,ख,ग), 20.4 (ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi), 20.4 (xii)(क,ख), 20.4 (xii, xiv	अनिर्णीत
15	पैरा 21, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5	अनिर्णीत

(न) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013</u>

1	पैरा 3	**अंशतः निर्णीत** (₹2,80,000 की राशि चैक संख्या: 274835 दिनांक 05.02.2015 द्वारा जमा करवाने के पश्चात)
2	पैरा 7.2,7.3,7.4,7.5	**अनिर्णीत**
3	पैरा 8,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5	**अनिर्णीत**
4	पैरा 9, 9.1	हि०प्र० सरकार द्वारा विशेष स्वीकृति प्रदान करने पर **निर्णित**
5	पैरा 9.2,9.3,9.4	अनिर्णीत
6	पैरा 10,10.1	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 11.2	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर **निर्णित/समाप्त**
9	पैरा 12.1,12.2,12.3,12.4	अनिर्णीत
10	पैरा 13.1 (क)	अंकेक्षण अनुसार अपेक्षित कार्यवाही की

		सत्यापना करने पर **निर्णित/समाप्त**
11	पैरा 13.2	अनिर्णीत
12	पैरा 14	अनिर्णीत
13	पैरा 17	अनिर्णीत
14	पैरा 20 , 20.1(i),(ii),(iii),(iv), 20.2 (i),(ii), 20. 3 (i),(ii),(iii), 20.4 (i), 20.5 (i)(क),(ख),(ग), 20.5(ii), (v),(vi),(vii),(viii),(ix), (xi),(xiv), 20.6 (i)	अनिर्णीत
15	पैरा 20.5 (iii), 20.5 (iv), 20.5 (x), 20.5 (xii),	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर **निर्णित/समाप्त**
16	पैरा 21, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6	अनिर्णीत

(प) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014</u>

1	पैरा 3	अंकेक्षण शुल्क प्राप्त होने पर **निर्णीत**
2	पैरा 4	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर **निर्णित/समाप्त**
3	पैरा 5, 5(1), 5(2), 5(3), 5(4), 5(5), 5(6),	अनिर्णीत
4	पैरा 6	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर **निर्णित/समाप्त**
5	पैरा 7	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर **निर्णित/समाप्त**
6	पैरा 8	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर **निर्णित/समाप्त**
7	पैरा 9	अनिर्णीत
8	पैरा 10, 10.1, 10.2, 10.3	अनिर्णीत
9	पैरा 11	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर **निर्णित/समाप्त**
10	पैरा 12,	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर **निर्णित/समाप्त**
11	पैरा 12.1	अनिर्णीत
12	पैरा 13	अनिर्णीत
13	पैरा 14	अनिर्णीत
14	पैरा 15	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर **निर्णित/समाप्त**
15	पैरा 16	अनिर्णीत
16	पैरा 17	अनिर्णीत
17	पैरा 18	अनिर्णीत
18	पैरा 19(क),(ख)	अनिर्णीत
19	पैरा 20	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर **निर्णित/समाप्त**
20	पैरा 21	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम

		स्थिति के प्रारूपण करने पर **निर्णित/समाप्त**
21	पैरा 22	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर **निर्णित/समाप्त**
22	पैरा 23	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर **निर्णित/समाप्त**
23	पैरा 24	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर **निर्णित/समाप्त**
24	पैरा 25	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर **निर्णित/समाप्त**
25	पैरा 26	अनिर्णीत
26	पैरा 27	अनिर्णीत
27	पैरा 28	अनिर्णीत
28	पैरा 29 (i), (ii), (iii), (iv), (v)	अनिर्णीत
29	पैरा 30 (i), 30 (ii), 30 (iii), 30 (iv), 30 (v), 30 (vi), 30 (vii), 30 (viii)	अंकेक्षण अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करने पर **निर्णित**
30	पैरा 31 (i), (ii), (iii), (iv)	अनिर्णीत
31	पैरा 32 (i), (ii),	अनिर्णीत
32	33, 33 (1)(क), (ख),(ग),(घ),(ङ), 33 (2), 33 (3)(क), 33 (4)(क), (ख), 33(5)(क),(ख), 33(6)(क), (ख), 33(7)(क), (ख),(ग), 33(8)(क),(ख),(ग),(घ),(ङ),(च),(छ), 33 (9)(क), (ख),(ग), 33(10), 33(11)(क),(ख), 33(12)(क), 33(13), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,	अंकेक्षण अनुसार अपेक्षित कार्यवाही व वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर **निर्णित/समाप्त**

पूर्व शिमला विकास प्राधिकरण के मुख्यालय से संबन्धित पैरे

(क) **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90**

1	पैरा 27	अनिर्णीत

(ख) **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91**

1	पैरा 63	अनिर्णीत

(ग) **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92**

1	पैरा 5 (ण) व (न)	अनिर्णीत
2	पैरा 6 (ठ)	अनिर्णीत

(घ) **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93**

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 28	अनिर्णीत

(ङ) **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/94**

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 30 (ए से सी)	अनिर्णीत

(च) **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95**

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 19	अनिर्णीत
3	पैरा 23	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पेरा 12 (5,6,9)	अनिर्णीत
3	पैरा 15 (5 व 7)	अनिर्णीत
4	पैरा 19 (डी व ई)	अनिर्णीत
5	पैरा 32(ए)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97

1	पैरा 4 (11)	अनिर्णीत
2	पैरा 6 (ज)	अनिर्णीत
3	पैरा 9 (एफ)	अनिर्णीत
4	पैरा 11 (1) से (3)	अनिर्णीत
5	पैरा 12(1), (2) व (4)	अनिर्णीत
6	पैरा 26 (क) व (ख)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 8 (क), 8(ग),(क), 8(ग,ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 17(1) व (2)	अनिर्णीत
4	पैरा 18 (ख), (ग) व (झ)	अनिर्णीत
5	पैरा 20 (ग)(1)	अनिर्णीत
6	पैरा 20 (छ) (क्रम संख्या 1,2,3,8 को छोड़कर)	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99

1	पैरा 8(ए) व (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा 13	अनिर्णीत
3	पैरा 14	अनिर्णीत
4	पैरा 17	अनिर्णीत
5	पैरा 19 (क्रम संख्या 11,13,15)	अनिर्णीत
6	पैरा 24 (ग)	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 15.01.2001

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 13 (ग) से (ङ) व (छ) तथा 13 (ज से ध)	अनिर्णीत
4	पैरा 14 (2,3,4)	अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	249
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	+49
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	**-21**
अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 03/2015 तक अनिर्णीत पैरे	**277**